Digital India
Power To Empower

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

विषय सूची

कॉर्पोरेट जानकारी	--	02
प्रस्तावना	--	04
बोर्ड की रिपोर्ट	--	07
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	--	65
बैलेंस शीट	--	78
आय और व्यय का विवरण	--	79
नोट्स	--	81

कॉर्पोरेट जानकारी

निदेशक मंडल

अध्यक्ष

श्री रविशंकर प्रसाद (पदेन)
कानून और न्याय; संचार; और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार के माननीय मंत्री (07/07/2021 तक)

उपाध्यक्ष

श्री संजय शामराव धोत्रे (पदेन)
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी; शिक्षा मंत्रालय और; संचार मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री (07/07/2021 तक)

निदेशक

श्री अजय प्रकाश साहनी, आई.ए.एस. (पदेन)
सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार

सुश्री ज्योति अरोड़ा, आई.ए.एस.
विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार (31/10/2021 तक)

श्री अभिषेक सिंह, आई.ए.एस.
प्रबंध निदेशक और सी.ई.ओ., डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (20/07/2020 से)

श्री सूर्यनारायणन गोपालकृष्णन, आई.ए.एस.
अतिरिक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और
प्रबंध निदेशक और सी.ई.ओ., डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (31/05/2020 तक)

वरिष्ठ अधिकारी

अनुसंधान एवं विकास
श्री विनय ठाकुर, वरिष्ठ निदेशक (अनुसंधान), डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
श्री देवव्रत नायक, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (08/11/2021 से)

वित्त
श्री सत्य नारायण मीणा, निदेशक (वित्त), डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (08/11/2021 से)
श्री नीरज कुमार, निदेशक (वित्त), डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (07/10/2021 तक)
श्री के.पी. शिवदास, मुख्य प्रबंधक (वित्त), डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

सांविधिक लेखा परीक्षक
मेसर्स यार्डी प्रभु एंड एसोसिएट्स एल.एल.पी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
2, समाधान, पहली मंजिल, अगरकर चौक, अंधेरी (पूर्व) रेलवे स्टेशन के सामने, मुंबई - 400069।

शाखा लेखा परीक्षक
मेसर्स विनय जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
18/12, W.E.A, आर्य समाज रोड, पूसा लेन, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005

कॉर्पोरेट कानून सलाहकार
मेसर्स ढोलकिया एंड एसोसिएट्स LLP
कंपनी सचिव
MHB-11/A-302, सर्वोदय Co.op.Hsg.Soc.Ltd., भविष्य निधि बिल्डिंग के पास, खेरनगर, सर्विस रोड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय:
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
#2, चौथी मंजिल, समृद्धि वेंचर पार्क, सेंट्रल MIDC रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400093
CIN: U72900MH2001NPL133410
दूरभाष: (022) 28327505; 28312931/30
www.dic.gov.in

अनुसंधान केंद्र:
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन - राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग (NEGD)
चौथी मंजिल, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
दूरभाष : (011) 24303714
www.negd.gov.in

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन - MyGov
कमरा नंबर 3015, तीसरी मंजिल, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
दूरभाष : (011) 24301812
www.mygov.in

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन - TDDD
इलेक्ट्रॉनिक निकेतन एनेक्सी, MeitY, 6 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
दूरभाष : (011) 24303500/555/599
www.dic.gov.in

प्रस्तावना

मुझे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (डीआईसी) की वर्ष 2020-21 की 20वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए बेहद खुशी हो रही है। कंपनी 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के विजन, उद्देश्यों और लक्ष्यों को साकार करने में नेतृत्व और मार्गदर्शन करती है। यह विभिन्न क्षेत्रों में 'डिजिटल इंडिया' के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण, सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) को प्रोत्साहित करने, इनोवेशन और टेक्नोलॉज़ी को बढ़ावा देने में केंद्र/राज्यों के मंत्रालयों/विभागों को रणनीति संबंधी सहायता प्रदान करती है। कंपनी इनोवेटिव समाधानों की मदद से मूल स्तर पर सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए भी काम करती है।

2020-21 कोविड-19 महामारी के दौरान आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों ने पूरी दुनिया को ठप कर दिया। इस स्थिति ने नियमित जीवन शैली को अस्त-व्यस्त कर दिया और लोगों को अपने जीवन, काम और अध्ययन के तरीके को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी विकट परिस्थितियों से जूझते हुए पूरी दुनिया ने डिजिटल तकनीकों के महत्व को जाना। उस वक़्त व्यापार, कार्य, अध्ययन, सामाजिक संपर्क, चिकित्सा सहायता और अन्य संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया, जिससे दुनिया भर में सेवाएं प्रदान करने का पूरा नजरिया ही बदल गया।

महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों ने एक ओर सेवाओं की समय पर डिलीवरी पर सवाल खड़ा किया, तो दूसरी ओर, इसने हमें ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और नए अवसर खोजने का मौका भी दिया। पहले से मौजूद डिजिटल बुनियादी ढांचे की मदद से यह सुनिश्चित किया गया कि प्रौद्योगिकियों का लाभ सीधे और समय पर सभी तक पहुंचे, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक जिनसे महामारी के दौरान संपर्क टूट गया था। हमारे देश के नागरिकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान की गईं, चाहे वे कहीं भी हों। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया गया कि वे सेवाओं का लाभ उठाएं, जिसके लिए उन्हें प्रौद्योगिकी के उपयोग को समझाने हेतु ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए गए।

डिजीलॉकर ने नागरिकों के लिए अपने सभी दस्तावेज सीधे जारीकर्ताओं से प्राप्त करना, उन्हें सुरक्षित रखना, और जब चाहें, कभी भी और कहीं से भी उन्हें प्राप्त करना संभव बना दिया। वर्ष के दौरान डिजीलॉकर से 2 करोड़ 34 लाख नए उपयोगकर्ता जुड़े। इसके साथ ही 31 मार्च 2021 तक कुल उपयोगकर्ताओं की संख्या 6 करोड़ 6 लाख (62.73% वृद्धि) तक पहुंच गई। इसी दौरान डिजीलॉकर के माध्यम से जारी किए गए दस्तावेजों की संख्या 375 करोड़ से बढ़कर 475 करोड़ (26.67% वृद्धि) हुई।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के लिए "पोषण ट्रैकर" विकसित किया गया और इसे सफलतापूर्वक लागू किया गया, ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता देश में बच्चों के बीच कुपोषण को कम करने के लिए उनकी पोषण प्रोफ़ाइल को ट्रैक कर सकें। यह परियोजना 1 मार्च 2021 को शुरू की गई थी।

"यूनिफ़ाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग)" को प्रमुख सरकारी सेवाओं को वितरित करने के लिए केवल एक ही मोबाइल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया, और महामारी प्रतिबंधों के दौरान, इसने अपनी पूरी क्षमता से इस उद्देश्य को पूरा किया। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर (एनडीईएआर) को बनाने में भी तकनीकी सहायता प्रदान की गई। वर्ष के दौरान उमंग में 84 लाख नए उपयोगकर्ता जुड़े। इसके साथ कुल उपयोगकर्ताओं की संख्या 2 करोड़ 75 लाख (43.98% वृद्धि) तक पहुंच गई।

आरोग्यसेतु और CoWIN ऐप को महामारी के दौरान कोविड-विशिष्ट डेटा, सूचना और सहायता प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया गया। आरोग्य सेतु ने लोगों को संक्रमण से खुद को बचाने और संक्रमित होने की स्थिति में सहायता पाने में मदद की। इसने विभिन्न संगठनों को अपने कर्मचारियों की संक्रमण स्थिति पर नज़र रखने में भी मदद की। CoWIN ने लोगों को टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने और अन्य कार्यात्मकताओं के साथ उनके प्रमाणपत्र प्राप्त करने में मदद की। इस वर्ष के दौरान लगभग 6 करोड़ नागरिकों ने CoWin ऐप में पंजीकरण किया।

विशिष्ट जनसांख्यिकी पर केंद्रित कुछ अन्य परियोजनाएं जैसे पुनर्जजानी, दिव्यांगों के लिए विजुअल स्पीच ट्रेनिंग सिस्टम (वीएसटीएस) और पुनर्भावा, मेडिकल पेशेवरों के लिए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम फॉर हार्ट रेट वरिएबिलिटी (सीएचआरवी) विश्लेषण प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के पीएचडी छात्रों के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना, बुनकरों और कारीगरों के लिए डिजीबुनाई, वाराणसी की ग्रामीण महिलाओं के लिए ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्क, और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और आजीविका बढ़ाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित समाधान। विशिष्ट जनसांख्यिकी के लिए विशिष्ट समाधान विकसित करने से समस्याओं को सटीकता से हल करने का उत्तम दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है।

cHRV एक केंद्रीकृत क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम है, जो स्वास्थ्य पेशेवरों को हृदय गति में क्रमिक रूप से उत्पन्न होने वाले बीट-टू-बीट अंतराल में होने वाले बदलाव का ट्रैक रखकर गैर-संचारी रोगों की वजह से होने वाली रुग्णता और मृत्यु दर का पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। VSTS एक स्पीच ट्रेनर है जो श्रवण बाधित बच्चों और दूसरी भाषा सीखने वालों को अभिव्यक्ति के सही तरीके अपनाने में सहायता करता है। यह विश्लेषण और निदान उपकरण के रूप में स्पीच थेरेपिस्ट्स और स्पीच ट्रेनिंग पेशेवरों के लिए भी उपयोगी है। स्वास्थ्य सूचना प्रणाली - आयुसॉफ्ट ने लोगों को आहार, जीवन शैली और दवाओं के माध्यम से निवारक और उपचारात्मक उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद की, जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान खूब सराहा गया।

विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना उन छात्रों को सहायता प्रदान करती है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा, ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्क, आईसीटी लल्लापुरा और आईसीटीआरसी मझवां जैसे आईसीटी आधारित शिक्षण और प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम वयस्कों को अधिक से अधिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए तकनीक का सदुपयोग करने में मदद करते हैं। इसी तरह, डिजीबुनाई सॉफ़्टवेयर ने बुनकर समुदाय की पैटर्न को जल्दी से डिजाइन करने और गलतियों को जल्दी ठीक करने में मदद की है, जिससे उत्पादन मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि हुई है।

लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) के ज़रिए क्षमता निर्माण देश के कई हिस्सों में लागू किया गया, ताकि ऑनलाइन मोड से सरकारी कर्मचारियों को नए कौशल सीखने में मदद मिले और वे उसका उपयोग अपने काम में दक्षता बढ़ाने के लिए करें। एलएमएस के साथ-साथ इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (IndEA) फ्रेमवर्क भारतीय सरकारी संगठनों और विभिन्न राज्यों में EA ट्रांसफ़ॉर्मेशन में मदद कर रहा है। इससे उम्मीद है कि देश में रोजगार के अवसर, उद्यम और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

इंटरैक्टिव इनफार्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम (IIDS) एक ऐसी प्रणाली है जो किसानों को कृषि-सलाह प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह किसी से मिले या संवाद किये बगैर भी जरूरतमंद लोगों की दूर से मदद करती है। किसानों को अब कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल-फ्री फ़ोन कॉल के माध्यम से अपने निकटतम KVKs में कृषि विशेषज्ञों से सीधे जुड़ने की सुविधा है। वर्ष के दौरान 1 लाख से अधिक किसानों ने सेवा के लिए पंजीकरण कराया। इसके साथ कुल पंजीकृत किसानों की संख्या लगभग 2.13 लाख तक पहुंच गई।

2020-21 का समय भारत के लिए अपनी वास्तविक क्षमता की दिशा में काम करने और भारत के प्रतिभाशाली और कुशल पेशेवरों को सामने लाने का मौका लेकर आया। उपरोक्त परियोजनाएं जमीनी स्तर पर सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी के अनुकूलित उपयोग के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं।

प्रौद्योगिकी ढांचे के विकास और इसे असरदार तरीके से उपयोग करने को प्रमुख गतिविधियों के रूप में लिया गया, हालाँकि डीआईसी, NeGD और MyGov द्वारा भी बहुत सारे रचनात्मक कार्य किए गए, जो काम के माहौल को और अधिक अनुकूल बनाने के लिए जीवंत गतिविधियों का एक नया समागम लेकर आए।

लोगों को कोविड-19 नियमों जैसे मास्क, सैनिटाइज़र, हाथ धोने, दूरी बनाए रखने का पालन करने के लिए प्रेरित करने हेतु कोविड-19 महामारी संबंधी जागरूकता अभियान चलाये गए, ताकि वे संक्रमण को रोक सकें; और सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी का प्रसार किया गया जो उस वक़्त सच्चाई और भरोसे के प्रमुख स्रोत बन गए।

महामारी कई लोगों के लिए हानिकारक साबित हुई, क्योंकि उन्होंने अपनी आजीविका के साधन खो दिए। ऐसे मुश्किल भरे समय में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्म निर्भर भारत पहल, लोगों के आत्मविश्वास के साथ अपने पैरों पर फिर से खड़े होने की आशा की किरण बन गई। MyGov प्लेटफ़ॉर्म पर, दृष्टिबाधित लोगों के लिए 'वर्चुअल फ्रेंड' की डिजाइनिंग, कपड़े का कारोबार, बांस के ऊनी शिल्प, ऑनलाइन गेम के जरिए चुनावी जागरूकता फैलाना आदि कई प्रेरक कहानियां प्रकाशित हुईं। आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज 2020 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 4 जुलाई 2020 को MyGov इनोवेट प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया। इस चैलेंज में देश भर के 6,940 टेक उद्यमियों और स्टार्ट-अप्स ने भाग लिया।

MyGov पर उपयोगकर्ता संख्या वर्ष के दौरान 1,06,64,059 से बढ़कर 1,70,99,868 (60.35% वृद्धि) हो गई। इसी दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर MyGov के फॉलोअर्स 29,62,168 से बढ़कर 99,46,838 (235.46% बढ़ गए) हो गए।

डिजिटल इंडिया के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, 1 जुलाई 2020 को एक वर्चुअल मेगा इवेंट का आयोजन किया गया था। उक्त कार्यक्रम में, माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री ने उमंग ऐप के नए संस्करण और डिजिटल इंडिया के तहत सेवाओं पर एक ई-बुक लॉन्च की, और इस अवसर पर उद्योग जगत, शिक्षा विभाग और सरकार के प्रतिष्ठित अधिकारियों के साथ VC पर आयोजित एक पैनल चर्चा की अध्यक्षता की।

डिजिटल इंडिया के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, 1 जुलाई 2020 को एक वर्चुअल मेगा इवेंट का आयोजन किया गया था। उक्त कार्यक्रम में, माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री ने उमंग ऐप के नए संस्करण और डिजिटल इंडिया के तहत सेवाओं

पर एक ई-बुक लॉन्च की, और इस अवसर पर उद्योग जगत, शिक्षा विभाग और सरकार के प्रतिष्ठित अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस पर आयोजित एक पैनल चर्चा की अध्यक्षता की।

RAISE 2020, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अपनी तरह का पहला वैश्विक सम्मेलन था, जो Responsible AI के ज़रिए सामाजिक बदलाव, समावेश और सशक्तिकरण के लिए भारत के दृष्टिकोण और रोडमैप को दिखाने के लिए आयोजित किया गया था। RAISE 2020, अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया था, जिसमें 21 राष्ट्रों के 321 वक्ताओं की मौज़ूदगी में Responsible AI पर 85 घंटे के 48 से अधिक सत्र शामिल थे। 147 देशों के 79,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं ने इस शिखर सम्मेलन के लिए पंजीकरण कराया।

जैसा कि मैं इस वर्ष की मुश्किलों से भरी लेकिन फिर भी उपयोगी यात्रा पर चिंतन कर रहा हूँ, तो मैं माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और अध्यक्ष, निदेशक मंडल (BoD), माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और उपाध्यक्ष, BoD, डीआईसी, MeitY के निदेशकों, सरकार, शिक्षा और उद्योग, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों के सहयोगियों और हितधारकों को उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं खासतौर से टीम के सभी सदस्यों की कोशिशों और समर्पण की सराहना करना चाहूंगा, जिन्होंने जटिल परिस्थितियों के बावजूद सभी कार्यक्रमों को जारी रखा। प्रतिबंधों के कारण दबाव बहुत अधिक था और काम का बोझ भी सामान्य से अधिक था क्योंकि सब कुछ अचानक तकनीक-आधारित हो गया था, लेकिन प्रत्येक सदस्य ने असंख्य चुनौतियों का सामना करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और किसी भी समय और कहीं से भी महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच को सक्षम करके नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए कम समय सीमा के भीतर काम किया।

अभिषेक सिंह, आई.ए.एस
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

बोर्ड की रिपोर्ट

बोर्ड की रिपोर्ट

निदेशक मंडल को बेहद खुशी है कि वो समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2021 को डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (पूर्व में मीडिया लैब एशिया) की अपनी बीसवीं वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण पेश कर रहे हैं।

समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2021 की वित्तीय रिपोर्ट (रुपए, करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2021**	**31 मार्च 2020**
आय	152.76	173.22
अनुसंधान और/या विकास खर्च	107.89	112.19
अन्य खर्च	44.87	61.03
कुल खर्च	152.76	173.22

कंपनी का प्रदर्शन

1. परिचय

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार द्वारा स्थापित और बढ़ावा दिया गया है, जो केवल लाभ कमाने वाली कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के रूप में नहीं है। कंपनी का उद्देश्य समाज के जमीनी स्तर पर सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए सूचना और संचार तकनीकों (आईसीटी) के लाभ पहुँचाना है। इसका विजन है 'इनोवेशन फॉर डिजिटल इनक्लूजन'।

इसका उपयोग जिन क्षेत्रों में किया जाएगा वो हैं - आजीविका संवर्धन (किसान, कारीगर और बुनकर आदि), स्वास्थ्य देखभाल और विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण (पीडब्ल्यूडी)। इस प्रयास में, यह सरकार (उपयोगकर्ता विभाग / मंत्रालय), अनुसंधान एवं विकास संस्थान, शिक्षा, उद्योग, गैर सरकारी संगठन और अन्य संगठन / उद्योग के साथ काम कर रहा है।
कंपनी जनता के लिए उपयोगी 'लैब टू लैंड' (प्रयोगशाला से खेत तक) और 'अर्ली हार्वेस्ट' (जल्दी पूरा करने के लिए बनाई) परियोजनाओं पर केंद्रित है। अपनी मुख्य गतिविधियों के अलावा, कंपनी MeitY की ओर से एक प्रमुख कार्यक्रम यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना को कार्यान्वित कर रही है।

2020 - 2021 के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियां

2. प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन (टीडीडी) प्रभाग

2.1. DigiBunai™ - "बुनाई के लिए एक ओपन सोर्स CAD टूल"

डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया टेक्सटाइल डिज़ाइन एप्लिकेशन यानी DigiBunai™ (https://digibunai.dic.gov.in/) में ओपन सोर्स श्रेणी के तहत पहला भारतीय टेक्सटाइल सीएडी सॉफ़्टवेयर (डॉबी और जैक्कार्ड वीविंग) है।

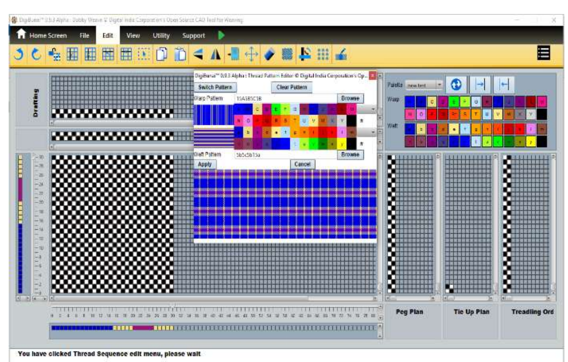

कलरवेज़ के साथ डॉबी फ़ैब्रिक डिजाइनिंग

इसके फंक्शन मोटिफ डिज़ाइनिंग, डिज़ाइन्स को ग्राफ़िकल रूपों में बदलने, बुनाई की तैयारी और फ़ैब्रिक के साथ-साथ पोशाक विज़ुअलाइज़ेशन के लिए कार्ड पंच जैसी स्थानीय भारतीय डिजाइनरों/बुनकरों की ज़रूरत के आधार पर बनाए गए हैं।

एप्लिकेशन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये डिज़ाइन बनाने, ग्राफ़ बनाने, पंच कार्ड को पंच करने और बुनाई से पहले अलग-अलग रंगों और डिजाइन के संयोजनों के साथ कपड़े को डिजिटल रूप से प्रदर्शित करने की प्री-लूम प्रक्रिया को उपयुक्त बनाए।

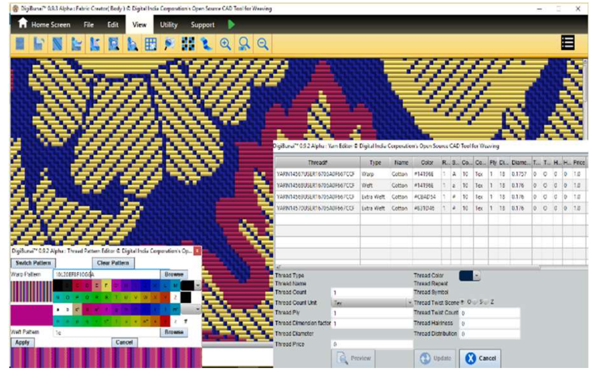

फ़ैब्रिक विज़ुअलाइज़ेशन

असमिया भाषा में एप्लिकेशन

एप्लिकेशन में रुचि के अनुसार बदला जा सकने वाला बहुभाषी ढांचा है, ताकि स्थानीय भाषाओं में सॉफ़्टवेयर की शब्दावली और फ़ंक्शन्स का समझा जा सके।

यह पहल उन्हें उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आजीविका में वृद्धि होती है। एप्लिकेशन का इस्तेमाल करते समय बनाई गई डिज़ाइन लाइब्रेरी की मदद से वे उसका फिर से उपयोग कर सकते हैं और वैसा डिज़ाइन फिर से तैयार कर सकते हैं।

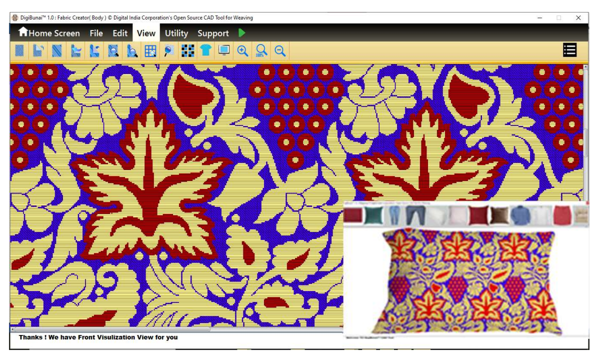

2डी फ़ैब्रिक मैपिंग

को प्रशिक्षण सामग्री (ब्रोशर, उपयोगकर्ता मैनुअल, इंस्टॉलेशन मैनुअल और ट्रेनिंग वीडियो) के साथ उन्नत टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाने के लिए बनाया किया गया है।

प्राचीन पारंपरिक डिज़ाइन्स का डिजिटलीकरण भारत की विरासत को जीवित रखता है। इसमें आईटी का इस्तेमाल युवा पीढ़ी को भी अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे ये भारतीय संस्कृति को बचाए रखता है और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाता है।

यह उपयोगकर्ता विशिष्ट पोर्टल (https://digibunai.dic.gov.in/), उपयोगकर्ता समुदाय

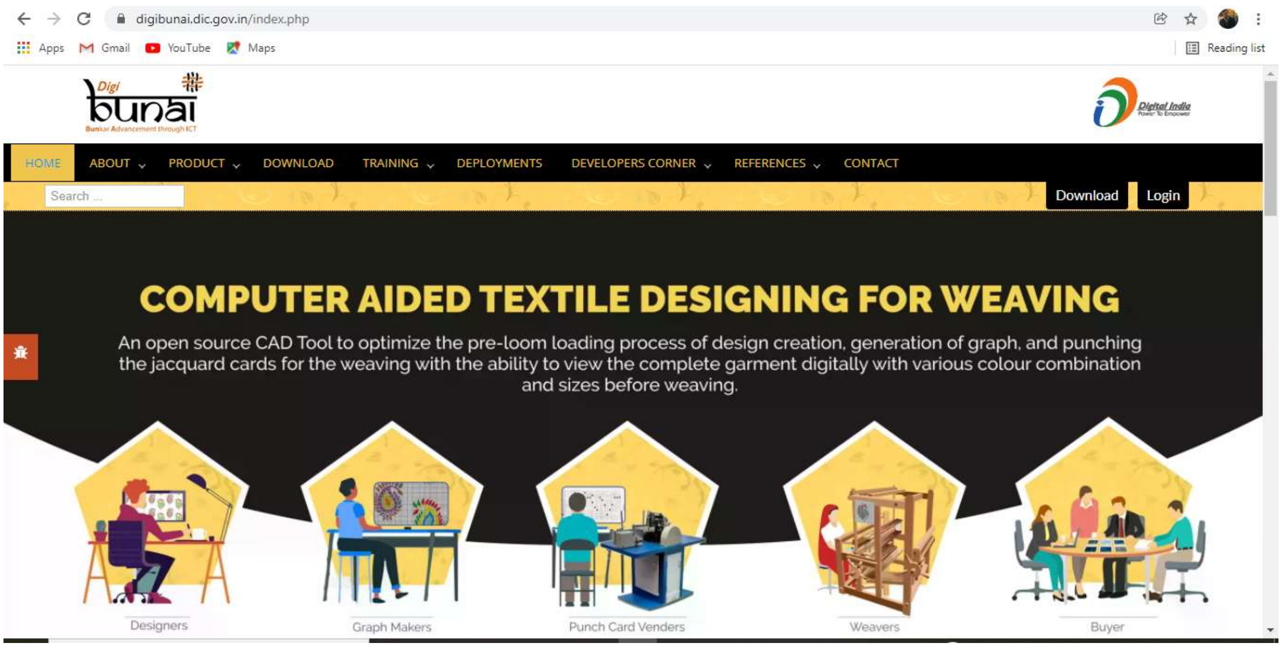

*डिजिबुनाई™ पोर्टल (**https://digibunai.dic.gov.in/**)*

इस उन्नत टेक्नोलॉजी को अलग-अलग प्रकार के बुनाई समूहों और कपड़ा संस्थानों में असरदार तरीके से इस्तेमाल और जाँचा गया है। DigiBunai™ एप्लिकेशन के उपयोगकर्ता समूह में टेक्सटाइल डिज़ाइनर, ग्राफ़ मेकर (टेक्सटाइल डिज़ाइन), जैक्वार्ड कार्ड पंचिंग वेंडर, कुशल बुनकर और अगली पीढ़ी (छात्र) शामिल हैं।
260 से अधिक उपयोगकर्ता DigiBunai™ एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें भारत के 36 कपड़ा संस्थान / प्रशिक्षण केंद्र और 12 बुनाई समूह शामिल हैं।

2.2. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मिजोरम) के बुनकरों/डिज़ाइनरों और कारीगरों के लिए डिजिटल समाधान

डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, कढ़ाई और बुनाई के क्षेत्र में आईसीटी उपयोग को बढ़ाने व अनुकूलित करने के लिए और कारीगरों और बुनकरों को लाभ देने के उद्देश्य से मिजोरम राज्य में इसका क्षेत्र परीक्षण करने के लिए परियोजना को अमल में ला रहा है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उपलब्ध तकनीकों को बेहतर/विशेष रूप से बनाया जा रहा है। मिजोरम के कारीगरों और डिजाइनरों के लिए विशेष रूप से बनाई जा रही तकनीकें हैं:

नमूना बुनाई

- Chic™ (कढ़ाई के लिए CAD टूल)
- DigiBunai™ (बुनाई / डिजाइनिंग के लिए CAD टूल)

ट्रेनिंग सेशन में भाग लेने वाले डिजाइनर

- अब तक 230 से अधिक बुनकरों/डिज़ाइनरों/कारीगरों/छात्रों/विभागों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- 57 से अधिक उपयोगकर्ताओं ने DigiBunai™ सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल किया, जिसमें 4 संस्थान अर्थात रेशम उत्पादन विभाग, महिला पॉलिटेक्निक संस्थान, ब्लिट्ज इंस्टीट्यूट ऑफ़ क्रिएटिव आर्ट्स (बीआईसीए), मिजोरम विश्वविद्यालय और सामुदायिक बुनकर/डिजाइनर शामिल हैं।
- कोविड-19 पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। 600 फ़ेसमास्क 32 पीपीई सेट और 22 फ़ेस शील्ड बनाए और वितरित किए गए।
- संभावित लाभार्थी: राज्य के 20,000 से अधिक बुनकर/डिजाइनर/कारीगर (अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना 2019-20 के अनुसार)।

जागरूकता निर्माण कार्यशाला

2.3. पूर्वोत्तर भारत के नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए डिजिटल समाधानों का अनुकूलन, संवर्धन और परिनियोजन

डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, सीएडी (हथकरघा और हस्तशिल्प) के क्षेत्र में अपने एप्लिकेशन्स कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें महिलाओं/डिजाइनरों/बुनकरों को लाभ देने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में बड़े पैमाने पर विस्तार की संभावना है। DigiBunai™ और Chic™ CAD Plus ऐसी तकनीकें हैं, जिन्हें पूर्वोत्तर के संबंधित राज्य (मेघालय, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम) में स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बढ़ाने/अनुकूलित करने की ज़रूरत है।

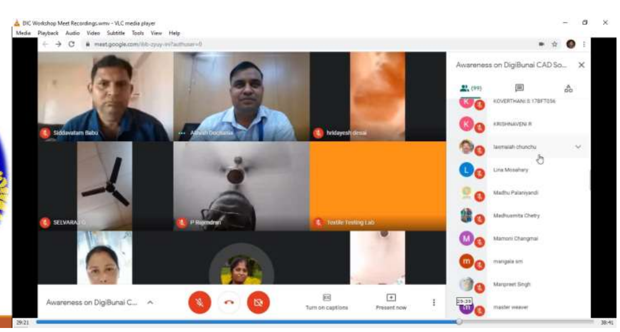

डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में DigiBunai™ सीएडी सॉफ़्टवेयर पर जागरूकता और ट्रेनिंग सेशन आयोजित करने के लिए टेक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ काम कर रहा है। पूर्वोत्तर के सभी ट्रेनिंग प्रदाताओं, डिजाइनरों, बुनकरों, उद्यमियों और शैक्षिक संस्थानों के लिए जागरूकता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई। परियोजना गतिविधियों को शुरू करने के लिए ऐसे स्थानीय ट्रेनिंग भागीदारों की पहचान की गई है जो मणिपुर और मेघालय के हथकरघा क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

2.4. इंटरएक्टिव सूचना प्रसार प्रणाली (आईआईडीएस)

आईआईडीएस एक पुल और पुश आधारित प्रणाली है जिसका उपयोग वर्तमान में कृषि संबंधी सलाह देने किया जा रहा है। यह स्मार्ट फ़ोन एप्लिकेशन, इंटरएक्टिव पोर्टल और इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम का एक संयोजन है। इसमें फ्रंट पर मोबाइल इंटरफेस और बैक पर वेब इंटरफेस है। डेटा आवाज, पाठ, छवियों और वीडियो के ज़रिए दोनों छोर (किसानों से विशेषज्ञों और विशेषज्ञों से किसानों तक) तक भेजा जाता है।

आईआईडीएस कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों की पहुंच बढ़ाने के लिए एक उपयोगी उपकरण बन गया है। यह किसानों को स्थानीय कृषि-वैज्ञानिकों के साथ अपनी मूल भाषाओं (वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगू और मेघालय में खासी और गारो) में सीधे बातचीत करने में सक्षम बनाता है। विशेषज्ञों के पास ज्ञान और किसान डेटाबेस तक पहुंच है। यह उन्हें किसानों को समझने और उनके क्षेत्र की समस्याओं की बेहतर तरीके से सराहना करने में सक्षम बनाता है - अपने किसान को जानें (KYF)।

आईआईडीएस को नेशनल मोबाइल गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ़ MeitY के तहत पुश आधारित 'टेक्स्ट एंड वॉइस' संदेश सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया है।

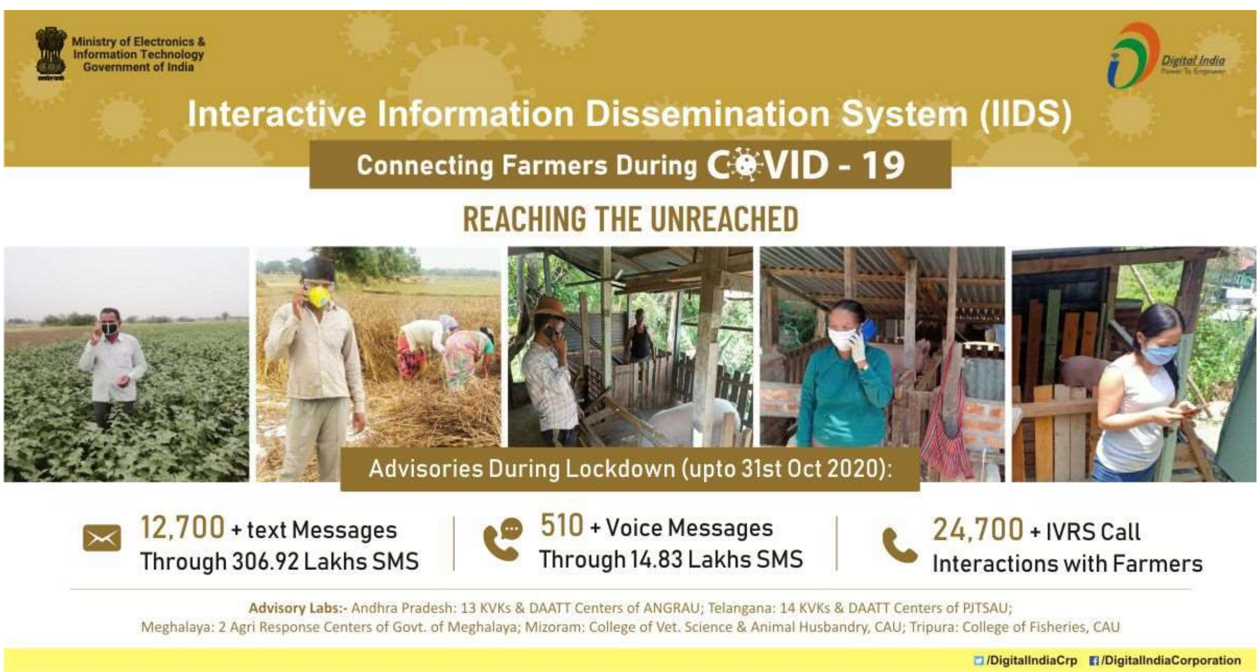

COVID-19 के दौरान IIDS प्लेटफॉर्म का उपयोग

वर्ष 2020-21 के दौरान आईआईडीएस परिनियोजन निम्नानुसार है:

A. अन्नपूर्णा कृषि प्रसार सेवा (AKPS)

आईआईडीएस का उपयोग आंध्र प्रदेश (एपी) और तेलंगाना के 22 जिलों में आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय (एएनजीआरयू) और प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय (पीजेटीएसएयू) के साथ एकेपीएस के रूप में किया गया है।
वर्ष के दौरान, सेवाओं के लिए 41,257 नए किसानों का पंजीकरण किया गया और कुल 1,26,695 किसान अब एकेपीएस सेवाओं में पंजीकृत हैं। किसानों द्वारा कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन पर 1423 प्रश्न पूछे गए, जिनका समाधान केवीके/डीएटीटीसी के वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों ने टोल फ्री नंबर के ज़रिए दिया। कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और जिला कृषि सलाहकार और प्रौद्योगिकी केंद्रों के हस्तांतरण (डीएटीटीसी) द्वारा पंजीकृत किसानों को कार्यक्रम के तहत पंजीकृत किसानों को आवश्यकता आधारित 2480 टेक्स्ट और 375 वॉइस मैसेज भेजे गए।

B. मेघालय में मोबाइल आधारित कृषि सलाहकार प्रणाली - 1917iTEAMS

डीआईसी ने किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए अपने एकीकृत कार्यक्रम के साथ आईआईडीएस के कार्यान्वयन के लिए मेघालय सरकार (जीओएम) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए यानी कि 1917iTEAMS पर। GoM ने DIC के IIDS2.0 प्लेटफॉर्म का उपयोग करके शिलांग में 45 सीटर कृषि प्रतिक्रिया केंद्र (ARC) की स्थापना की है। इसके मुंबई कार्यालय में स्थापित डीआईसी के मौजूदा संचार बुनियादी ढांचे का उपयोग कार्यक्रम के विस्तार के लिए किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, मेघालय के 58,064 नए किसानों को परियोजना के तहत पंजीकृत किया गया था और इसके साथ ही पंजीकृत किसानों की कुल संख्या 82,187 तक पहुंच गई है। 1917iTEAMS की मदद से किसानों द्वारा पूछे गए 1973 प्रश्नों का जवाब दिया गया। इस अवधि के दौरान, किसानों द्वारा अपनी उपज को खरीदने व बेचने संबंधी 2274 अनुरोध प्राप्त हुए (खरीद - 547 और बिक्री - 1727) और किसानों से प्राप्त अनुरोधों के अनुसार 9,936.34 टन कृषि उपज को 473 यात्राओं में ले जाया गया। आईटी प्लेटफॉर्म (IIDS 2.0) में नई सुविधाएं जोड़कर और बेहतर बनाया गया है जैसे कि टोल फ्री नंबर के ज़रिए किसानों और खरीदारों को पंजीकृत करने की सुविधा, किसानों को अपकी उपज / फसलों के परिवहन के लिए वाहन बुक करने की सुविधा, क्रेता-विक्रेता के बारे में अनुरोध करना और जानकारी साझा करना और कृषि, बागवानी, पशुधन और मत्स्य पालन पर तकनीकी सलाह देना।

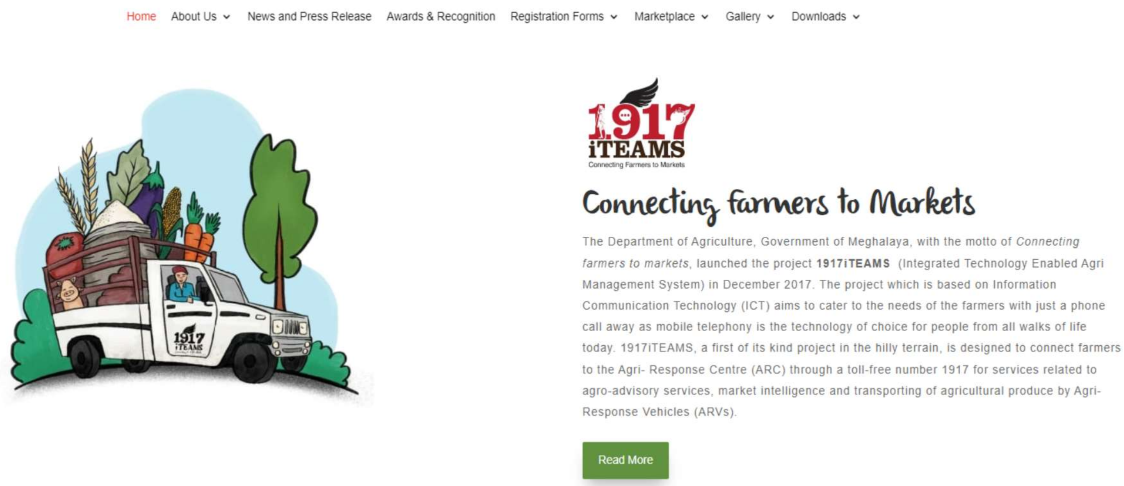

C. **मिजोरम (Ran VulhtuteTian):**

मोबाइल आधारित कृषि-सलाहकार प्रणाली के माध्यम से सही समय पर सही जानकारी प्रदान करके किसानों (विशेष रूप से पशुधन) को सशक्त बनाने के लिए परियोजना पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू), आइजोल, मिजोरम के सहयोग से शुरू की गई है। यह परियोजना ई-गवर्नेंस डिवीजन, MeitY द्वारा समर्थित है। वर्ष के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

Online Training on Agriculture & Horticulture Farming

One Day Awareness Workshop at Kolasib District (Block Bilkhawthlir)

One Day Awareness Workshop at Reiek Village (Mamit District)

One Day Animal Health Camp cum Awareness Workshop at Kolasib District (Thingdwal Block)

वर्ष के दौरान 9 जागरूकता कार्यक्रम; 533 किसानों, 476 किसानों और 278 (21 परियोजना कर्मचारी, 257 किसानों) के साथ 8 स्वास्थ्य शिविर और 4 ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए गए। इस अवधि के दौरान परियोजना के तहत कुल 2882 किसानों ने पंजीकरण कराया। टोल फ्री नंबर पर प्राप्त कुल 5235 कॉल किए गए और पंजीकरण, पूछताछ और परामर्श संबंधी सेवाओं के लिए 9009 आउटबाउंड कॉल किए गए। कृषि और पशुपालन के विभिन्न पहलूओं पर किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में 6965 टेक्स्ट मैसेज (4,05,745 टेक्स्ट एसएमएस) और 132 वॉइस मैसेज (1,78,512 वॉयस एसएमएस) और 6965 ट्रांजेक्शनल मैसेज (पंजीकरण संदेश - 1564, सलाहकार संदेश - 5208, और सूचनात्मक संदेश - 193) दिए गए।

D. त्रिपुरा (मत्स्यवत):

इस परियोजना को मोबाइल आधारित कृषि-सलाहकार प्रणाली की मदद से सही समय पर सही जानकारी प्रदान करके किसानों (विशेष रूप से मत्स्य पालन) को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य पालन कॉलेज, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू), त्रिपुरा के सहयोग से शुरू किया गया है। माह के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

किसानों का पंजीकरण टोल फ्री और फ़ील्ड समन्वयकों के ज़रिए किया गया और वर्ष के दौरान कुल 3574 किसानों का पंजीकरण किया गया। 20 जागरूकता कार्यक्रम मीटिंग, 2 स्वास्थ्य शिविर, 11 ट्रेनिंग क्रमशः 713 किसानों, 88 किसानों और 119 (21 परियोजना कर्मचारी, 98 किसान) के साथ आयोजित किए गए। कृषि और पशुपालन के विभिन्न पहलूओं पर किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में 5625 टेक्सट मैसेज (1094249 एसएमएस) और 88 वॉइस मैसेज (151921 वॉइस एसएमएस) और 5625 लेनदेन मैसेज (पंजीकरण मैसेज - 2466, सलाहकार संदेश - 2927, और सूचनात्मक संदेश - 232) भेजे गए थे। टोल फ्री नंबर 9278 पर 1960 कॉल प्राप्त हुए थे, जिसमें पंजीकरण, सलाह और पूछताछ के उद्देश्य से आउटबाउंड कॉल किए गए थे।

Farmer Scientist Interaction on Matsya Varta Facebook Live on the topic - Management of Biofloc and Aquaculture

Awareness And Sensitisation Programme at Sipai Para Village (Lefunga Block)

Awareness And Sensitisation Programme at Laxmilunga Village (Bamutia Block)

2.5. पूर्वोत्तर भारत के नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए डिजिटल समाधानों का अनुकूलन, संवर्धन और परिनियोजन

एक एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में डीआईसी का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के नागरिकों को खासतौर से किसानों, कारीगरों, बुनकरों और शिक्षकों (विशेष स्कूलों) को उनकी नौकरी को आसान बनाने और उनकी उत्पादकता और आजीविका बढ़ाने के लिए डिजिटल समाधान प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। यह परियोजना कृषि, कढ़ाई और बुनाई और अलग-अलग विकलांगों में आईसीटी के क्षेत्र में डीआईसी तकनीकों / एप्लिकेशन्स को नियोजित करने पर केंद्रित है, जिसमें किसानों, महिलाओं, कढ़ाई कारीगरों, बुनकर और विशेष स्कूलों के शिक्षक को लाभ पहुँचाने के लिए सभी पूर्वोत्तर राज्यों में बड़े पैमाने पर इसका प्रसार करने की बहुत संभावनाएं हैं।

प्रस्तावित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसकी उपयोगिता और क्षमता के आधार पर आवश्यक उपयोग और प्रसार के लिए तीन तकनीकी घटकों की पहचान की गई है।

इन घटकों द्वारा वर्ष के दौरान की गई प्रगति निम्नलिखित है:

- **इंटरैक्टिव सूचना प्रसार प्रणाली (आईआईडीएस):** कृषि संस्थानों और किसानों को सशक्त बनाना

मणिपुर: मोबाइल आधारित कृषि सलाहकार प्रणाली (लुमिसिंगी पाओजेल)

कृषि महाविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल के सहयोग से मोबाइल आधारित कृषि-सलाहकार प्रणाली के ज़रिए सही समय पर सही जानकारी प्रदान करके किसानों को सशक्त बनाने के लिए उप-घटक को अपनाया गया है। इस अवधि के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियाँ की गईं:

किसानों का पंजीकरण टोल फ्री नंबर 1800-102-3141 और फील्ड समन्वयकों के माध्यम से किया गया और कुल 1491 किसानों का पंजीकरण किया गया। 20 जागरूकता कार्यक्रम मीटिंग्स, 2 ट्रेनिंग क्रमशः 867 किसानों और 60 किसानों के साथ आयोजित किए गए। कृषि और पशुपालन के विभिन्न पहलूओं पर किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में 1604 टेक्स्ट मैसेज (33287 एसएमएस) और 2 वॉइस मैसेज (1097 वॉइस एसएमएस) और 1604 लेनदेन मैसेज (पंजीकरण संदेश - 1366, सलाहकार संदेश - 197, और सूचनात्मक संदेश - 41) भेजे गए थे। टोल फ्री नंबर 9278 पर 1960 कॉल प्राप्त हुए थे, जिसमें पंजीकरण, सलाह और पूछताछ के उद्देश्य से आउटबाउंड कॉल किए गए थे।

Awareness and sensitization program at Luwang-sangbam (Imphal East) 26.11.2020

Awareness programme - Scientific cultivation of Oyster mushroom and its value chain management

Awareness program for loumisingi paojel at Achan-bingei, Imphal East

Awareness and Sensitization programme at Wabagai (Kakching Block)

मेघालय: पूर्वोत्तर भारत के किसानों को साक्ष्य आधारित कृषि-सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए आईआईडीएस के साथ फसल स्वास्थ्य आकलन और निगरानी के लिए यूएवी का एकीकरण और एप्लिकेशन (डीएचएबीआरईटी) (DHaBReT)

उप-घटक का उपयोग मेघालय में आईआईडीएस के साथ फसल स्वास्थ्य आकलन और निगरानी के लिए मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) से प्राप्त आंकड़ों के एकीकरण के लिए किया गया है। वर्ष के दौरान, आरजीबी और मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरों का उपयोग करके मेघालय के 3 जिलों के 13 गांवों में यूएवी हवाई सर्वेक्षण शुरू किया गया है। 3डी प्वाइंट क्लाउड, डिजिटल सरफेस मॉडल (डीएसएम), डिजिटल टेरेन मॉडल (डीटीएम) और ऑर्थ मोज़ेक इमेज द्वारा छह पहचानी गई फसलों (गोभी, फूलगोभी, धान, अदरक,

अनानास और हल्दी) का यूएवी डेटा प्रोसेसिंग प्रगति पर है। मॉडल के परीक्षण के लिए 461 किसानों (82 गोभी, 71 फूलगोभी, 89 धान, 91 अदरक, 74 अनानास और 54 हल्दी किसान) को पंजीकृत किया गया था। 6 अलग-अलग गांवों में छह (6) जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं।

मावकरिया गांव, सीआरडीबी मावफलांग, पूर्वी खासी हिल्स में डीएचएबीआरईटी के तहत किसानों का

मौकरिया गांव, सीआरडीबी मावफलांग, पूर्वी खासी हिल्स जिले में लुमसोह्लीव हैमलेट में यूएवी डेटा अधिग्रहण गोभी और फूलगोभी के खेतों का चित्र

- **CAD टूल्स (DigiBunai™ &DigiKadhai):** बुनकरों, डिजाइनरों और कारीगरों को सशक्त बनाना डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, सीएडी (हथकरघा और हस्तशिल्प) के क्षेत्र में अपने एप्लिकेशन्स कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें महिलाओं/डिजाइनरों/बुनकरों को लाभ देने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में बड़े पैमाने पर विस्तार की संभावना है। DigiBunai™ और Chic™ CAD Plus ऐसी तकनीकें हैं, जिन्हें पूर्वोत्तर के संबंधित राज्य (मेघालय, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम) में स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बढ़ाने/अनुकूलित करने की ज़रूरत है।

डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में DigiBunai™ सीएडी सॉफ़्टवेयर पर जागरूकता और ट्रेनिंग सेशन आयोजित करने के लिए टेक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ काम कर रहा है। पूर्वोत्तर के सभी ट्रेनिंग प्रदाताओं, डिजाइनरों, बुनकरों, उद्यमियों और शैक्षिक संस्थानों के लिए जागरूकता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई। परियोजना गतिविधियों को शुरू करने के लिए ऐसे स्थानीय ट्रेनिंग भागीदारों की पहचान की गई है जो मणिपुर और मेघालय के हथकरघा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। DigiBunai™ CATD TOT (ट्रेनर्स की ट्रेनिंग) कार्यक्रम मणिपुर और मेघालय में टेक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल के संबद्ध प्रशिक्षकों के लिए वस्तुतः आयोजित किया गया।

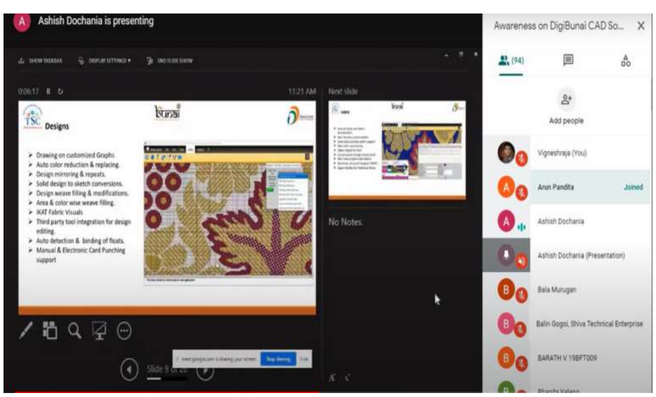

- **पुनर्जनी™ :** विशेष स्कूलों के शिक्षकों और बौद्धिक विकलांग बच्चों को सशक्त बनाना

  परियोजना के निम्नलिखित कार्यान्वयन सहयोगी:
  - उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एनईएसएसी), बारापानी, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार
  - केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू), इम्फाल के तहत 4 एनईआर राज्यों के 4 कॉलेज
  - पूर्वोत्तर क्षेत्र के 6 राज्यों के वस्त्र क्षेत्र कौशल परिषद
  - पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के 18 विशेष स्कूल

  परियोजना की स्थिति निम्नलिखित है:

घटक 1 - आईआईडीएस कार्यान्वयन: पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों की मूल भाषा / बोली में मोबाइल आधारित कृषि सलाहकार सेवाओं का उपयोग करके 'सही समय पर सही जानकारी' प्रदान करने के लिए

उप-घटक

- मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मोबाइल आधारित कृषि सलाहकार प्रणाली (m4agri) का कार्यान्वयन
- मेघालय में पूर्वोत्तर भारत के किसानों को साक्ष्य आधारित कृषि-सलाहकार सेवाएं प्रदान करने में एकीकृत सूचना प्रसार प्रणाली (आईआईडीएस) के साथ फसल स्वास्थ्य आकलन और निगरानी के लिए मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) का एकीकरण और एप्लिकेशन

मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह से COVID-19 महामारी की स्थिति के कारण सितंबर 2020 से शुरू की गई परियोजना गतिविधियाँ। परियोजना गतिविधियों को शुरू करने के लिए भागीदार संस्थानों को व्यवस्थापक अनुमोदन और फ़ंड जारी किया गया है। परियोजना गतिविधियों पर परियोजना भागीदारों को संवेदनशील बनाने के लिए एक परियोजना बैठक आयोजित की गई। सीएयू के कुलपति, निदेशक, एनईएसएसी और वरिष्ठ निदेशक डीआईसी के साथ सभी परियोजना कार्यान्वयन कॉलेजों के डीन और पीआई / सह-पीआई द्वारा मीटिंग रखी गई। परियोजना प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित 2 राज्यों अर्थात मेघालय और मणिपुर में परियोजना गतिविधियाँ शुरू की गईं। सीएयू के सभी कार्यान्वयन कॉलेजों के पीआई के साथ एक समिति का गठन किया गया है, जो आधारभूत मानकों के संचालन और कार्यप्रणाली को अंतिम रूप देगी।

घटक 2 - DigiBunai™ (सीएडी टूल्स): कढ़ाई और बुनाई कारीगरों के लिए आईसीटी संसाधन केंद्रों की स्थापना

COVID-19 महामारी की स्थिति के कारण सितंबर 2020 से परियोजना गतिविधियों की शुरुआत हुई। परियोजना गतिविधियों को शुरू करने के लिए भागीदार संस्थानों को व्यवस्थापक अनुमोदन भेजा गया। संबंधित गतिविधियों के लिए मेघालय मणिपुर, असम और त्रिपुरा में पहले से काम कर रहे कुछ स्थानीय भागीदारों और संस्थानों की पहचान की। मेघालय, मणिपुर, असम और त्रिपुरा में सीएडी प्रयोगशाला स्थापना के लिए स्थानों/संगठनों की पहचान की।

घटक 3 - पुनर्जनी™: बौद्धिक विकलांग (आईडी) वाले बच्चों (6 -18 वर्ष आयु वर्ग) के मूल्यांकन में विशेष शिक्षकों की सहायता करना।

इस परियोजना में विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण, विशेष / समावेशी स्कूलों के लिए आवश्यक हार्डवेयर समर्थन, विशेष शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन और अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 18 विशेष स्कूलों में उपकरण का कार्यान्वयन शामिल है। परियोजना के पहले वर्ष में, उपकरण को असम राज्य के 5 विशेष / समावेशी स्कूलों में लागू किया जाना है।

कोविड-19 के कारण यात्रा और शारीरिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना संभव नहीं हो सका। इसलिए असम राज्य के निम्नलिखित 4 विशेष/समावेशी विद्यालयों के लिए वीडियो टेलीकांफ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं:

- शिशुसरोठी पुनर्वास एवं बहुविकलांगता प्रशिक्षण केंद्र, गुवाहाटी
- प्रेरणा, जोरहाट की स्पास्टिक सोसायटी
- मृणालज्योति पुनर्वास केंद्र, डिब्रूगढ़
- अल्फोंसा स्कूल, बोंगाईगांव

उपकरण का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले स्कूलों/विशेष शिक्षकों के साथ फ़ॉलो अप किए जा रहे हैं।

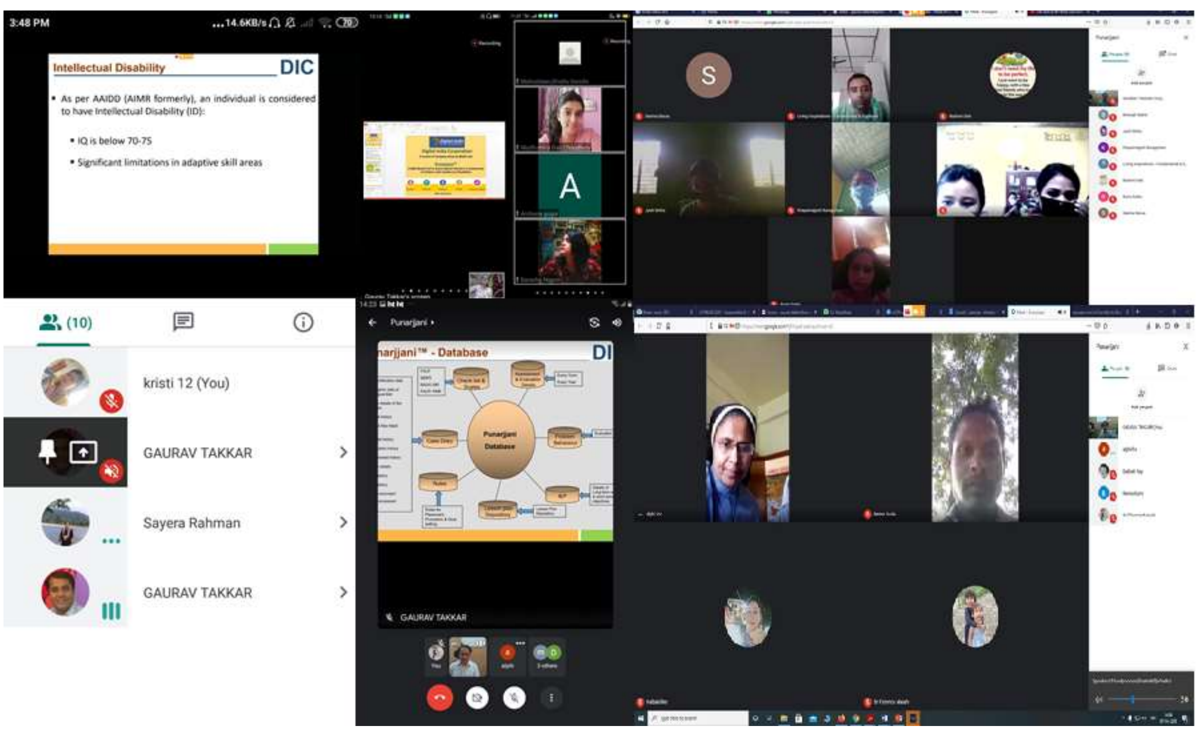

पुनर्जनी पर ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन

2.6. मेघालय इन्फ्रा परियोजना निगरानी पोर्टल (आईपीएमपी)

डीआईसी ने योजना विभाग की आवश्यकता के अनुसार आईसीटी आधारित पहलों के विकास और नियोजन के लिए योजना विभाग, मेघालय सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। डीआईसी ने मेघालय में विभिन्न विभागों में कार्यान्वित की जा रही बुनियादी परियोजनाओं की निगरानी के लिए एमआईएस और डैशबोर्ड विकसित किया है। माननीय सीएम मेघालय को आईपीएमपी

के 'फर्स्ट कट' पर एमडी और सीईओ डीआईसी और जीओएम के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में एक प्रदर्शन दिया गया। आईपीएमपी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- प्रमुख घटक:
    - विभाग से डेटा इनपुट के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)
    - भौतिक और वित्तीय' प्रगति को ट्रैक करने के लिए ड्रिल डाउन विकल्पों के साथ डैशबोर्ड
- वेब आधारित एप्लिकेशन: किसी भी समय कहीं भी पहुंच (मोबाइल उत्तरदायी)
- भूमिका आधारित लॉगिन : एमआईएस और डैशबोर्ड के लिए
- प्रत्येक लॉगिन के लिए अनुकूलित पहुंच - परियोजना के अनुसार / स्थान के अनुसार
- प्रतिनिधित्व
    - ग्राफ़ और चार्ट
    - रिपोर्ट और विश्लेषण
    - परियोजना स्थल छवि / वीडियो
- विभाग/परियोजना प्रभारी द्वारा उठाए गए सुझावों/टिप्पणी और ट्रैक मुद्दों को देने की सुविधा

मेघालय की एसईएमटी टीम ने एमआईएस और डैशबोर्ड के पायलट परीक्षण के लिए 3 विभागों (आईटी और संचार विभाग, खेल और युवा मामलों के विभाग और पीडब्ल्यूडी) से 6 परियोजनाओं को प्रशिक्षित किया है।

2.7. QR कोडित चेक पोस्ट और चालान प्रबंधन प्रणाली (Q3CMS):

Q3CMS की अवधारणा मेघालय सरकार द्वारा खनिजों, सीमेंट, वन उत्पादों, आदि के परिवहन के लिए चालान और चेक-पोस्ट प्रबंधन प्रक्रिया को कारगर बनाने की दृष्टि से तैयार की गई है ताकि एक आईटी-सक्षम एकीकृत प्रणाली के माध्यम से मेघालय राज्य सरकार के लिए राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके। डीआईसी ने QR कोड के माध्यम से डुप्लिकेट या नकली चालान को खत्म करने के उद्देश्य से खनिजों (चूना पत्थर, कोयला और बोल्डर) के लिए QR कोड एप्लिकेशन (2-4 गेट्स के साथ पायलट रन के लिए) विकसित और होस्ट किया है। डीआईसी ने निम्नलिखित विशेषताओं के साथ वेब और मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है:

QR कोड जनरेशन/प्रिंटिंग/जारी करने के लिए वेब एप्लिकेशन

- निम्न के आधार पर QR कोड जेनरेट करें: खनिज / वजन / जारी करने की तिथि और समाप्ति आदि।
    - डैशबोर्ड और रिपोर्ट : डैशबोर्ड पर रीयल-टाइम डेटा और रिपोर्ट जनरेशन
    - उपयोगकर्ता प्रबंधित करें : व्यवस्थापक / विभाग / चेक पोस्ट
    - QR कोड के स्कैन/सत्यापन के लिए मोबाइल ऐप (ऑनलाइन)
- जीआईएस निर्देशांक के साथ चेक पोस्ट पर QR कोड को स्कैन और सत्यापित करने के लिए ऐप
    - यूनिक आईडी के साथ QR कोड को मान्य करने का वैकल्पिक विकल्प (यदि QR रीडर काम नहीं कर रहा है)
    - QR कोड के साथ चेक गेट पर चालान/रसीद/वाहन की तस्वीर ले सकते हैं
    - वाहन विवरण, खनिज परिवहन और वाहन कार्रवाई पृष्ठ दर्ज करना

Q3CMS मोबाइल और वेब एप्लिकेशन को वन विभाग में कार्यान्वित किया गया है और इसे 2 गेटों पर चलाया जा रहा है। लाइमस्टोन और बोल्डर ले जाने वाले 2 गेटों पर कुल 23,675 QR कोड स्कैन किए गए हैं।

2.8. आयुसॉफ्ट - सामग्री प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस)

डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के लिए एक ऑनलाइन सामग्री प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) का कार्यान्वयन शुरू किया है। सीएमएस में एक आयुर्वेद विश्वकोश (पाठ, चित्र, ऑडियो और वीडियो) और आयुर्वेद कीवर्ड (व्युत्पत्ति, परिभाषा, संदर्भ, साहित्यिक अर्थ, निहित अर्थ, विस्तार, पर्यायवाची, एंटोनिम, समकालीन बोलचाल आदि) शामिल होंगे। यह आयुर्वेद चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए मददगार होगा।

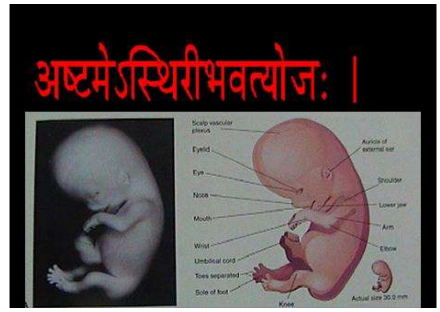

2.9. बसनी, वाराणसी में ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्क

कौशल वृद्धि, उद्यमिता विकास और आईसीटी का उपयोग करके बाजार लिंकेज प्रदान करके महिला सशक्तिकरण के लिए एक ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्क (आरडब्ल्यूटीपी) स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य डिजिटल डिज़ाइन निर्माण, खुदरा प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए शिल्प के लिए सीएडी (कंप्यूटर एडेड डिजाइन) उपकरण के माध्यम से 6,000 से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करना है। वर्ष के दौरान की गई प्रगति इस प्रकार है:

क्रमांक	ट्रेनिंग प्रोग्राम	वर्ष के दौरान लाभार्थी	कुल लाभार्थी
	Chic™ (शिल्प के लिए CAD टूल)	208	437
	रिटेल मैनेजमेंट / EDP	176	284
	खाद्य प्रसंस्करण / संरक्षण	313	513
	स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम	1261	2831
कुल		1958	4065

इसके अलावा, वर्ष के दौरान 270 खाका पैटर्न और 22 तैयार उत्पाद तैयार किए गए हैं।

इस परियोजना को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सहयोग से इसके विज्ञान के लिए इक्विटी, अधिकारिता और विकास (सीड) योजना के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है।

अनुभव के साथ Chic™ का उपयोग करके कढ़ाई डिज़ाइनों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिला कारीगर

2.10. आईसीटी इंटरवेंशन - मिर्जापुर (एक पिछड़ा जिला), उत्तर प्रदेश के मझवा ब्लॉक में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से विकास और आजीविका संवर्धन के लिए आईसीटी इंटरवेंशन।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य जिला मिर्जापुर (एमएसएमई और नाबार्ड द्वारा अधिसूचित एक पिछड़ा जिला) के मझवां ब्लॉक में विकास, आजीविका और ज्ञान वृद्धि के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित समाधान प्रदान करना है। आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित एक संसाधन केंद्र बनाया गया है और इसमें 4500 महिलाओं को Chic™ (कढ़ाई डिजाइनिंग के लिए CAD टूल), खाद्य प्रसंस्करण, किचन गार्डनिंग, डेयरी विकास, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) में प्रशिक्षित / संवेदनशील बनाने के लिए आवश्यक उपकरणों (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) और बुनियादी ढांचे की स्थापना की गई है, जिसमें मल्टीमीडिया सामग्री का उपयोग करके बाजार से जुड़ाव और स्वास्थ्य जागरूकता शामिल है। वर्ष के दौरान की गई प्रगति इस प्रकार है:

क्रमांक	ट्रेनिंग प्रोग्राम	वर्ष के दौरान लाभार्थी	कुल लाभार्थी
	Chic™ (शिल्प के लिए CAD टूल)	185	460
	रिटेल मैनेजमेंट / EDP	54	183
	खाद्य प्रसंस्करण / संरक्षण	330	472
	किचन गार्डनिंग	135	335
	डेयरी विकास	188	233
	स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम	817	1548
कुल		1709	3231

वर्ष के दौरान 143 खाका पैटर्न और 20 से अधिक तैयार उत्पाद तैयार किए गए हैं।

इसके अलावा, कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ भी की गईं:

- **फ़ेसमास्क**ः केंद्रों पर प्रशिक्षित महिला कारीगर तीन परत वाले सूती मास्क (डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के अनुसार) बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित कर रही हैं। महिलाओं को व्हाट्सऐप आदि के माध्यम से मास्क बनाने के लिए प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया गया है।
- **'आरोग्य सेतु':** महिलाओं को 'आरोग्य सेतु' ऐप इंस्टॉल करने के लिए जागरूक और प्रशिक्षित किया गया है।
- **सैनिटाइज़र:** महिलाओं को अपने घर पर सैनिटाइज़र बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही सैनिटाइजर व अन्य जरूरी सामान का वितरण किया गया है।
- **जागरूकता**ः महिलाओं को घर पर ही अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष की सलाह के बारे में जागरूक किया गया है।

महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में सशक्तिकरण के लिए आईसीटी आधारित क्षमता निर्माण महाराष्ट्र के लातूर जिले में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित है।

महाराष्ट्र के लातूर जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में सशक्तिकरण के लिए आईसीटी आधारित क्षमता निर्माण।

यह परियोजना महाराष्ट्र के लातूर जिले में आईसीटी के माध्यम से स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। परियोजना का उद्देश्य महाराष्ट्र के लातूर जिले में 2000 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और लड़कियों को आईसीटी का प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना है (ए) महिला उद्यमिता विकास के लिए एक आईसीटी संसाधन केंद्र की स्थापना, (बी) डिजिटल उपकरणों का निर्माण और ई-वित्तपोषण, ई-कॉमर्स, ई-मार्केट आदि के क्षेत्र में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए तकनीकें और (सी) निवारक स्वास्थ्य जागरूकता प्रदान करने के लिए आरोग्य-सखी मॉडल की स्थापना। केंद्र सूक्ष्म उद्यम इकाइयों के विस्तार या स्थापना के लिए उद्यमशीलता नेतृत्व और

दीर्घकालिक स्थिरता, डोमेन विशिष्ट ज्ञान और बीज-निधि पूंजी (चुनिंदा लाभार्थियों के लिए) के लिए लिंकेज के लिए सलाहकारों की पेशकश करेगा।

- 17 महिलाओं ने समूह व्यवसाय शुरू किया और 156 महिलाओं ने अपना व्यक्तिगत व्यवसाय शुरू किया। उमंग निर्माता समूह: 10 महिला समूह का एन.बी. का 'जवासाई भुना हुआ सन बीज' व्यवसाय। गारमेंट्स ग्रुप - एन.बी. गारमेंट्स एंड टेलरिंग एंड सीएससी- कॉमन सर्विस सेंटर। 8 उद्यम पंजीकरण और 2 खाद्य लाइसेंस।
- 1102 प्रतिभागियों के साथ 128 उद्यमिता क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। मॉड्यूल प्रेरणा, लक्ष्य निर्धारण, एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण, व्यापार विचार निर्माण, बाजार एक्सपोजर और हैंडहोल्डिंग समर्थन पर कार्यक्रम के माध्यम से महिला उद्यमी क्षमता का विकास किया गया।

आईसीटी क्षमता निर्माण कार्यक्रम

स्वास्थ्य जागरूकता और स्क्रीनिंग

- बाजार अध्ययन और बाजार लिंकेज रणनीति, कच्चे माल की खरीद, प्रचार, विज्ञापन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग आदि पर सहायता दी गई।
- बैंक खाता खोलने, जमा करने, निकासी, पासबुक, खाता लाभ, Google पे और स्वास्थ्य जागरूकता (सैफ़किन) पर एनिमेशन वीडियो बनाए गए। मोबाइल ऐप, प्ले स्टोर, माई बिल, ज़ूम, गूगल मैप आदि की डिजिटल जानकारी प्रदान की गई।

- 2144 महिलाओं को स्वास्थ्य जागरूकता प्रदान की गई और बीपी, शरीर के तापमान, पल्स ऑक्सीमीटर, ईसीजी और वजन का उपयोग कर 583 महिला लाभार्थियों की स्वास्थ्य जांच की गई।

2.11. सेंट्रलाइज्ड सिस्टम फॉर हार्ट रेट वरिएबिलिटी (सीएचआरवी) विश्लेषण प्रणाली

देश भर में स्वास्थ्य पेशेवरों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए और दूरस्थ स्थानों पर एचआरवीए तकनीक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, एम्स (नई दिल्ली) के सहयोग से इस परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। स्वस्थ व्यक्तियों और रोगियों

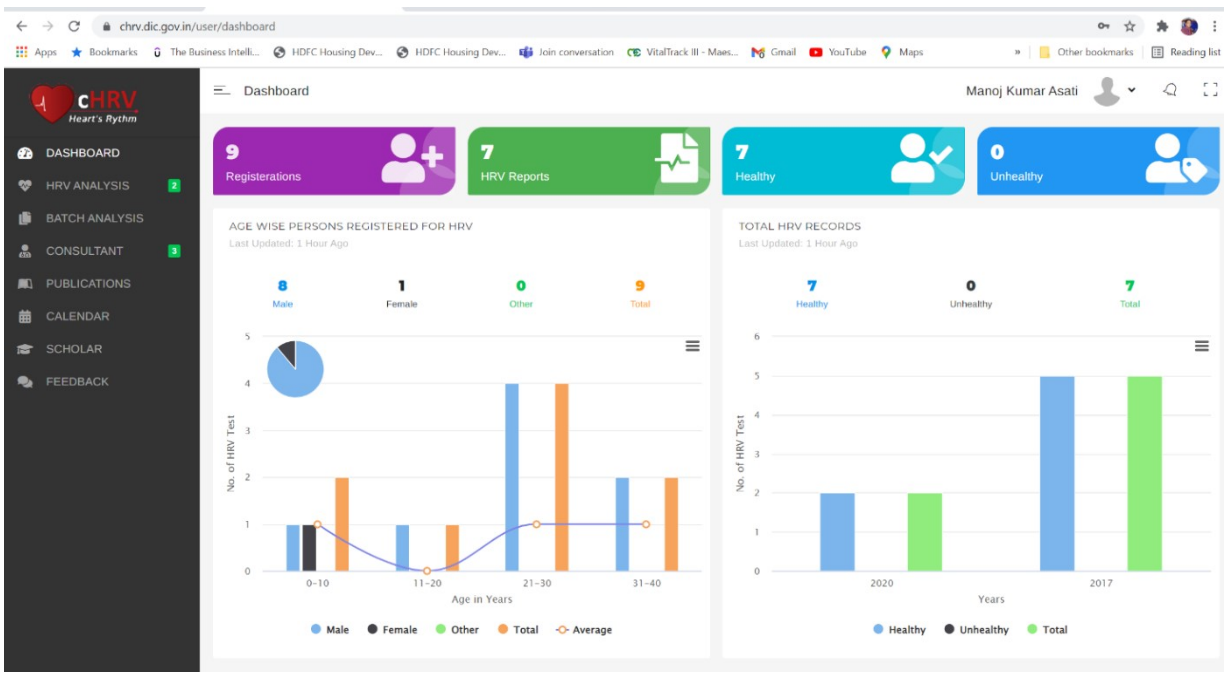

सीएचआरवी डैशबोर्ड

में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के उतार-चढ़ाव की भूमिका का आकलन करने के लिए एचआरवी एक महत्वपूर्ण मानव शरीर प्रदर्शन संकेतक है। यह पारंपरिक रिस्क फैक्टर्स द्वारा प्रदान की गई जानकारी से परे पूर्वानुमान संबंधी जानकारी प्रदान करता है। केंद्रीकृत एचआरवी पुनरुत्पादनीय और सहयोगात्मक अनुसंधान मंच के माध्यम से चिकित्सा समुदाय को सशक्त बनाता है। यह प्रणाली बेंचमार्किंग, क्लीनिकल यूटिलिटी और नीति निर्माण के लिए एचआरवी और सम्बंधित स्वास्थ्य पर डेटाबेस बनाती है।

वर्ष के दौरान, इस सिस्टम को उपयोगकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर कस्टमाइज किया गया है। इस एप्लिकेशन में उपयोगकर्ता और एडमिन दोनों को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक मॉड्यूल को विकसित और एकीकृत किया गया है। सीएचआरवी एप्लिकेशन को होस्ट करने के लिए सभी आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि NodeJS एनवायरनमेंट का सेटअप, ExpressJS API सर्वर, Apache वेब सर्वर में प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्शन मोड में एंगुलर ऐप का निर्माण, MySQL डेटाबेस से सभी माइग्रेट किए गए डेटा के साथ mongoDB सेटअप का निष्पादन कर लिया गया है। नए रूप और सभी कार्यात्मकताओं के साथ cHRV एप्लिकेशन को मुंबई सर्वर पर (सभी निर्भरताओं के साथ) होस्ट कर लिया गया है। चिकित्सा अनुसंधान और क्लीनिकल उद्देश्य के लिए एप्लीकेशन को https://chrv.dic.gov.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। अब तक देश भर में 128 डॉक्टर और शोधकर्ता इस प्रणाली के साथ पंजीकृत हो चुके हैं।

2.12. श्रवण बाधित बच्चों के लिए विजुअल स्पीच ट्रेनिंग सिस्टम (वीएसटीएस)

MeitY के सहयोग से यह परियोजना IIT बॉम्बे और AYJ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसएबिलिटीज, मुंबई द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य श्रवण बाधित बच्चों के लिए कंप्यूटर और मोबाइल आधारित VSTS-2 विकसित करना है। वर्ष के दौरान, VSTS-2a और VSTS-2b ऍप्लिकेशन्स को विकसित किया गया।

VSTS-2a में निम्न फीचर्स हैं: (ए) सिग्नल एक्वीजीशन पैनल उपयोगकर्ता को रियल टाइम में रिकॉर्डिंग स्पीच सिग्नल को लोड या रिकॉर्ड करने और मैटप्लोटलिब ग्राफ पर वेव के रूप में प्लॉटिंग करने की सुविधा देता है (बी) एनालिसिस पैनल स्वर और स्वर जैसे ध्वनि सिग्नल का विश्लेषण करने के लिए बैकएंड पर प्रोसेसिंग इंजन चलाता है (सी) एनीमेशन हेतु ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एनिमेशन पैनल एक सिंगल डेवलपमेंट प्लेटफार्म का उपयोग करता है जो कि स्पीच ट्रेनिंग के लिए और विजुअल फीडबैक की प्रभावशीलता में सुधार के लिए प्रोसेसिंग की गति तेज करता है। VSTS-2a की उपयोगिता समझाने के लिए इसे 110 उपयोगकर्ताओं के बीच ऑनलाइन प्रदर्शित किया गया है।

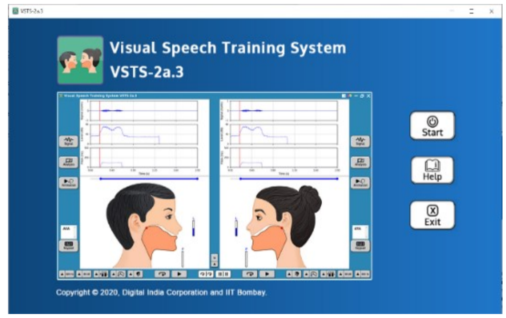

वेलकम स्क्रीन VSTS-2a

VSTS-2b में निम्न फीचर्स हैं: (ए) सिग्नल एक्वीजीशन पैनल उपयोगकर्ता को OpenCV लाइब्रेरी की मदद से लाइव स्ट्रीम वीडियो रिकॉर्डिंग को लोड या रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है (बी) एनालिसिस पैनल स्वर और स्वर जैसे ध्वनि सिग्नल का विश्लेषण करने के लिए बैकएंड पर प्रोसेसिंग इंजन चलाता है (सी) एनीमेशन पैनल का उपयोग स्पीच ट्रेनिंग हेतु विजुअल फीडबैक प्रदान करने के लिए और वीडियो फ्रेम के साथ एनीमेशन हेतु ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। वीडियो और ऑडियो को 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड और 20 सेकंड की देरी से चलाया जा सकता है।

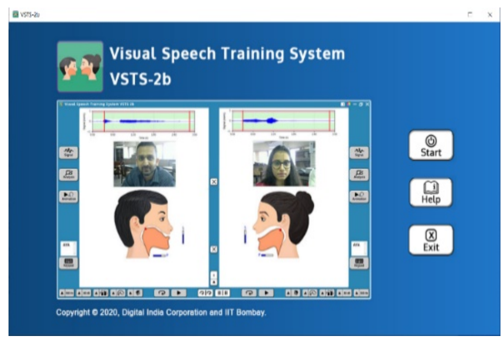

वेलकम स्क्रीन VSTS-2b

पब्लिकेशंस: जर्नल पेपर्स: 1 (आईईईई / जेएसटीएसपी) + 3 (समीक्षाधीन), कांफ्रेंस पेपर्स: 5 (डब्ल्यूएचएससीआर-2019, आईईईई/आईसीएएसएसपी-2020, इंटरस्पीच-2021, एनसीसी-2021 (2)), पेटेंट आवेदन: 1 (इंडियन, पीसीटी, यूएस)

2.13. इंटरैक्टिव मोबाइल इनेबल्ड सेंट्रलाइज्ड रिमोट आई केयर डिलीवरी सिस्टम

भारत में रिमोट आई केयर डिलीवरी को सुदृढ़ करने हेतु MeitY के सहयोग से यह परियोजना डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन और PBMA के एचवी देसाई आई हॉस्पिटल द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य एक इंटरैक्टिव मोबाइल इनेबल्ड सेंट्रलाइज्ड रिमोट आई केयर डिलीवरी सिस्टम विकसित करना है जो कि पूरे देश में उपयोगकर्ताओं के अनुकूल, सस्ती और प्रतिकृति योग्य प्रणाली होगी। इसके अलावा, इसका उद्देश्य समुदाय के स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न एंड्रॉइड मोबाइल ऐप तैयार करना है।

a) सिटीजन मोबाइल ऐप: ऐप बनाने का काम पूरा हो चूका है, प्रमुख मॉड्यूल्स में नेत्र सम्बंधित लक्षण, नेत्र रोग, मिथक और गलत धारणा, लक्षणों कि जांच, उपचार के लिए सहायता और सामान्य नेत्र देखभाल शामिल हैं। होम पेज और मॉड्यूल्स जैसे कि नेत्र सम्बंधित लक्षण, योजनाएं और सहायता, मिथक और गलत धारणा विकसित कर लिए गए हैं। शेष मॉड्यूल्स का विकास प्रगति पर है।
b) विजन गार्जियन मोबाइल ऐप: ऐप बनाने का काम पूरा हो चुका है। एप्लीकेशन का डिजाइन और विकास हो चुका है। ऐप के प्रमुख मॉड्यूल्स में उपयोगकर्ता पंजीकरण और लॉगिन, रोगी पंजीकरण, जांच, रेफरल, जागरूकता, योजनाएं और

आईकेयर शामिल हैं। विजन गार्जियन मोबाइल ऐप का शुरुआती परीक्षण प्रगति पर है। ऐप को पीआरएसजी के सदस्यों को दिखाया जा चुका है और इसे फीडबैक के लिए उनके साथ साझा किया जाएगा।

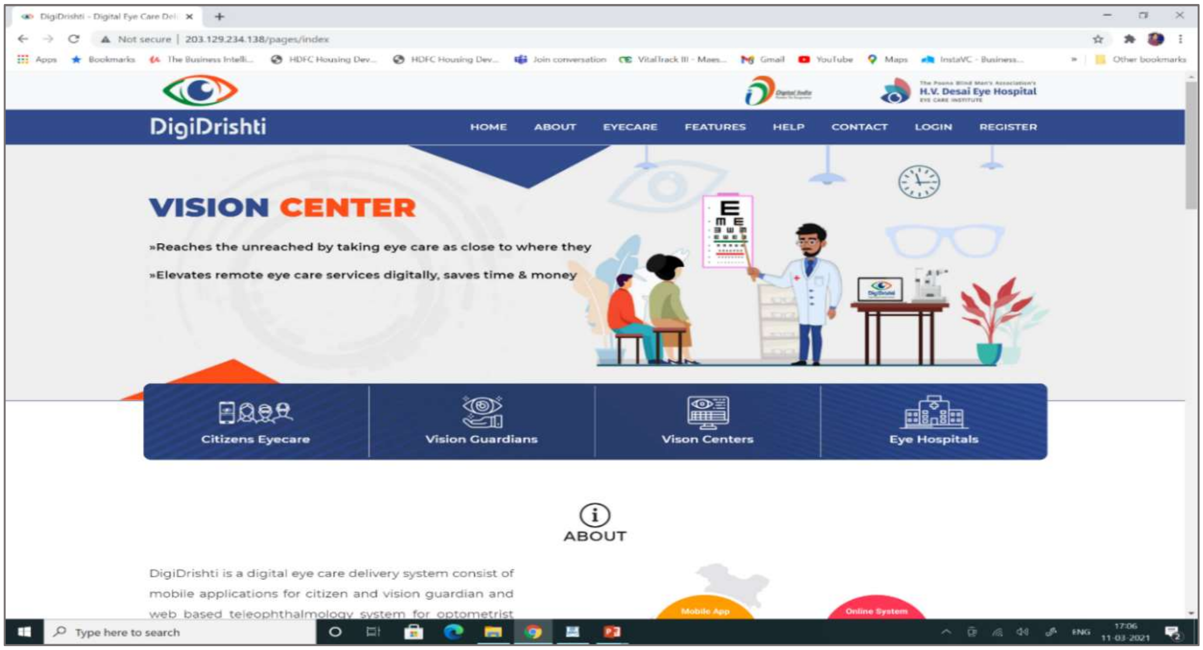

DigiDrishti - वेब एप्लीकेशन

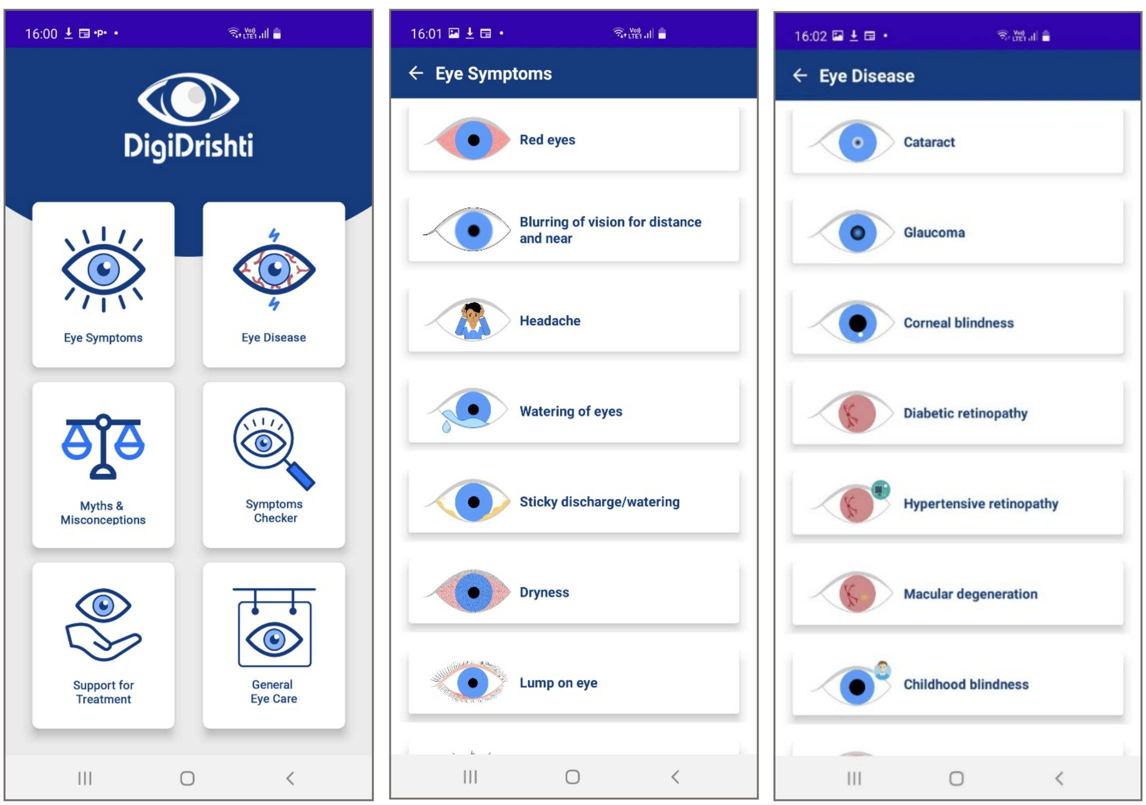

सिटीजन और विज़न गार्जियन मोबाइल ऍप्स

c) DigiDrishti- डिजिटल आई केयर डिलीवरी सिस्टम: विभिन्न उपयोगकर्ता जैसे कि नेत्र रोग विशेषज्ञ, ऑप्टोमेट्रिस्ट, विजन सेंटर असिस्टेंट और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए कंटेंट तैयार किया गया। एप्लिकेशन के डिजाइन और विकास के मद्देनज़र प्रोजेक्ट की जानकारी के साथ विस्तृत होम पेज पूरा कर लिया गया है, ऑप्टोमेट्रिस्ट यूजर प्रोफाइल बना ली गयी है और अन्य मॉड्यूल पर काम प्रगति पर है।

2.14. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना

MeitY ने डीआईसी को इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) और आईटी / आईटी इनेबल्ड सर्विसेज (आईटीईएस) क्षेत्रों में पीएचडी की संख्या बढ़ाने के लिए योजना के कार्यान्वयन का काम सौंपा है। चरण- I का उद्देश्य ईएसडीएम और आईटी / आईटीईएस में 3,000 अतिरिक्त पीएचडी छात्रों (1,000 पूर्णकालिक + 2,000 अंशकालिक) की सहायता करना और 200 युवा फैकल्टी के अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्य को प्रोत्साहित करना था।

"विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना, चरण- I" के तहत वित्तीय घटक

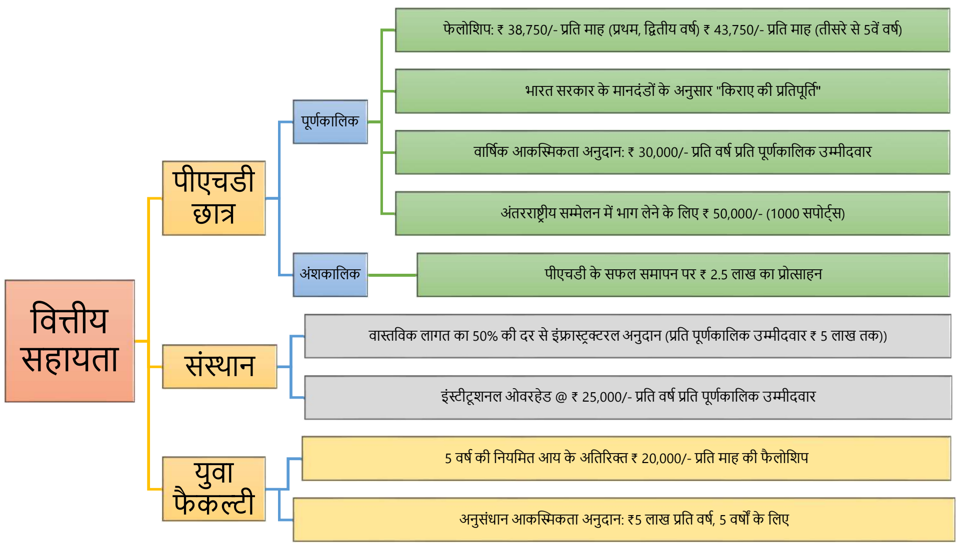

योजना के पहले चरण के कार्यान्वयन की स्थिति:

- 25 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 97 संस्थानों (आईआईटी, एनआईटी, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों आदि) को 1076 पूर्णकालिक और 746 अंशकालिक पीएचडी सीटें आवंटित की गईं।
- 561 पूर्णकालिक और 274 अंशकालिक अध्येता पीएचडी कर रहे हैं
- 396 पीएचडी अध्येताओं ने थीसिस जमा कर दी है
- पीएचडी और वाईएफआरएफ अध्येताओं द्वारा 4515 शोध पत्र प्रकाशित कर दिए गए हैं
- 59 पेटेंट रिपोर्ट कर लिए गए हैं
- शोध की गुणवत्ता के आकलन हेतु पीएचडी अध्येताओं के लिए 5 कार्यशालाएं और वाईएफआरएफ अध्येताओं के लिए 3 कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- यह योजना संस्थानों को प्रयोगशाला, उपकरण आदि के उन्नयन/निर्माण में मदद कर रही है; और ईएसडीएम और आईटी / आईटीईएस क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास और बौद्धिक संपदा के निर्माण के लिए छात्रों और वाईएफआरएफ शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने में और अनुसंधान गतिविधि में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

योजना के चरण- II में 1000 पूर्णकालिक पीएचडी उम्मीदवारों, 150 अंशकालिक पीएचडी उम्मीदवारों, 50 वाईएफआर फैलोशिप्स और 225 पोस्ट-डॉक्टरल फैलोशिप्स की सहायता करने की योजना बनाई गई है।

3. नेशनल ई-गवर्नन्स डिवीज़न (एनईजीडी)

3.1. डिजिलॉकर (DigiLocker)

डिजिलॉकर भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। यह डिजिटल इंडिया के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाना और एक बौद्धिक अर्थव्यवस्था में बदलना है। डिजिलॉकर नागरिकों को एक सार्वजनिक क्लाउड पर सुरक्षित रूप से दस्तावेज़ एक्सेस करने का प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जो कि डिजिटल इंडिया के विजन क्षेत्रों के अनुरूप है।

डिजिलॉकर कागज रहित गवर्नेंस के आईडिया पर आधारित है। डिजिलॉकर दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को डिजिटल रूप सेजारी करने और उनके सत्यापन के लिए एक मंच है, जो कि भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम/समाप्त करता है। डिजिलॉकर ने पेपरलेस गवर्नेंस की दिशा में एक आदर्श बदलाव लाने में मदद की है, यानी कि इसने नागरिकों और विभागों को पेपर-आधारित प्रक्रियाओं से पेपरलेस प्रक्रियाओं की तरफ जाने में मदद की है जिससे माननीय प्रधान मंत्री के डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण में योगदान देने में मदद मिली है। कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

पिछले पांच वर्षों में, डिजिलॉकर ने नागरिकों को महत्वपूर्ण पहचान, शैक्षिक, परिवहन, वित्तीय और नगरपालिका दस्तावेज डिजिटल वॉलेट के रूप में देने के लिए कड़ी मेहनत की है, जिसे वे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश की आम जनता को 463 करोड़ से अधिक वास्तविक दस्तावेज उपलब्ध कराए दिए गए हैं।

- 1527 जारीकर्ताओं की ओर से कुल मिलाकर 463 करोड़ से अधिक दस्तावेज नागरिकों को उपलब्ध कराए गए हैं।
- डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म किसी भी आपदा की स्थिति में वरदान के रूप में काम कर सकते हैं। केरल बाढ़ के मामले में इसका एक सफल उदाहरण देखने को मिला जिसमें आईटी विभाग ने बाढ़ के दौरान केरल के निवासियों को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किये।
- देश भर के छात्रों को स्कूल बोर्ड से लेकर उच्च शिक्षा सम्बंधित 42 करोड़ से अधिक शैक्षिक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए।
- नागरिकों को डिजिटल डीएल/आरसी उपलब्ध कराया जाता है और इंफोर्स्मेंट अधिकारियों द्वारा ऐसे दस्तावेजों की स्वीकृति होने पर परिवहन विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है।

डिजिलॉकर के माध्यम से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों को अब हवाई अड्डों में, रेलवे में और यातायात पुलिस और इंफोर्स्मेंट एजेंसियों द्वारा डिजिटल रूप में स्वीकार किया जाता है।

9 दिसंबर 2021 तक के मौज़ूदा आँकड़े इस प्रकार हैं:

Users	Issued Documents	Issuers	Requestors
88.75 Million	4.63 Billion	1527	286

देश भर में डिजिटल लॉकर के कॉन्सेप्ट के प्रसार के लिए, कई सार्वजनिक और निजी संस्थाओं को डिजिटल लॉकर पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होने की आवश्यकता होगी। MeitY ने डिजिलॉकर सिस्टम के उपयोग में तेजी लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान करने वाले बिचौलियों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण) नियम 2016 की घोषणा की है। इन विनियमों का उद्देश्य है:

- कागज रहित गवर्नेंस को सक्षम बनाने हेतु डिजिटल दस्तावेजों के उपयोग के लिए एक आदर्श माहौल बनाना
- सार्वजनिक और निजी संस्थाओं में सभी सेवा प्रदाताओं के लिए समान अवसर

- जारीकर्ता और अनुरोधकर्ता का विश्वास बढ़ाने के लिए आईटी अधिनियम के तहत कानूनी विश्वसनीयता बनाना
- बड़े डिजिलॉकर फुटप्रिंट के निर्माण में तेजी लाना

Legal Status

Issued Documents from DigiLocker are at par with original documents in paper format*

*As per the Information Technology (Preservation and Retention of Information by Intermediaries Providing Digital Locker Facilities) Rules, 2016 notified under IT Act 2000 in July 2016.

उपयोग के उल्लेखनीय उदाहरण:

शिक्षा

- 1000+ उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्रीय बोर्डों के साथ-साथ 28 से अधिक राज्य शैक्षिक बोर्डों की ओर से 42 करोड़ से अधिक प्रामाणिक डिजिटल शैक्षिक प्रमाण पत्र।
- पिछले 5 वर्षों की सीबीएसई दसवीं और बारहवीं की अंकतालिकाओं का एक ही दिन प्रकाशन
- eSanad (MEA सिस्टम) के डिजिलॉकर रिपोजिटरी के माध्यम से विदेशी विश्वविद्यालययों द्वारा शैक्षणिक दस्तावेजों से सम्बंधित डेटा की पुष्टि।
- उच्च शिक्षा संस्थानों से छात्रों के जुड़ाव को सक्षम करना, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित है। इसे ऐकडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (डिजिलॉकर का एक घटक) नाम की नई परियोजना द्वारा संचालित किया जाता है, जो छात्रों के कौशल और अनुभवों का एक क्रेडिट आधारित प्रणाली के साथ एकीकरण करता है।
- eSanad (MEA सिस्टम) के डिजिलॉकर रिपोजिटरी के माध्यम से विश्वविद्यालययों द्वारा शैक्षणिक दस्तावेजों से सम्बंधित डेटा की पुष्टि।

यातायात

- डिजिलॉकर मोबाइल ऐप के माध्यम से डीएल और आरसी दिखाने के लिए ड्राइवरों द्वारा पूरे देश में उपयोग

रेलवे और हवाई अड्डे

- यात्री सत्यापन के लिए डिजिलॉकर निर्मित आईडी की पूरे भारत में स्वीकृति

बीएफएसआई/ऑनलाइन ब्रोकरेज/फिनटेक

- वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग): G.S.R. 582(E) के माध्यम से डिजिटल केवाईसी दस्तावेज़ स्वीकार करने के लिए धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 में संशोधन।
- दस्तावेज़ सत्यापन करने के लिए कई प्लेटफॉर्म्स द्वारा डिजिलॉकर का उपयोग

केरल बाढ़ पुनर्वास

- बाढ़ के बाद केरल सरकार ने डिजिलॉकर के साथ नए विभागों के एकीकरण को तेजी से लागू किया जिनकी संख्या अब 36 है जो कि वहां के निवासियों को महत्वपूर्ण दस्तावेजों की पहचान करने और दावा करने की सुविधा देता है

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित एजेंसियों ने भी डिजिलॉकर का भरपूर उपयोग किया है:

- **शिक्षा मंत्रालय** - डिजिलॉकर को 18 मार्च 2020 को डिजिटल अकादमिक पुरस्कार प्रबंधन के लिए एकमात्र नेशनल ऐकडेमिक डिपाजिटरी (एनएडी) के रूप में सम्मिलित किया गया था।
- **केवाईसी पर आरबीआई का मुख्य निर्देश** - डिजिलॉकर द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों को ग्राहक केवाईसी के रूप में शामिल करना (जनवरी 2020 में)।

- **केवाईसी को लेकर सेबी का परिपत्र** - डिजिलॉकर दस्तावेजों को खाता खोलने की प्रक्रिया में शामिल किया गया (अप्रैल 2020 में)।
- **भारत सरकार के दूरसंचार विभाग** ने एक अधिसूचना जारी की थी कि सेल्फ-केवाईसी (एस-केवाईसी) नए मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए एक वैकल्पिक प्रक्रिया के रूप में है, जिसमें यूआईडीएआई (आधार) या डिजिलॉकर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित दस्तावेजों का उपयोग करके ग्राहकों को मोबाइल कनेक्शन जारी किया जा सकता है।

**Notifications from Government Departments
for Acceptance of DigiLocker Documents**

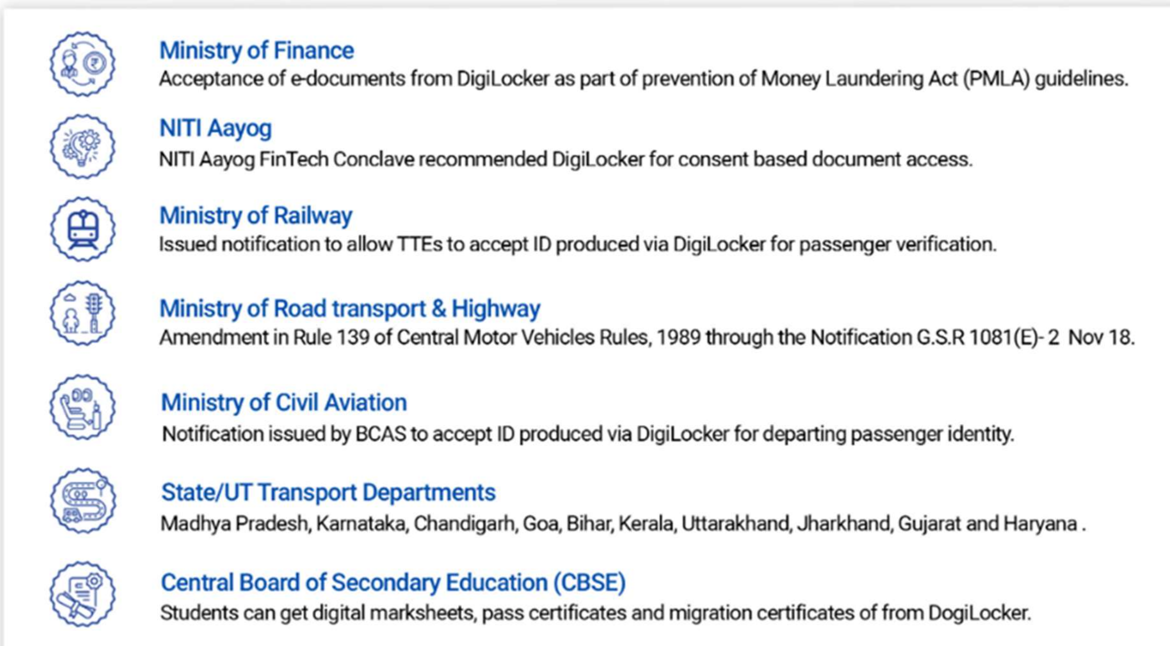

https://digilocker.gov.in पर जाएं

3.2. जागरूकता और संचार

जागरूकता और संचार (A&C) डिजिटल इंडिया का एक अभिन्न अंग है। A&C देश भर में विविध हितधारकों के बीच डिजिटल इंडिया, संबंधित सेवाओं और सेवा वितरण चैनलों के बारे में जागरूकता के स्तर को उत्पन्न करने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। A&C गतिविधियों के मुख्य उद्देश्य हैं:

(i) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और इसकी परियोजनाओं और सेवाओं का विस्तार, नागरिकों के कल्याण के लिए उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए टायर 3 और 4 कस्बों और ग्रामीण इलाकों तक इसकी पहुंच पर जोर देना

(ii) विभिन्न मीडिया- सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी, प्रिंट, आउटडोर मीडिया के माध्यम से भारत सरकार की योजनाओं और डिजिटल इंडिया सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना और इवेंट-बेस्ड प्रचार आदि सहित व्यापक प्रचार करना।

(iii) सेवाओं और योजनाओं के उपयोग और लाभों के बारे में नागरिकों को सूचित, शिक्षित करना, और संचार के माध्यम से अधिक सजग करना

(iv) विश्व स्तर पर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विस्तार करना

a. वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ना

b. उभरती प्रौद्योगिकियों के केंद्र के रूप में भारत की पहचान स्थापित करना (RAISE, उभरती तकनीक/प्रौद्योगिकियों पर वैश्विक सम्मेलन आदि)

(v) विभिन्न प्लेटफॉर्म- मास मीडिया, सोशल मीडिया, ग्रामीण पहुँच आदि के जरिये प्रभावी ब्रांडिंग के माध्यम से "डिजिटल इंडिया" ब्रांड बनाना।

a. सेवाओं को अधिक उपयोग में लाने के लिए विभिन्न सेवाओं के लिए मांग सृजित करना

i. ऐप-आधारित सेवाओं की डाउनलोडिंग में वृद्धि

ii. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक्स में बढ़ोतरी

उपलब्धियां (अप्रैल 2020 - मार्च 2021)

3.2.1. RAISE 2020: 5-9 अक्टूबर, 2020 तक मेगा इवेंट RAISE 2020 (रेस्पोंसिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट) वर्चुअल समिट का आयोजन और इवेंट मैनेजमेंट। RAISE 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपनी तरह की पहली वैश्विक बैठक थी जिसने जिम्मेदार एआई के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन, समावेश और सशक्तिकरण को लेकर भारत के दृष्टिकोण और रोडमैप को आगे बढ़ाया। एनईजीडी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वैश्विक उद्योग के लीडर्स, प्रमुख ओपिनियन मेकर्स, सरकारी प्रतिनिधियों और शिक्षाविदों की उम्दा भागीदारी देखी गई। RAISE 2020 में 21 देशों के 321 वक्ताओं की मौजूदगी में रेस्पोंसिबल AI पर 85 घंटे से अधिक अवधि के 48 से अधिक सत्र आयोजित किये गए। इस शिखर सम्मेलन के लिए 147 देशों के 79,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया। "RAISE 2020" की व्यापक गतिविधियों में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं):

- कार्यक्रम की योजना और समयसीमा के अनुसार तैयारी
- RAISE 2020 के लिए स्पीकर मैनेजमेंट: विभिन्न सत्रों के लिए वक्ताओं का चयन, 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए सत्र डिजाइन करना; सत्र और उनका ढांचा तैयार करने के लिए इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ समन्वय
- वेबसाइट ई-कंटेंट और सोशल मीडिया प्री-इवेंट के लिए और इवेंट प्रमोशन के दौरान वक्ताओं की प्रोफाइल, फोटो और अन्य विवरण मैनेज करना
- RAISE 2020 के लिए सोशल मीडिया और पीआर एजेंसियों का चयन
- RAISE 2020 के लिए सोशल मीडिया क्रिएटिव्स और लघु फिल्में
- RAISE 2020 के लिए जनसंपर्क (पीआर) और सोशल मीडिया प्रबंधन
- सत्र रिपोर्ट तैयार करना, बिल प्रसंस्करण और विक्रेता भुगतान
- सभी ब्रांडिंग डिज़ाइन - वेब बैनर, ई-मेलर, प्रमाणपत्र, वीडियो ग्राफिक्स, वर्चुअल बैनर आदि।

3.2.2. डिजिटल इंडिया के 5 वर्ष: डिजिटल इंडिया के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, 1 जुलाई, 2020 को एक वर्चुअल मेगा इवेंट का आयोजन किया गया । उक्त कार्यक्रम में, माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, संचार और कानून और न्याय मंत्री, श्री रविशंकर प्रसाद ने एक वीडियो स्पॉट के माध्यम से उमंग ऐप के एक नए संस्करण की शुरुआत की, जिसमें इसकी नई सुविधाओं, सेवाओं, लाभों पर प्रकाश डाला गया। माननीय मंत्री ने डिजिटल इंडिया के तहत सेवाओं पर एक ई-बुक भी लॉन्च की और उद्योग जगत के लोगों, शिक्षाविदों और सरकार के प्रतिष्ठित अधिकारियों के साथ एक पैनल चर्चा की अध्यक्षता भी की। व्यापक गतिविधियों में निम्नलिखित चीजें शामिल थीं:

- डिजिटल इंडिया के 5 साल पूरे होने पर फिल्म निर्माण
- उमंग पर एक वीडियो स्पॉट (इसके नए स्वरुप में नई सुविधाओं, सेवाओं और लाभों पर प्रकाश डालते हुए)
- "डिजिटल इंडिया के 5 वर्ष" पर ईबुक

3.2.3. आत्म निर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज 2020: मई, 2020 में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया, जो कि स्वदेशी आंदोलन के लोकाचार का प्रतिध्वनित करता है। इसके जवाब में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी

मंत्रालय ने अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग के सहयोग से 'डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज' शुरू किया, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 4 जुलाई, 2020 को लॉन्च किया गया। इस चैलेंज को लेकर न केवल मेट्रो शहरों से बल्कि टायर II और टायर III शहरों से भी देश भर के 6,940 टेक उद्यमियों और स्टार्ट-अप्स की भागीदारी देखी गयी। इसे लेकर एंट्रीज 9 अलग-अलग श्रेणियों में थीं, जैसे कि व्यवसाय, ई-लर्निंग, मनोरंजन, खेल, स्वास्थ्य, समाचार, कार्यालय और घर से काम, अन्य। एंट्रीज का मूल्यांकन करने के लिए उद्योग जगत, स्टार्ट-अप, अकादमिक और सरकार से जुडी कुछ बेहतरीन प्रतिभाओं के एक प्रतिष्ठित जूरी पैनल का गठन किया गया । इनोवेटिव ऐप्स का मूल्यांकन सुदृढ़ता, मापनीयता, सुरक्षा और उपयोग में आसानी के मानकों पर किया गया था। 7 अगस्त, 2020 को, टॉप परफॉर्मर्स ने मेगा हैकाथॉन के माध्यम से अपने सोलूशन्स को जूरी के सामने रखा, जिसे MyGov India प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया गया। इसके साथ ही, MyGov India ने भारत के नागरिकों के लिए अपने पसंदीदा ऐप्स के लिए वोट करने और इसे सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए 7 अगस्त को ही पीपुल्स च्वाइस पोल शुरू किया। यह पोल जनता के लिए 15 अगस्त, 2020 तक वोट करने के लिए खुला था।

A&C ने निम्न कार्य किये:

- एंट्रीज का मूल्यांकन
- सत्रों का समन्वय और मॉडरेशन
- ग्रैंड फिनाले के लिए मॉडरेटिंग

3.2.4. गणतंत्र दिवस परेड 2021 की झांकी: एनईजीडी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2021 में भाग लिया था और **डिजिटल भारत**, **आत्मानिर्भर भारत** की थीम पर आधारित एक झांकी का प्रदर्शन किया था। पिछले कुछ सालों में, डिजिटल इंडिया अपने सिद्धांत "सशक्त समाज" के साथ न केवल सभी के लिए डिजिटल मोड में सार्वजनिक सेवाओं को सक्षम कर रहा है, बल्कि इससे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में वृद्धि हुई है और स्टार्टअप्स और टेक-उद्यमियों को ऐसे उत्पाद बनाने में बढ़ावा मिला है जो भारत में डिज़ाइन किए गए हैं और पूरी दुनिया में प्रचार किए जाने की क्षमता रखते हैं। आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर आदि जैसी प्रमुख डिजिटल इंडिया पहलों ने बुनियादी आधार बनाने में मदद की है, जिस पर सभी विभागों की डिजिटल सेवाओं को पूरे भारत की अवधारणा पर एकीकृत तरीके से वितरित किया जा सकता है। "आत्मनिर्भर भारत" की थीम के तहत, MeitY स्टार्टअप्स और टेक एंटरप्रेन्योर्स को ऐसे ऐप और उत्पाद बनाने में मदद कर रहा है जो दुनिया के सबसे अच्छे ऐप और उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। पीएलआई योजना के साथ, भारत मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में उभरा है। इस प्रकार डिजिटल इंडिया झांकी ने डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के साथ-साथ अन्य उभरती तकनीकों में नई पद्धति को सक्षम करने में भारत की शक्ति का प्रदर्शन किया। MeitY की डायनैमिक 3-आयामी झांकी के ट्रैक्टर सेक्शन को एआई रोबोट के 3डी मॉडल से सजाया गया था, जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से प्रेरित डिजिटल क्रांति को दर्शाता है। एआई रोबोट के कंधे विशाल पहियों से बने हैं जो एक आत्मनिर्भर भारत की आगे की गति को दर्शाते हैं। रोबोट का शरीर दुनिया के 63 वें सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, परम सुपर कंप्यूटर द्वारा संचालित था, जिसे भारत में डिज़ाइन किया गया था। ट्रेलर सेक्शन को इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह सामने एआई रोबोट द्वारा संचालित चेसिस पर टिकी हुई है, जिसमें एलईडी दीवारें ट्रॉली के दोनों किनारों पर गतिशील सामग्री प्रदर्शित करती हैं। सामने के हिस्से में, एक मोबाइल फ़ोन लिए किसान सटीक खेती के लिए एआई संचालित ड्रोन को नियंत्रित करते हुए दिखाया गया है। इसके आगे, सीएससी और पीएम के ई-स्कॉलरशिप प्रोग्राम को दर्शाया गया है। एक घूमने वाले प्लेटफॉर्म पर, भीम यूपीआई, ई-संजीवनी, मोबाइल गवर्नेंस और मोबाइल निर्माण का चित्रण करने वाले एक आधुनिक सर्किट को बड़े सेल फ़ोन स्क्रीन और मानव के साइज़ के पुतले द्वारा दिखाया गया था। घूमने वाले प्लेटफ़ॉर्म के सिर पर एक घूमने वाला पहिया था, जो MEITY द्वारा प्रमुख डिजिटल सेवाओं को उजागर करता है। इस खंड के पीछे, 2 सेवाएं, महामारी के दौरान महत्वपूर्ण, ई-विद्या और ई-ऑफिस, लैपटॉप के माध्यम से दिखाई गईं। ट्रेलर सेक्शन के अंत में, एक आधुनिक रोबोटिक आर्म में 84-इंच का डिस्प्ले है, जो MEITY के तहत सेवाओं के वीडियो चला रहा है। अंतिम छोर में, महामारी के लिए हमारे देश का हीरो, आरोग्य सेतु था। झांकी में भारत के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान- को-विन वैक्सीनेशन पर भी प्रकाश डाला गया।

A&C ने गणतंत्र दिवस की झांकी के लिए निम्नलिखित कार्य किए:

- एजेंसी का चयन
- झांकी का डिज़ाइन और निर्माण
- समीक्षा और प्रेस विज्ञप्ति
- सोशल मीडिया

3.2.5. राष्ट्रीय खिलौना मेला: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और कपड़ा मंत्रालय और हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ने 27 फ़रवरी से 2 मार्च 2021 तक एक राष्ट्रीय खिलौना मेला 2021 का आयोजन किया। NeGD ने राष्ट्रीय खिलौना मेले में भाग लिया। एनईजीडी ने उपरोक्त कार्यक्रम में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए 50 प्रतिभागियों (भारतीय खिलौना निर्माता, स्टार्ट-अप, एमएसएमई, उद्यमी और मालिक) को चुना था। प्रत्येक प्रतिभागी प्रदर्शक को मंत्रालय द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म निःशुल्क प्रदान किया गया।

3.2.6. FICCI वार्षिक एक्सपो (11-14 दिसंबर 2020) में डिजिटल इंडिया पवेलियन: NeGD ने 11, 12 और 14 दिसंबर 2020 को आयोजित FICCI वार्षिक एक्सपो में भाग लिया और डिजिटल इंडिया गतिविधियों और परियोजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक वर्चुअल MeitY स्टाल लगाया। वार्षिक एक्सपो 2020 (एफएई 2020) भारत में अब तक की सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी थी, जिसमें फिक्की वार्षिक सम्मेलन के संयोजन में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

3.2.7. 2020-21 के दौरान की गई गतिविधियाँ

A. सोशल मीडिया

- डिजिटल इंडिया और Meity, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन प्लेटफ़ॉर्म पर भारत सरकार द्वारा की गई मौजूदा और नवीनतम डिजिटल सेवाओं और पहलों का बहुत सावधानी से प्रचार की गई गतिविधियां।
- मंत्रालयों के विशिष्ट ट्रेंडिंग समाचार अपडेट, लॉन्च, योजनाएं आदि नियमित सोशल मीडिया पोस्टिंग के साथ कवर किए गए।
- सक्रिय सरकारी सोशल मीडिया पेजों द्वारा कवर की गई विभिन्न पहलों की क्रॉस प्रचार गतिविधियां।
- तकनीक और एआई विशिष्ट पहलों को #VocalForLocalTech हैशटैग के साथ नियमित आधार पर कवर किया गया।
- सोशल मीडिया चैनलों पर RAISE 2020 का कवरेज –स्टिल क्रिएटिव् की प्रतियों के साथ इवेंट कवरेड, उद्योग के नेताओं के वीडियो प्रशंसापत्र, इवेंट का फेसबुक लाइव कवरेज, लाइव ट्वीटिंग आदि।
- डिजिटल इंडिया पोर्टल क्विज़ (पाक्षिक आधार पर)
- साप्ताहिक सोशल मीडिया कैलेंडर की मदद से सभी चैनलों पर साप्ताहिक सोशल मीडिया ऑर्गेनिक गतिविधियां - स्टिल क्रिएटिव, वीडियो/जीआईएफ सामग्री, वीडियो प्रशंसापत्र, फेसबुक लाइव सत्र, लाइव ट्वीट्स, ऑडियो पॉडकास्ट मीडिया फीड्स, माइक्रो अभियान (सेवा/पहल) आधारित), ट्विटर सवाल व जवाब सेशन्स।
- 2000 से अधिक सोशल मीडिया पोस्ट, मासिक आधार पर डिजिटल इंडिया, MeitY, NeGD, UMANG प्लेटफॉर्म पर किए गए।
- डिजिटल इंडिया/MeitY/UMANG/NeGD के सोशल मीडिया हैंडल (फेसबुक/ट्विटर/इंस्टाग्राम/लिंक्डइन/यूट्यूब) पर चलाए गए कुछ अभियान इस प्रकार हैं:-
  - सामाजिक सशक्तिकरण 2020 के लिए Responsible AI (RAISE 2020)
  - युवाओं के लिए Responsible AI - राष्ट्रीय कार्यक्रम
  - नई शिक्षा नीति 2020
  - कोरोना से लड़ता हुआ भारत (COVID19 एहतियाती उपाय)
  - सेतु मेरा बॉडीगार्ड (आरोग्य सेतु ऐप)

- डिजिटल भारत आत्मा निर्भार भारत (डिजिटल इंडिया के 5 वर्ष)
- आत्मा निर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज
- स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चुनौती
- सीएससी दिवस
- योग दिवस
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजनाएँ लॉन्च (PLI, SPECS और EMC 2.0)
- कोरोना हेल्पलाइन चैटबॉट्स (MyGov Saathi, WhatsApp/Facebook Messenger/Telegram आदि)
- "हैक द क्राइसिस-इंडिया"
- स्वतंत्रता दिवस प्रचार
- UPI चलेगा वीडियो का प्रचार
- AI पर राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ
- क्षमता निर्माण पर एनईजीडी द्वारा आयोजित वेबिनार
- MeitY द्वारा हैकथॉन 'हैक द क्राइसिस इन इंडिया'
- इंडिया आइडिया समिट (डिजिटल तकनीक पर पीएम कवरेज)
- MyGov के 6 वर्ष
- स्थानीय प्रौद्योगिकी के लिए वोकल (तकनीक आधारित स्थानीय पहल)
- बिहार में घर तक फाइबर पहल
- वोकल4हैंडमेड - राष्ट्रीय हथकरघा दिवस
- आत्मानिर्भर कृषि
- 'ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन: ऑनरिंग द ऑनेस्ट का लॉन्च
- स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
- डिजिटल भुगतान-दिवाली, क्रिसमस, नया साल, गणतंत्र दिवस प्रचार
- उमंग के 3 साल
- RAISE 2020 इवेंट कवरेज के वीडियो
- सकारात्मक भारत (शीर्ष 20 सकारात्मक समाचार) नए साल का प्रचार
- पीएम वाणी वाई-फ़ाई लॉन्च
- एनआईसी द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड्स
- पीएम फसल बीमा योजना के पांच साल
- जन आंदोलन (एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा सीएबी
- COVID19 टीकाकरण जागरूकता
- MeitY क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब MoU
- गणतंत्र दिवस डिजिटल कवरेज
- आर्थिक सर्वेक्षण 2021

- डिजिटल इंडिया के फेसबुक पेज का विश्लेषण (दिनांक : 1 जनवरी, 2020 से 7 नवंबर, 2020 तक), प्राप्त किए गए सोशल मीडिया संख्या की एक झलक देने के लिए।

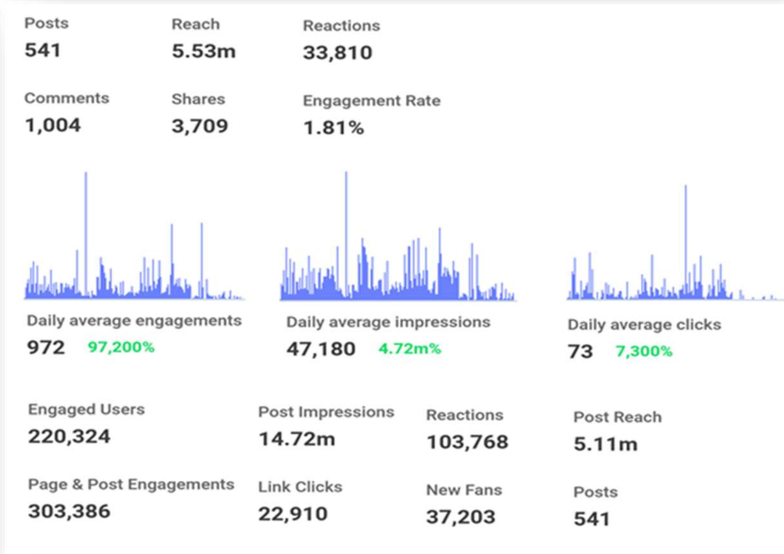

B. प्रिंट मीडिया

- इंडिया टुडे पत्रिका में "डिजिटल इंडिया लीडिंग द वे वे टू आत्मनिर्भर भारत" पर लेख
  - जारी करने की तिथि- 15 अगस्त 2020
  - भाषाएँ- अंग्रेजी

- द वीक मैगज़ीन में "डिजिटल भारत आत्मा निर्भर भारत" पर लेख
  - जारी करने की तिथि- 15 अगस्त, 2020
  - भाषाएँ- अंग्रेजी

- पुस्तिका- डिजिटल इंडिया के 5 वर्ष

C. विशेष परियोजनाएं:

युवाओं के लिए Responsible AI (चालू) - 'युवाओं के लिए Responsible AI ' - सरकारी स्कूलों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम 30 मई, 2020 को माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, संचार और कानून और न्याय मंत्री, श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा शुरू किया गया था। कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के तहत इंटेल इंडिया के सहयोग से एनईजीडी द्वारा की गई एक पहल है। सरकारी स्कूल के छात्रों को उपयुक्त नए युग की तकनीकी मानसिकता, प्रासंगिक कौशल-सेट और आवश्यक टूल-सेट देकर सशक्त बनाने के उद्देश्य से, यह योजना उन्हें समावेशी तरीके से AI जैसी उभरती तकनीकों में प्रशिक्षण देकर उन्हें कुशल भविष्य बनाने में सहायता कर रही है। देश भर के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8-12 के छात्रों के लिए उपलब्ध इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है।

- प्रथम चरण में, यह योजना देश भर के शिक्षकों और छात्रों तक पहुंचा और उन्हें अभिविन्यास और ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन प्रदान किए गए।
- 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (5,724 शहरों) से पंजीकृत 50,666 छात्र।
- 11,430 छात्रों ने एआई ट्रेनिंग का पहला लेवल पूरा किया
- 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2,252 स्कूलों के 2,536 शिक्षकों ने अभिविन्यास सत्र में भाग लिया

- 2,441 छात्रों से 2,704 विचार प्राप्त हुए (कुछ ने 1 से अधिक विचार प्रस्तुत किए हैं और कुछ ने समूह प्रविष्टियां हैं)
- प्राप्त प्रविष्टियों का मूल्यांकन करने के लिए, उचित परिश्रम के बाद, एक स्वतंत्र एजेंसी को चुना गया था। न्यायाधीशों की पहचान उनकी विशेषज्ञता, AI की समझ के स्तर, उभरती तकनीकों और भारतीय परिदृश्य के आधार पर की गई थी।
- 2,704 विचारों में से 1,754 विचारों ने पात्रता आवश्यकताओं को पूरा किया
- इन 1,754 विचारों में से प्रत्येक का मूल्यांकन 3 न्यायाधीशों द्वारा किया गया था
- दूसरे चरण में, विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करने के बाद, विशेषज्ञों द्वारा मान्य रूब्रिक का उपयोग करते हुए, शीर्ष 100 विचारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।
- इन 100 विचारों का प्रतिनिधित्व 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 125 छात्रों द्वारा किया गया है (कुछ विचार 2 – 3 छात्रों के समूह द्वारा प्रस्तुत किए गए थे जबकि कुछ व्यक्तिगत प्रविष्टियाँ हैं)
- इन 125 छात्रों में से ये हैं:
    - 67 छात्राएं और 58 छात्र
    - राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों के 94 विद्यार्थी
    - केंद्र सरकार के केन्द्रीय विद्यालयों के 23 विद्यार्थी
    - सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 6 विद्यार्थी
    - नवोदय विद्यालय के 2 विद्यार्थी
- ये 125 छात्र अब गहन AI ट्रेनिंग से गुजरेंगे और अपने विचारों को आकार देने के लिए AI विशेषज्ञों और कोचों के साथ काम करेंगे और स्थानीय मुद्दों को हल करने के लिए स्वदेशी समाधान तैयार करेंगे और कार्यक्रम की वेबसाइट पर एक अंतिम परियोजना वीडियो सबमिट करेंगे।
- तीसरे चरण में - 50 शॉर्टलिस्ट किए गए विचारों / छात्रों को अपनी परियोजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और शीर्ष 20 नवीन परियोजनाओं को विजेताओं के रूप में चुना जाएगा।

D. अन्य कार्य

- AV प्रोडक्शन
    - IndEA फ़िल्म- इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (IndEA) फ्रेमवर्क, कैशलेस, पेपरलेस और फेसलेस सेवाओं की मदद से नागरिकों और व्यवसायों को एक सरकारी अनुभव प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे और अनुप्रयोगों का उपयोग करते हुए सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास आर्किटेक्चरल गवर्नेंस, प्रक्रियाओं और प्रथाओं की स्थापना करता है।
    - उमंग अपने नए अवतार में
    - डिजिटल इंडिया

E. डिजाइनिंग

- RAISE 2020 - समग्र डिज़ाइन कार्य
- डिजिटल भारत आत्मनिर्भर भारत के पांच साल पुस्तिका
- आईआईएस (औद्योगिक सूचना प्रणाली) - मोबाइल ऐप डिज़ाइन
- एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) - मोबाइल ऐप डिज़ाइन
- वीरता पुरस्कार - वेबसाइट डिजाइन
- ई-समीक्षा - कैबिनेट का निर्णय डैशबोर्ड
- भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण - फ्रेमवर्क डिज़ाइन
- उपलब्धि पुस्तक के पांच साल
- वीक मैगज़ीन लेख - डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर इंडिया
- ज्ञान भंडार वेबसाइट डिज़ाइन
- एवीएमएस - पीएमओ के लिए सुप्रीमो वेबसाइट डिज़ाइन

- पीएमओ के लिए नियुक्ति प्रणाली वेबसाइट डिज़ाइन
- सकारात्मक सामंजस्य (MyGov इंडिया पर अभियान) लोगो डिजाइन
- उमंग के 3 साल- उमंग के 3 साल पूरे होने के आयोजन पर ई-बुक डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन, सोशल मीडिया क्रिएटिव डिज़ाइन
- उमंग न्यूज़लेटर
- डिजिटल भुगतान - पुस्तक डिज़ाइन- डिजिटल भुगतान को उत्प्रेरित करना
- डिजिटल इंडिया वेबसाइट न्यूज़ट्रैक – साप्ताहिक
- साइबर सुरक्षित भारत ब्रोशर
- भाषा प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय मंच (एनपीएलटी) - वेबसाइट डिज़ाइन
- द वीक मैगज़ीन - डिजिटल भारत आत्मानिर्भर भारत
- डिजिटल इंडिया डायलॉग - मेघराज क्लाउड (वेबिनार सीरीज)
- दिल्ली पुलिस संग्रहालय की स्थापना - (डिजिटल इंडिया थीम)
- MeitY के लिए वार्षिक रिपोर्ट (कवर पेज डिजाइन)
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020- सोशल मीडिया क्रिएटिव, ईमेलर, बैनर, वर्चुअल बैकड्रॉप, स्टैंडीज़ आदि ता डिज़ाइन
- डीआई उपलब्धियां और सुधार पुस्तिका - डीआई उपलब्धियां और सुधार पुस्तिका के लिए दो डिज़ाइन की गई पुस्तकों
- नारी शक्ति अभियान और महिला अचीवर्स बुकलेट – दो डिज़ाइन की गई पुस्तिकाएं

F. कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/सम्मेलनों/प्रदर्शनियों के लिए लोगो और वित्तीय सहायता:

- वेबिनार, FICCI A(I) इंडिया कॉन्क्लेव, दिल्ली, 15 सितंबर, 2020 FICCI, फेडरेशन हाउस 1, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित
- तीसरा प्रौद्योगिकी सम्मेलन "इन्फिनिटी 2020", 24-25 सितंबर 2020 एमिटी बिजनेस स्कूल, एमिटी यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा, यूपी द्वारा आयोजित।
- APAC और MENA में उभरते तकनीकी कार्यक्रमों के लिए वर्ल्ड AI शो का 21वां वैश्विक संस्करण, 4 नवंबर 2020 को ट्रेसकॉन ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, कोरमंगला, बेंगलुरु द्वारा आयोजित किया गया।
- दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर के पुरम, नई दिल्ली द्वारा आयोजित वार्षिक टेक संगोष्ठी Exun 2020, 15 -22 नवंबर, 2020।
- अभिनव कंप्यूटिंग और संचार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 20-21 फरवरी, 21, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित
- डिजिटल इलेक्ट्रॉनिका प्रदर्शनी, दिसंबर 9-11, 2020, मेस्से मुएनचेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित।
- डिजिटलाइजेशन में मेगाट्रेंड्स पर वेबिनार- भविष्य पर पुनर्विचार करना, 9 दिसंबर, 2020, Assocham द्वारा आयोजित
- FICCI वार्षिक एक्सपो (वर्चुअल प्रदर्शनी) FICCI वार्षिक सम्मेलन, 11-14 दिसंबर, 2020 के संयोजन के साथ विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों पर केंद्रित है।
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और कपड़ा मंत्रालय और हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक आयोजित राष्ट्रीय खिलौना मेला 2021

G. प्रिंटिंग और व्यापारिक वस्तुओं की खरीद

- व्यापारिक वस्तुओं की खरीद- कई सम्मेलनों/प्रदर्शनियों/कार्यक्रमों के प्रतिनिधियों के लिए
- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में डिजिटल भारत के 5 साल पूरे होने पर पुस्तिका की प्रिंटिंग।
- खुले, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट पर पुस्तिका की प्रिंटिंग: सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के भाग II पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)।

3.3. भारतीय व्यवसाय आर्किटेक्चर (IndEA)

हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ई-गवर्नेंस के सर्वेक्षण ने नागरिकों को बेहतर शासन प्रदान करने के लिए संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोण, एकता नीति, और बिग डेटा एनालिटिक्स के उपयोग के महत्त्व पर ज़ोर दिया है। इन प्रवृत्तियों के लिए क्षेत्रीय बाधाओं और साइलो के टूटने की एवं सरकार को एकल व्यवसाय के रूप में फिर से तैयार करने की ज़रूरत है।

डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने, अर्थात : i) प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर एक उपयोगिता के रूप में, ii) शासन और सेवाओं पर मांग और, iii) नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण , के लिए, डेटा, अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं का एक ऐसा अंतर संचालन योग्य पारितंत्र, जो डिजिटल सेवाओं को नागरिकों और व्यवसायों के लिए इंटीग्रेटेड तरीके से वेब, मोबाइल और सामान्य सेवा वितरण आउटलेट जैसे कई चैनलों के माध्यम से उपलब्ध बनाये, इसकी आवश्यकता है।

इसके अनुसार, MeitY ने एक भारतीय व्यवसाय आर्किटेक्चर(IndEA) का सामान्य ढांचा, आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडलों के सेट के सहित, तैयर किया है। . जो भारतीय सरकार को भारतीय सरकारी संगठनों, राज्यों और भारत सरकार में समग्र रूप से EA परिवर्तन आरंभ करने में सक्षम बनाता है। IndEA रूपरेखा संघीय आर्किटेक्चर दृष्टिकोण पर आधारित है और दोनों ग्रीनफील्ड (नया) और ब्राउनफील्ड (मौजूदा / विरासत) eGov की पहल को समायोजित करने की आवश्यकता को मान्यता देता है।

ई-गवर्नमेंट के लिए व्यवसाय आर्किटेक्चर का उद्देश्य है कि वो, ट्रांजेक्शनल सिस्टम इंटरऑपरेबिलिटी का समर्थन करना, सरकारी उद्यम के व्यापक मुद्दों पर तेज़ प्रतिक्रिया, IT लैंडस्केप में जटिलता को कम करना, एंटरप्राइज सुरक्षा में वृद्धि, सूचना आधारित निर्णय लेने की सुविधा निपुणता, कॉस्ट बेनिफिट्स, साझा करने, और पुनःउपयोग करने के साथ प्रदान करे।

भारतीय व्यवसाय आर्किटेक्चर(IndEA) परियोजना के अंतर्गत, NeGD का जनादेश निम्नलिखित है:

(i) सरकार भर में IndEA पहल चलाएं।

(ii) IndEA के मुख्य अनुप्रयोगों (जैसे डिजिलॉकर, ईमेल गेटवे, रैपिड असेसमेंट सिस्टम आदि) का एक भंडार, पुन: प्रयोज्य कलाकृतियों, सामान्य उपयोग के अनुप्रयोग, सर्वोत्तम अभ्यास और मॉडल डोमेन आर्किटेक्चर का भंडार बनायें

(iii) क्षमता निर्माण एवं ज्ञान साझा करना सक्षम करें

(iv) एंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर के लिए परामर्श संगठन और विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करें

(v) फंडिंग प्रदान करें, IndEA ब्लूप्रिंटिंग और कुछ डोमेन एवं राज्यों के लिए प्रारंभिक परिपालन, IndEA परिपालन की प्रभावशीलता को दर्शाएं।

16 मंत्रालय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जिसमें मेघालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, दमन और दू, दिल्ली सरकार, झारखंड, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा MOFPI(खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय) शामिल हैं। भारतीय व्यवसाय आर्किटेक्चर पर जागरूकता फैलाने के लिए IndEA पर एक फिल्म भी तैयार करी जा रही है।

IndEA भंडार को परियोजना दस्तावेज, दिशानिर्देश, ई-लर्निंग सामग्री, आर्किटेक्चरल भवन ब्लॉक, संदर्भ आर्किटेक्टर, मॉडल डोमेन आर्किटेक्चर, मानकीकृत टेम्पलेट, केस स्टडीज, सर्वोत्तम अभ्यास, सीखे गए पाठ, उपकरण और कलाकृतियां, आदि से समृद्ध किया गया है। NeGD ने मंत्रालयों और राज्यों की सहायता में भारतीय व्यवसाय आर्किटेक्चर (IndEA) के परिपालन के लिए EA एक्सपर्ट्स एवं कंसल्टिंग एजंसियों को पैनल में शामिल किया है।

शुरू में, मेघालय राज्य के साथ-साथ स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा के क्षेत्रों को आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट और सेगमेंटेड इम्प्लीमेंटेशन की तयारी के लिए प्रारम्भिक पहल के लिए अवधारणा के प्रमाण के रूप में चुना गया था। समग्र प्रगति का सारांश नीचे दिया गया है:

3.3.1. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन- MeitY ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट (NDHB) तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की। NDHB में दी गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टैक की परिभाषा के अनुसार, वर्तमान में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन(ABDM) के नाम से, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का कार्यान्वयन शुरू किया गया है। मिशन को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा

15 अगस्त, 2020 को लॉन्च किया गया था। NHA ABDM के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसे समस्त भारत मे, 6 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया है। MeitY आयुष मिनिस्ट्री के साथ भी काम कर रहा है, इस तरह से आयुष से सम्बंधित बिल्डिंग ब्लॉक्स को भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन(ABDM) के अंतर्गत तैयार किए गए कॉमन बिल्डिंग ब्लॉक्स का उपयोग करते समय पहचाना और लागु किया जाए। BiSAG आयुष बिल्डिंग ब्लॉक्स को लागू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है।

3.3.2. **MoE- DoSE&L**- MeitY ने राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला(NDEAR) तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की। NDEAR 29 जुलाई 2021 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। के पहले चरण के बिल्डिंग ब्लॉक्स के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव DIC, MeitY प्रस्तुत किया गया है। मिनिस्ट्री उच्च शिक्षा विभाग के साथ भी DHE से संबंधित बिल्डिंग ब्लॉक्स की पहचान करने का काम कर रही है, ताकि NDEAR के साथ-साथ DHE के लिए भी एंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर तैयार किया जा सके।

3.3.3. **मेघालय EA**- MeitY ने मेघालय राज्य सरकार को वित्त विभाग के लिए MeghEA ब्लूप्रिंट की तयारी और लागु होने में सहायता प्रदान की। परियोजना के अंतर्गत, राज्य की मौजूदा वित्तीय प्रणालियों के बीच API आधारित एकीकरण किए गए हैं। साथ ही, वित्त विभाग द्वारा विभाग के प्रस्ताव समय पर मंजूर करने के लिए योजना प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। जिसको मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा संयुक्त रूप में 17 सितंबर, 2021 को लॉन्च किया गया था।

3.3.4. **MoA**- MeitY ने भारत कृषि का डिजिटल इकोसिस्टम(IDEA) के कृषि के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की। यह ब्लूप्रिंट सार्वजनिक परामर्श के लिए रिलीज़ किया जा चूका है और साथ ही स्टेकहोल्डर परामर्श आयोजित किए जा रहे हैं। NIC द्वारा विशिष्ट किसान पहचान के लिए प्रारंभिक कार्यरूप में परिणति पूरी की जा चुकी है।

3.3.5. **श्रम, कौशल और रोजगार EA**- MeitY श्रम, कौशल और रोजगार की एंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर रिपोर्ट की तैयारी करने के लिए कार्य दल की तकनीकी सहायता कर रही है।

3.3.6. **पर्यटन** - MeitY राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन के लिए गठित कार्य समूह और संचालन समिति के लिए ब्लूप्रिंट की तैयारी करने के लिए कार्य दल की तकनीकी सहायता कर रही है।

3.3.7. **ग्रामीण विकास** - NIC एवं MeitY ब्लूप्रिंट की तैयारी के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहायता कर रही है।

3.3.8. **शहरी विकास** - शहरी विकास मंत्रालय ने MeitY के साथ नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक निर्मित करा, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स को लांच किए, और परामर्श में संबंधित मानक तैयार करे।

3.3.9. **MSME**- NeGD एवं MeitY ब्लूप्रिंट की तयारी के लिए माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की सहायता कर रही है।

3.3.10. **समाज कल्याण** - NeGD एवं MeitY ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ, समाज कल्याण के लिए खाका तैयार करने हेतु, केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के अध्ययन के लिए लगकर काम किया है।

इसके अतिरिक्त, MeitY रसद विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, बिजली और ऊर्जा मंत्रालय, रेल मंत्रालय आदि और नागालैंड, पंजाब आदि की राज्य सरकारों के साथ लगकर क्षमता निर्माण और बांटने योग्य विवरण पर काम रही है। इन आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट में आर्किटेक्चरल सिद्धांतों का सेट, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स की एक फ़ेडरेटेड सिस्टम, जैसे कि कोर सेक्टोरल डेटा सेट, डेटा एक्सचेंज और सहमति प्रबंधन, लागू मानक और नियम, वर्गीय अनुप्रयोग, समान उपयोग अनुप्रयोग, विश्लेषण आदि। एक बार लागू होने के बाद, यह अनुमानित बिल्डिंग ब्लॉक्स समस्त डिजिटल प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक और निजी स्थानों में फलने-फूलने के लिए कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक्स और ओपन डाटा सेट प्रदान करेंगे।

3.3 नए जमाने के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (UMANG)

उमंग को प्रमुख सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए एकल मोबाइल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। माननीय प्रधान मंत्री ने 23 नवंबर, 2017 को उमंग को राष्ट्र को समर्पित किया है.

उमंग को डिजिलॉकर, पेगोव, रैपिड असेसमेंट सिस्टम के साथ एकीकृत कोर प्लेटफॉर्म के साथ प्रमुख सरकारी सेवाएं देने के लिए एकल मोबाइल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। (RAS) आदि.

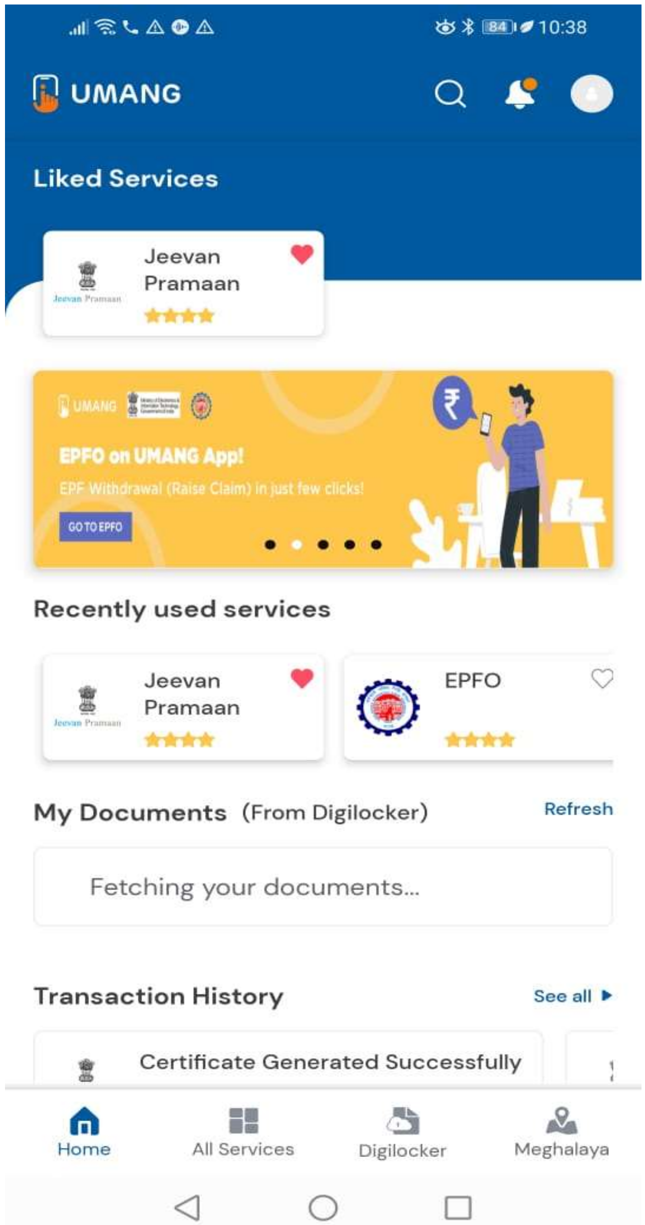

- उमंग अंग्रेजी के अलावा 12 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है और इसे क्लाउड पर होस्ट किया गया है। उमंग का उद्देश्य नागरिकों की उंगलियों तक सत्ता पहुंचाना है।

- 31 मार्च, 2021 तक, उमंग के पास केंद्र सरकार के 236 विभागों और 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी विभागों से लगभग 20786 सेवाएं (1150 - केंद्र और राज्य सरकार की सेवाएं; 19636-बिल भुगतान सेवाएं) हैं और कई और लगातार जारी हैं।
- उन्नत के साथ UMANG अनुप्रयोग के पुनर्निर्मित संस्करण UI/UX, निजीकरण और बेहतर प्रदर्शन और सुरक्षा को माननीय मंत्री द्वारा 1 जुलाई 2020 को डिजिटल इंडिया दिवस पर लॉन्च किया गया था.

- UMANG का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण भी नवंबर'20 में लॉन्च किया गया था। इससे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, अनिवासी भारतीयों और विदेशों में भारतीय पर्यटकों को कभी भी भारत सरकार की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिल रही है। यह उमंग पर उपलब्ध 'भारतीय संस्कृति' सेवाओं के माध्यम से भारत को दुनिया में ले जाने और विदेशी पर्यटकों के बीच भारत की यात्रा करने के लिए रुचि पैदा करने में भी मदद कर रहा है।

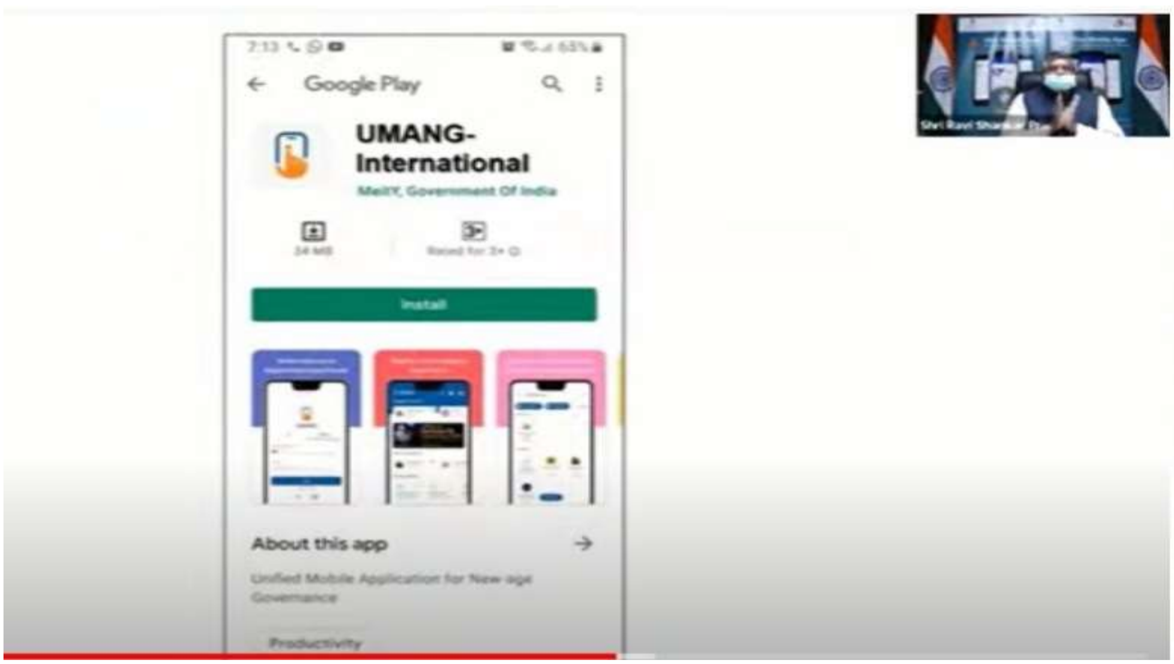

- UMANG एक ही स्थान पर इतने सारे एपीआई/सेवाओं को एकत्रित करके भारी मूल्य सृजित किया गया है, जो सरकार में कहीं और उपलब्ध नहीं है। इस वजह से उमंग ऐप सेवाओं को अगस्त, 20 में सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) के माध्यम से भी सहायता प्राप्त मोड में उपलब्ध कराया गया था। इस अवधि के दौरान CSC के माध्यम से नागरिकों को सहायक मोड में उमंग की 550 चुनिंदा सेवाएं उपलब्ध कराई गई थीं।
- भारत के अधिक से अधिक निवासियों तक पहुंचने के लिए, उमंग की ~ 140 उपयुक्त (सीमित प्रदर्शन आकार के कारण) सेवाओं को KaiOS ऑपरेटिंग सिस्टम (Jio फोन) पर चलने वाले फीचर फोन पर सक्षम किया गया है। इसने उन उपयोगकर्ताओं को सक्षम किया है जिनके पास जियो फोन हैं, वे उमंग पर एकीकृत विभागों की सेवाओं का लाभ उठाने में भी सक्षम हुए हैं।

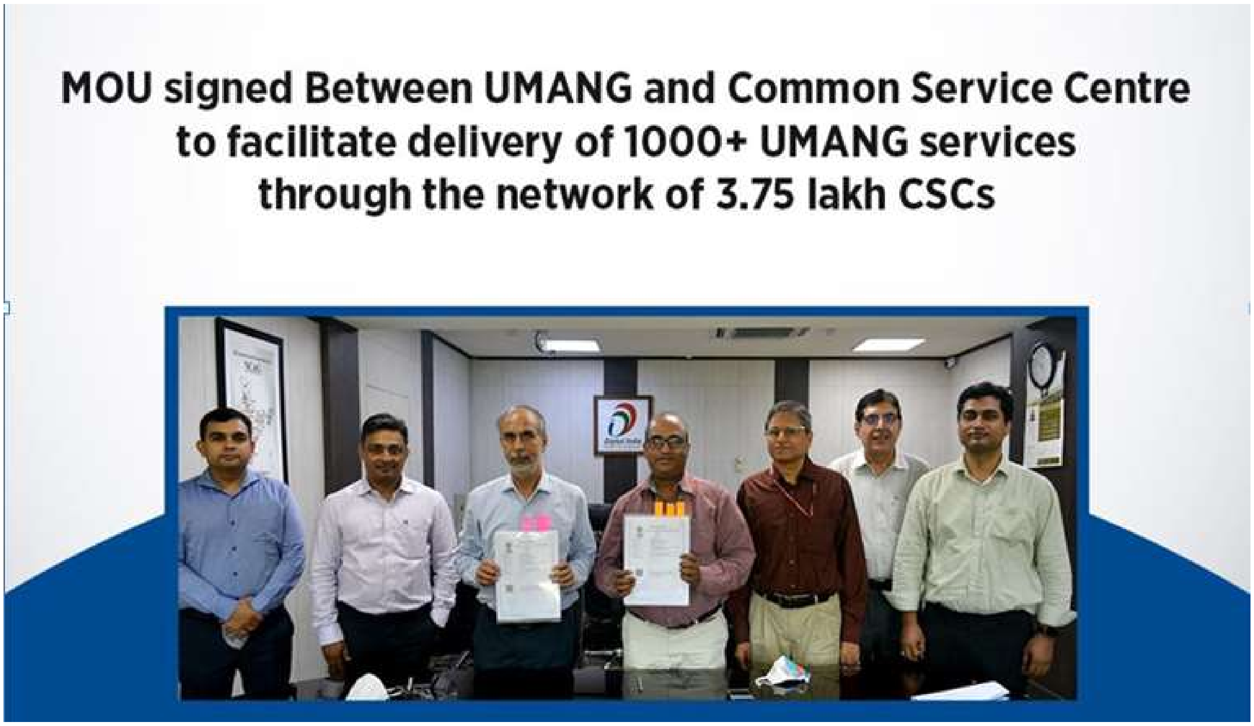

- 100 से अधिक DBT (Direct Benefit Transfer) UMANG पर योजनाओं को लाइव किया गया था.
- EPFO में कोविड-19 के लिए 10.50 लाख से अधिक अग्रिम दावे (सभी पर 60%) उमंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाए गए थे।.

3.4. क्षमता निर्माण

- 10 क्लाउड ऑनलाइन वेबिनार सत्र (उद्योग, अकादमिक और सरकार, चिकित्सकों आदि), राज्य के 192 अधिकारियों ने बादल शामिल किए / SDC आदि
- NeGD ऑनलाइन सीखने की सामग्री के लिए नॉलेज रैक पोर्टल (वीडियो और प्रस्तुतियां))
- सारांश 2.0 डिजिटल इंडिया सर्वोत्तम प्रथाओं (केंद्र और राज्य) पर संग्रह - 35 मामले
- डिजिटल इंडिया के वर्ष- एक दिवसीय कार्यक्रम 20 जुलाई लगभग 3300 से अधिक भागीदारी
- मॉडल आरएफपी पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 7 जनवरी 2021 को नैसकॉम के सहयोग से लगभग 250 भागीदारी के साथ आयोजित की गई थी
- डिजिटल इंडिया संवाद क्षमताओं का निर्माण 15 सत्र: नीति, कार्यक्रम और परियोजना स्तर पर लगभग 270 सरकारी अधिकारी (केंद्र और राज्य), अन्य परियोजना टीमों, CISO's attended the webinar series, इस तरह के रूप में क्षेत्रों

और परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित NCOG GIS, UMANG, DIGI- लॉकर उभरती प्रौद्योगिकियों, राष्ट्रीय परियोजनाओं, IndEA, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि 26 मई'20 से.

- डिजिटल गवर्नेंस और मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (PGP-DGM) – 20 डिप्लोमा का दूसरा सेमेस्टर जून'20 में पूरा हुआ।
- CISO डीप डाइव प्रशिक्षण 2 कार्यक्रम: 114 नामित मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISOs) प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

3.4.1. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS)

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को चालू किया है (LMS) मार्च 2017 में क्षमता निर्माण योजना II के तहत. पोर्टल को प्रौद्योगिकी-सक्षम कौशल के साथ सरकारी अधिकारियों की क्षमताओं का निर्माण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ज्ञान और भविष्य के कौशल के साथ सरकार में क्षमता निर्माण को बदलने के लिए मिशन 'कर्मयोगी कार्यक्रम' का समर्थन करने के लिए परिकल्पित. NeGD LMS प्रस्ताव:-

- **फ्लेक्सिबल लर्निंग**: NeGD LMS विविध सीखने की जरूरतों के लिए एक एकल स्केलेबल वेब-आधारित मंच है जो शिक्षार्थियों को ब्राउज़र या डिवाइस से स्वतंत्र, कभी भी और कहीं भी एक्सेस करने की अनुमति देता है।
- **मिश्रित प्रशिक्षण**: NeGD LMS अपने शिक्षार्थियों के लिए 'मिश्रित प्रशिक्षण' की सुविधा देता है, प्रौद्योगिकी-आधारित आभासी कक्षाओं और पारंपरिक कक्षा प्रशिक्षण के साथ हाइब्रिड शिक्षा प्रदान करता है.
- **एक सेवा के रूप में ई-लर्निंग**: NeGD एक सेवा के रूप में ई-लर्निंग प्रदान करता है (eLaS) नवीनतम ई-सामग्री मॉड्यूल और राज्य के अत्याधुनिक स्टूडियो सुविधाओं के साथ सरकारी विभागों के लिए नि: शुल्क उपलब्ध है।
- **विकसित सामग्री**: ई-गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया में भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के लिए 100 घंटे की ई-सामग्री उपलब्ध.
- NeGD LMS NIC क्लाउड में होस्ट किया जाता है ।

NeGD ने निम्नलिखित क्षेत्रों में LMS का उपयोग करके कई क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का संचालन करने की पहल की है:

3.4.2. ऑनलाइन क्षमता निर्माण

- **i.** NeGD facilitated माल और सेवा कर (GST) जैसे विभिन्न विषयों को कवर करते हुए 55,37,539 भागीदारी के साथ ऑनलाइन क्षमता निर्माण, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, संस्कृति, स्टार्ट-अप, भारतीय रेलवे आदि। व्यापक ब्यौरे अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।
- **ii.** NeGD 26 लाख प्रतिभागियों के साथ माल और सेवा कर (GST) पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में मूल्यवान योगदान और समर्थन की मान्यता में 05 अप्रैल 2019 को एक विश्वसनीय भागीदार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- **iii.** NeGD LMS 86,014+ सरकारी उपयोगकर्ताओं के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। अब तक 96 सरकारी विभागों / मंत्रालयों / प्रशिक्षण शिक्षाविदों का उपयोग कर रहे हैं NeGD LMS पूरे भारत में. संस्थानों की सूचियां अनुलग्नक-II में दी गई हैं।
- **iv.** सार्वजनिक इंटरफ़ेस प्रशिक्षण को प्रदर्शित करने के लिए लॉन्च किए गए डिजिटल इंडिया लर्निंग यूट्यूब MooC-चैनल में शासन से संबंधित कई विषयों पर 359 वीडियो के साथ लगभग 47.4K ग्राहक हैं।
- **v.** साइबर कानून साइबर अपराध जांच और डिजिटल फोरेंसिक पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम - NeGD ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सरकारी अधिकारियों के लिए साइबरलॉ, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और डिजिटल फोरेंसिक में एक ऑनलाइन पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा लॉन्च किया है. कार्यक्रम 9 नवंबर 2020 को शुरू किया गया था, 500 अधिकारियों का पहला बैच जिसमें न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों, लोक अभियोजकों और पूरे भारत से LEAs के अधिकारी शामिल थे, पूरा हुआ।

vi. NeGD LMS भारतीय प्रबंधन संस्थान विशाखापत्तनम द्वारा डिजिटल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट में एमबीए प्रोग्राम की पेशकश करने के लिए मिश्रित मोड में पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए उपयोग किया जा रहा है (IIMV).

vii. गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान (GIDM) पर जहाज पर है LMS/KMS पोर्टल वर्तमान में 15849 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ताओं को आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

3.4.3. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का समर्थन

NeGD ने मंच और तकनीकी सहायता प्रदान की है-

i. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 2020/2021: 4 SCO सदस्य देशों के शिखर सम्मेलन (शासन के प्रमुख - न्याय मंत्री - महाधिवक्ता सम्मेलन), कई भाषा व्याख्याओं और घटना प्रबंधन के साथ 10 देशों के विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क। शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप सदस्य देशों की संयुक्त घोषणा नीतियां हुईं।

ii. CoWin अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन. Liaison विदेश मंत्रालय और कई भाषा व्याख्याओं और घटना प्रबंधन के साथ विदेशी दूतावासों के साथ। शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के साथ CoWin ऐप साझा किया गया.

iii. Raise 2020. AI पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई MeitY/NeGD. घटना का एक पूरा भंडार कैप्चर किया गया है और के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है KMS application.

3.4.4. लॉकडाउन और कोविड संकट के दौरान गतिविधियां

i. अप्रैल 2020 में, भारत में पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को वर्चुअली पेश करने के लिए 'देखोअपनदेश' वेबिनार श्रृंखला शुरू की। पर्यटन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन, डिजिटल इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सहयोग से 110+ वेबिनार आयोजित किए गए हैं।

ii. NeGD LMS Team लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपने हितधारकों के लिए ज्ञान बढ़ाने वाले सत्र करने के लिए साइबर सुरक्षा और आईटी विशेषज्ञों के साथ 10 वेबिनार भी आयोजित किए.

iii. 24 अप्रैल 2020 से, एनईजीडी ने विभिन्न विभागों के तहत अपने वेबिनार के लिए संस्कृति मंत्रालय को सुविधाजनक बनाना भी शुरू कर दिया है। 24 अप्रैल 2020 और 30 जून 2020 के बीच, एनईजीडी ने लगभग 63 वेबिनार के लिए संस्कृति मंत्रालय को बढ़ावा दिया है.

iv. NeGD केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों को इस कोविद -19 संकट में अपने तत्काल आधिकारिक काम को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन बैठकें आयोजित करने के लिए असाधारण सहायता प्रदान की। 23 मार्च 2020 से, एनईजीडी ने 32 मंत्रालयों / राज्य सरकारों के तहत लगभग 68 विभागों / संगठनों की सुविधा प्रदान की है

आयोजित वेबिनार की संख्या	110
आयोजित बैठकों की संख्या	350
आयोजित किए गए कुल सत्र	470
आयोजित सत्रों की कुल संख्या (लगभग.)	700 hours

अनुलग्नक I – आभासी कक्षाएं / वेबिनार विवरण

सार्वजनिक वेबिनार:

संगठनों / विभागों / मंत्रालयों	**आयोजित वेबिनार की संख्या**	**भाग लेना**	**सोशल मीडिया पर प्रतिभागी**
जीएसटीएन	200	26,00,000	7,52,570
पर्यटन मंत्रालय (देखो अपना देश)	110	1,39,711	3,80,595
एयरो इंडिया, रक्षा मंत्रालय	10	1522	7714
डेफ एक्सपो 2020, रक्षा मंत्रालय	7	293	2967
एन एच ए	11	35122	2,65,094
कुल योग	**338**	**2776648**	**1408940**

विभागीय आभासी कक्षाएं / वेबिनार:

संगठनों / विभागों / मंत्रालयों	**आयोजित वेबिनार की संख्या**	**हिस्सेदारी**
एनईजीडी एलएमएस(NeGD LMS)	9588	12,76,454
बीपी आर एंड डी (BP R&D)	2	103
सीबीआईसी (CBIC)	1	137
असम का विभाग (Dept. Of Assam)	1	133
राजस्व विभाग(Dept.Of Revenue)	2	186
दूरसंचार विभाग (DOT)	4	461
पश्चिम बंगाल (आईटी) (West Bengal (IT)	10	3460
आईएसटीएम (ISTM)	2	234
एम ई आई टी यू (MeitY)	5	159
कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture)	1	252
मेरी सरकार (MyGov)	10	1599
नैसिन (NACIN)	5	147
नायर(NAIR)	10	2260
एनईजीडी (NeGD)	152	18238
सेएमटी (SeMT)	1	72
दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (Telecom Engineering Centre)	1	47
तेलंगाना पुलिस(TelenganaPolice)	3	3122
टी ई आर आई (TERI)	2	121

मैं एन डी ई ए (IndEA)	6	418
एनईएसी (NeAC)	5	118
सीएसआईआर डीएसटी (CSIR DST)	1	312
संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture)	64	23203
स्मार्ट सिटीज (Smart Cities)	6	102
सीएसआईआर और सीआरआरआई (CSIR & CRRI)	7	2534
विज्ञान @ टेक (science @ Tech)	1	453
साइबर अपराध और डिजिटल फोरेंसिक (Cyber Crime& Digital Forensics)	84	500
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council)	17	4369
अन्य (Others)	97	12757
महायोग	**10,088**	**1351951**

अनुलग्नक - II : ऑनबोर्ड मंत्रालय/विभाग

1	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी
2	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल
3	सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान
4	आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी
5	राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी
6	पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो
7	केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान
8	माल और सेवा कर नेटवर्क
9	महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान,
10	सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश एजेंसी
11	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)
12	सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
13	केरल पुलिस अकादमी
14	अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन
15	इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
16	सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान
17	सिविल इंजीनियरिंग के भारतीय रेलवे संस्थान
18	इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
19	भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान
20	जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी
21	राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
22	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान
23	भारतीय प्रबंधन संस्थान

24	कौशल विकास निदेशालय
25	राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र
26	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
27	भारतीय मानक ब्यूरो
28	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
29	मेघालय प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान
30	मेघालय राज्य
31	सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग
32	राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र
33	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
34	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार
35	यूथ फॉर यूनिटी एंड वॉलंटरी एक्शन
36	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड
37	गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान
38	तेलंगाना पुलिस
39	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
40	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान
41	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान पुस्तकालय
42	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान
43	तकनीकी शिक्षा विभाग, प्रशिक्षण और कौशल विकास, पश्चिम बंगाल सरकार
44	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
45	ई एंड आईसीटी अकादमी, एनआईटी वारंगल
46	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
47	इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी अकादमी – बिहार
48	इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी अकादमी – उत्तर प्रदेश
49	इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी अकादमी - उत्तराखंड
50	इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी अकादमी – असम
51	इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी अकादमी पश्चिम बंगाल
52	पश्चिम बंगाल प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान
53	राष्ट्रवादी सामाजिक मनोरंजक प्रभावशाली नाटकीय
54	सरकारी लेखा और वित्त संस्थान
55	बीआर अंबेडकर पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान
56	नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान
57	खेलो इंडिया ई पाठशाला
58	सरकार में प्रबंधन संस्थान
59	विज्ञान और प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग
60	राष्ट्रीय सीमा शुल्क अकादमी मुख्यालय
61	वित्तीय सेवा विभाग
62	बहु-अनुशासनात्मक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान

63	पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान
64	उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र
65	विद्युत वितरण प्रशिक्षण केंद्र
66	मिजोरम की राज्य सरकार
67	मध्य प्रदेश की राज्य सरकार
68	आईआईएम, बैंगलोर
69	टी. एंड एस.यू. महाराष्ट्र पुलिस मुख्यालय
70	रक्षा मंत्रालय (एमओडी)
71	दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र
72	कर्मचारी चयन आयोग
73	ओडिशा राज्य सरकार
74	डाक विभाग
75	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी
76	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग
77	तमिलनाडु ई-गवर्नेंस एजेंसी
78	भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी
79	पर्यटन मंत्रालय
80	संस्कृति मंत्रालय
81	उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे बहु अनुशासनिक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान अलीपुरद्वार जंक्शन
82	उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे डिजिटल साक्षरता और कोचिंग केंद्र, मालिगांव
83	उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे बहु अनुशासनिक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान कटिहार
84	उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे बहु अनुशासनिक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान रंगिया
85	उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे बहु अनुशासनिक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान लुमडिंग
86	उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे एसटीसी/मैकेनिकल सिलीगुड़ी
87	उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे एसटीसी/यांत्रिक बोंगाईगांव
88	उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे एसटीसी/मैकेनिकल न्यू गुवाहाटी
89	उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे एसटीसी/सिग्नल, पांडु
90	तेल और प्राकृतिक गैस निगम
91	रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र
92	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय
93	पंजाब की राज्य सरकार
94	दूरसंचार विभाग (DoT)
95	केरल राज्य आईटी मिशन
96	शिक्षा के लिए केरल इंफ्रा एंड टेक

4. MyGov

MyGov, 26 जुलाई 2014 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। आज MyGov के 2 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। लगभग सभी सरकारी विभाग अपने नागरिक जुड़ाव गतिविधियों, नीति निर्माण के लिए परामर्श और विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में नागरिकों की जानकारी प्रसारित करने के लिए MyGov प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाते हैं। MyGov सोशल मीडिया पर @MyGovIndia यूज़रनेम के साथ ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और LinkedIn जैसी सबसे सक्रिय प्रोफाइलों में से एक है.

क्रमांक	1 अप्रैल 2020 तक MyGov की उपयोगकर्ता संख्या	31 मार्च 2021 तक MyGov की उपयोगकर्ता संख्या	संख्या में वृद्धि	संख्या में % वृद्धि
1	1,06,64,059	1,70,99,868	64,35,809	60.35%

सोशल मीडिया पर, जबकि बताई हुए अवधि में इंस्टाग्राम ने फ़ॉलोअर्स में लगभग 65% की वृद्धि देखी, ट्विटर ने 25% की वृद्धि देखी और फेसबुक और यूट्यूब ने लगभग 50% की वृद्धि देखी। MyGov ने पिछले 1 साल में कू जैसे भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को आत्मानिर्भर भारत अभियान की सच्ची भावना से प्रेरित किया।

गतिविधि	संख्या	सब्मिशन
कार्य	143	247,039
चर्चा	58	445,352
नई खोज	39	2,60,000
सर्वेक्षण	3	37,261
क्विज	89	5,124,185

(1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान MyGov पर नागरिकों की भागीदारी)

प्लेटफ़ॉर्म	31 मार्च 2021 तक फ़ॉलोअर्स	1 अप्रैल 2020 तक फ़ॉलोअर्स	फ़ॉलोअर्स में वृद्धि
Instagram फ़ॉलोअर्स	15,66,224	5,50,473	10,15,751
TwitterMyGovIndia	24,15,519	18,12,342	6,03,177
Facebook फ़ॉलोअर्स	10,25,838	4,46,031	5,79,807
Youtube सब्सक्राइबर	2,89,000	1,45,000	1,44,000
Linkedin फ़ॉलोअर्स	30,596	11,322	19,274
Telegram(हिंदी)	75,391	0	75,391
Telegram(अंग्रेजी)	24,15,040	0	24,15,040
Sharechat	58,549	0	58,549
Koo	5,06,538	0	5,06,538
Chingari	1,20,358	0	1,20,358
Roposo	14,33,847	0	14,33,847
TwitterMyGovHindi	9,938	0	9,938

(सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर MyGov के फॉलोअर्स की संख्या में वृद्धि)

MyGov पोर्टल पर गतिविधियों में भाग लेने के लिए, न केवल बड़ी संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि सोशल मीडिया MyGov अकाउंट्स में भी फ़ॉलोअर्स की संख्या में वृद्धि देखी गई है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के समय में, 64,35,809 पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की वृद्धि हुई है। 'क्विज़' श्रेणी में, जहाँ 89 'क्विज़' में 5,124,185 उपयोगकर्ताओं की भागीदारी देखी गई। क्विज़ के अलावा, अन्य सबसे आकर्षक गतिविधियाँ 'आरोग्य सेतु ऐप: COVID-19 ट्रैकर', 'कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करने के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करें', 'डिजिटल भुगतान अभियान जागरूकता सर्वेक्षण' आदि हैं।

COVID-19 के दौरान, MyGov ने COVID19 से संबंधित प्रामाणिक, समझने में आसान और सुसंगत जानकारी को प्रसारित करने में स्वास्थ्य मंत्रालत की सहायता की है। व्यवहार बदलाव को बढ़ावा देने, फर्जी खबरों का सामने करने और मिथकों को खत्म करने के उद्देश्य से, MyGov ने COVID संबंधित जानकारी को प्रसारित करने के लिए एक समर्पित पोर्टल बनाया- – https://www.mygov.in/covid-19. यह स्पष्ट रूप से वैक्सीन डोसेज की संख्या की स्थिति, टेस्टिंग, सक्रिय मामलों के साथ-साथ ठीक हुए और मृतक लोगों की संख्या, सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए लोगों का मार्गदर्शन करने वाले विशेषज्ञों के वीडियो और निकटम वैक्सीन सेंटर्स बताता है। नागरिकों के सर्वोत्तम ज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय आगमन और घरेलू यात्रा के लिए नवीनतम दिशानिर्देश नियमित अंतराल में अपडेट किए जाते हैं। MyGov ने हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 के माध्यम से Covid19 और वैक्सीन के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए व्हाट्सऐप पर एक चैटबॉट भी बनाया है।

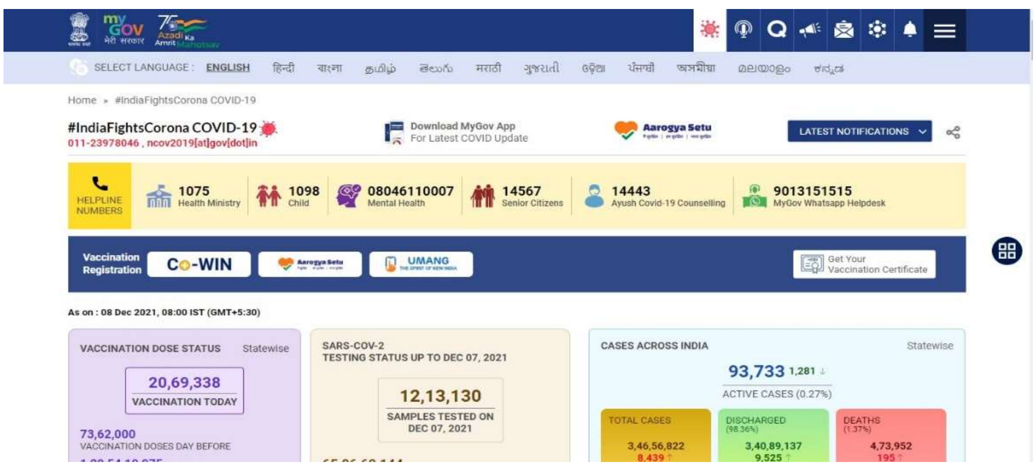

2020-2021 का समय भारत के लिए अपनी छिपी हुई क्षमता पर काम करने का मौका लेकर आई। एक आत्म-केंद्रित व्यापार प्रणाली होने से एक कदम आगे बढ़ते हुए, भारत ने आत्मनिर्भर बनने का विकल्प चुना। 2020 में भारत के COVID-19 महामारी संबंधी आर्थिक पैकेज की घोषणा के दौरान, हमारे माननीय पीएम द्वारा आत्मानिर्भर भारत के हिंदी वाक्यांश का उल्लेख किया गया था, जिसके बाद संबंधित MyGov पेज ने कई प्रेरक कहानियों को मंच दिया, जिसमें नेत्रहीनों के लिए 'वर्चुअल फ्रेंड' की डिजाइनिंग, कपड़े का कारोबार और बांस के ऊनी शिल्प, ऑनलाइन गेम के जरिए चुनावी जागरूकता फैलाना आदि शामिल थे।

इंडिया डायलॉग के लिए सुझावों का आमंत्रण

आत्मनिर्भर भारत अभियान, प्रधानमंत्री के फिट इंडिया डायलॉग के लिए

अपने क्षेत्र के व्यंजन साझा करें: एक भारत श्रेष्ठ भारत

मौलिक कर्तव्यों पर अपनी कहानियां साझा करना

5. निदेशक मंडल (31/03/2021 तक)

- श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- श्री संजय धोत्रे, माननीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- श्री अजय प्रकाश साहनी, सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
- सुश्री ज्योति अरोड़ा, विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- श्री अभिषेक सिंह, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक और सीईओ

6. कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और संबंधित नियमों में परिभाषित कंपनी "कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व" के दायरे से बाहर है। फिर भी, कंपनी हमारे व्यवसाय, हमारे कर्मचारियों और समाज के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करती है और सामाजिक जिम्मेदारी की एक मजबूत भावना रखती है।

7. निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुपालन में]

कंपनी के निदेशक मंडल, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और क्षमता के अनुसार, पुष्टि करते हैं कि:

(i) वार्षिक खातों को तैयार करने में, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है।

(ii) चयनित लेखा नीतियों को लागू किया गया है और निदेशकों ने उचित व विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाए हैं ताकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की आय व व्यय के विवरण का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।

(iii) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड की उचित और पर्याप्त देखभाल की गई है।

(iv) वित्तीय विवरण चालू संस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं; और

(v) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की गई हैं और ये प्रणालियां प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

8. सहायता अनुदान

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन को रुपये 101.02 करोड़, MyGov को रुपये 36.12 करोड़ और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट डिवीजन (TDDD) को रुपये 30.72 करोड़ की कुल सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है। जो कुल रुपए 167.86 करोड़ है।

9. सार्वजनिक जमा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के तहत कंपनी ने न तो कोई जमा किया है और न ही स्वीकार किया है।

10. सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों का विवरण:

कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां नहीं हैं।

11. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

कंपनी की गतिविधियों की प्रकृति के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किए गए।

कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए नाम के परिवर्तन के अनुपालन में निगमन प्रमाणपत्र के अनुसार, कंपनी का नाम 8 सितंबर, 2017 से "मीडिया लैब एशिया" से बदलकर "डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन" कर दिया गया। परिवर्तन दिखाने के लिए ज्ञापन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में संशोधन किया गया है। कंपनी का उद्देश्य सबसे उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ आम आदमी तक पहुंचाना है। इसके अलावा, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को शामिल करने के लिए उद्देश्यों में संशोधन किया गया, और ई-स्वास्थ्य / टेलीमेडिसिन, ई-कृषि, ई-भुगतान आदि के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम बढ़ती कैशलेस अर्थव्यवस्था की चिंताओं से सुरक्षा को बढ़ावा देता है और इसकी व्यापक स्वीकृति के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करता है। यह डिजिटल पहल के माध्यम से नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए नवाचार को बढ़ावा देता है और मॉडल विकसित करता है और सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से सरकार में भागीदारी शासन और नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है।

12. वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले किसी भी तरह के भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं थीं, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के बीच हुई हैं, जिससे बैलेंस शीट और रिपोर्ट की तारीख संबंधित।

13. निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र की स्थापना का विवरण :

सतर्कता तंत्र लागू नहीं है, क्योंकि कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के अंतर्गत नहीं आती है।

14. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण:

कंपनी के पास संचालन के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। वर्ष के दौरान, इन नियंत्रणों का परीक्षण किया गया और वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकन की सीमा को छोड़कर और बाद के पैराग्राफों में बोर्ड द्वारा अलग से स्पष्ट किए जाने के अलावा, डिजाइन या संचालन में कोई भौतिक कमजोरी नहीं देखी गई। अत: समीक्षाधीन वर्ष के लिए खातों के संबंध में कोई वित्तीय अनियमितता या धोखाधड़ी नहीं है।

15. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय का विवरण

15.1. ऊर्जा का संरक्षण

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ऊर्जा गहन इकाई नहीं है फिर भी सभी स्तरों पर ऊर्जा संरक्षण के लिए सभी उपाय किए गए हैं।

15.2. प्रौद्योगिकी

कंपनी प्रमुख कार्य क्षेत्रों में नई तकनीकों के कार्यान्वयन के प्रति सचेत रहती है और उसने अपने संचालन को आगे बढ़ाने के लिए नई तकनीकियों का उपयोग किया है।

16. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

विवरण	**रुपए**
विदेशी मुद्रा आय	कोई नहीं
विदेशी मुद्रा व्यय	कोई नहीं

17. जोखिम और आंतरिक पर्याप्तता

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इसकी गतिविधियों की प्रकृति और इसके संचालन के आकार व और जटिलता के अनुरूप है। नियमित रूप से इनका परीक्षण किया जाता है। लेखा समिति को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षण संबंधी दृष्टिकोणों और उनपर की गई कार्रवाइयों की सूचना लेखा समिति को दी जाती है। लेखा समिति कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करती है और लेखापरीक्षण सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। इन सिफारिशों में कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रणालियों को मजबूत करना भी शामिल है।

18. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

कंपनी अपने साथ काम करने वाले प्रत्येक व्यक्तिगत कर्मचारी के लिए एक सुरक्षित और उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल प्रदान करने में विश्वास करती है। कंपनी हमेशा ही यौन उत्पीड़न सहित भेदभाव और उत्पीड़न से मुक्त वातावरण तैयार करने का प्रयास करती है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने यौन उत्पीड़न निवारण समिति ("पीएससी") का गठन किया है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, समिति को यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली।

19. लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने पत्र संख्या/CA.V/COY/CENTRALGOVERNMENT, Media(2)/237 दिनांक 18 अगस्त, 2021 के तहत NeGD और MyGov, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के डिवीजनल खातों का लेखा परीक्षण करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में मैसर्स यार्दि प्रभु एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, 2, समाधान, पहली मंजिल, अगरकर चौक, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 069 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में मैसर्स विनय जैन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, 18/12, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली -110005 को नियुक्त किया है।

20. वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियां

कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक, मैसर्स यार्दि प्रभु एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के खातों पर अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है। लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

	लेखापरीक्षक रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणियाँ/उत्तर
	योग्य राय के लिए आधार	
	जैसा कि नोट संख्या ***35*** में बताया गया है, पार्टियों से शेष राशि की प्रत्यक्ष पुष्टि प्राप्त नहीं की गई है और परिणामी राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। परिणामी समायोजन की सीमा, यदि कोई हो, जो खाते के विवरण/शेष की पुष्टि की प्राप्ति पर उत्पन्न होगी, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं है।	कुछ पार्टियों से शेष राशि की पुष्टि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। कंपनी शेष पार्टियों से पुष्टि प्राप्त करने का प्रयास कर रही है।
	कंपनी ने ***31*** मार्च ***2021*** को खातों की पुस्तकों में दी गई रुपए ***3,73,76,366*** की देयताओं पर टीडीएस की कटौती नहीं की है, जिस पर कुल टीडीएस देयता रुपए ***22,26,333*** है। साथ ही, उपरोक्त टीडीएस देयता पर लगने वाले ब्याज का प्रावधान नहीं किया है।	खातों की पुस्तकों में बकाया देयताओं के लिए प्रावधान किया गया है। टीडीएस की कटौती न करने का लेखापरीक्षा अवलोकन बकाया देयताओं के लिए किए गए प्रावधान पर है। अत:

वास्तविक देयताओं के आधार पर NeGD द्वारा टीडीएस का भुगतान किया जा रहा है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किया गया है लेकिन खर्च नहीं की गई शेष राशि को मंत्रालय को वापस नहीं किया गया: -

यह देखा गया है कि डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के ***NeGD*** डिवीजन ने निम्नलिखित परियोजनाओं के संबंध में मंत्रालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किया है, लेकिन उपयोग नहीं की गई राशि वापस नहीं की है।.

क्र.सं..	परियोजना	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त राशि	वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपयोग की गई राशि	उपयोग में नहीं आई शेष राशि (करोड़ रुपये में)
1.	NeGD 2.O	13.00	13.86	-0.86
2.	डब्ल्यूबी डीपीएल परियोजना (पीडीएफ)		0.10	-0.10
3.	क्षमता निर्माण (सीबी चरण II)	25.77	36.93	-11.16
4.	आरएएस		1.19	-1.19
5.	सहयोगात्मक ऐप		1.43	-1.43
6.	नेशनल डिजिटल लॉकर सिस्टम	10.00	5.19	4.81
7.	NCoG	15.51	16.04	-0.53
8.	उमंग	9.30	9.70	-0.40
9.	IndEA	9.99	3.38	6.61
10.	डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए एएंडसी योजना (डीआईपी)	6.00	1.17	4.83
11.	सीआई के लिए सीबी कार्यक्रम - मेघराज के तहत सीएमओ की स्थापना	1.50	-	1.50

बंद परियोजनाओं की व्यय न की गई शेष राशि को वापस करने की प्रक्रिया की जा रही है।

12.	एलएमएस के माध्यम से साइबर कानून पर ऑनलाइन सीबी कार्यक्रम	2.00	-	2.00
13.	सीआईएसओ के लिए साइबर सुरक्षित भारत कार्यक्रम - डीप ड्राइव ट्रेनिंग	1.00	0.24	0.76
14.	नेशनल डेटा हाईवे (एनडीएच) का कार्यान्वयन	4.50	-	4.50
15.	प्राकृतिक भाषा अनुवाद मिशन-बहु भाषा परियोजना	2.95	-	2.95
16.	नेशनल एआई पोर्टल	1.00	-	1.00
	कुल	102.52	89.23	13.29

परियोजना के आधार पर हमें प्राप्त और उपयोग की गई राशि का विवरण, वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त कुल राशि 102.52 करोड़ रुपये है जिसमें से 31.03.2021 तक रुपए 89.23 करोड़ रु. उपयोग किया गया है। रुपए 13.29 करोड़ का शुद्ध शेष उपयोग प्रमाण पत्र जमा करने के बाद मंत्रालय को एनईजीडी द्वारा वापस किया जाना आवश्यक है।

मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना पर अप्रयुक्त राशि उपयोगिता प्रमाणपत्रों के साथ मंत्रालय को वापस कर दी जाएगी। आगे अनुदान तभी जारी किया जाएगा जब अप्रयुक्त राशि मंत्रालय को वापस कर दी जाती है।

iv. डीजीएसएंडडी से अनुदान 2018 से उपयोग नहीं हो रहा है: -

यह पाया गया है कि डीजीएसएंडडी से प्राप्त अनुदान का उपयोग नहीं हो रहा है और उक्त परियोजना के बंद होने पर, उस पर देय ब्याज के साथ राशि अनुदानकर्ता को वापस कर दी जानी चाहिए।

31 मार्च 2021 तक रु. 24, 15, 994 रुपये की राशि पुस्तकों में बकाया है जो 2018 से उपयोग नहीं की गई है और मंत्रालय को कोई उपयोग प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है।

संदर्भ:-

साधारण वित्तीय नियम 2017 के नियम 238(1) के अनुसार, किसी संस्थान या संगठन को आवर्ती अनुदान के संबंध में, प्राप्त अनुदान के वास्तविक उपयोग का प्रमाण पत्र जिस उद्देश्य के लिए फॉर्म जीएफआर

12-ए में स्वीकृत किया गया था, सहायता अनुदान स्वीकृत करने पर जोर दिया जाना चाहिए। नियम 230 (10) में संदर्भित अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र में बताया जाना चाहिए कि क्या उपयोग की गई राशि में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य निर्दिष्ट, परिमाणित और गुणात्मक हैं, वास्तव में प्राप्त किए गए थे, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं। उनमें इनपुट आधारित प्रदर्शन मूल्यांकन के बजाय आउटपुट आधारित प्रदर्शन मूल्यांकन होना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित संस्थान या संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह महीनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए। संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्ति की जांच की जाएगी। निर्धारित समय के भीतर अनुदान प्राप्त करने से प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने पर, मंत्रालय या विभाग स्वतंत्र होगा कि ऐसे संस्थान या संगठन को सरकार से भविष्य में कोई भी अनुदान, सब्सिडी या अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधित कर दे।

नियम 230(10) के अनुसार, किसी भी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को जारी सहायता अनुदान या अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अलावा) पर ब्याज या अन्य कमाई खातों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद अनिवार्य रूप से भारत की संचित निधि में भेज दी जानी चाहिए। इस तरह के अग्रिमों को भविष्य में दी जाने वाले फंड में समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

सहायता अनुदान या अग्रिमों पर कमाया गया ब्याज वापस नहीं किया गया:

*यह पाया गया है कि रुपए **47,32,745** की राशि अन्य आय (देयता) मद में थी। लेकिन यह राशि आज तक भारत की समेकित निधि में जमा नहीं की गई है। यह नियमों का उल्लंघन है क्योंकि वित्तीय वर्ष **2020-2021** को अंतिम रूप दिया जा चुका है।*

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019—20
अनुदान-सीबी II पर ब्याज	-
एनआईएसजी को अनुदान पर ब्याज	रु..27,13,142
NeGD खाता अनुदान पर ब्याज	रु..15,33,267
अन्य अनुदानों पर ब्याज	रु.4,86,336
कुल	रु..47,32,745

NeGD द्वारा उपयोग नहीं की गई शेष राशि को ब्याज सहित संबंधित मंत्रालय/विभाग को वापस करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

<u>संदर्भ:-</u>

सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 230 (बी) के अनुसार, किसी भी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को जारी सहायता अनुदान या अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अलावा) पर ब्याज या अन्य कमाई खातों को अंतिम रूप

	देने के तुरंत बाद अनिवार्य रूप से भारत की संचित निधि में भेज दी जानी चाहिए। इस तरह के अग्रिमों को भविष्य में दी जाने वाले फंड में समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।	
	अचल परिसंपत्तियों पर आंतरिक नियंत्रण की अपर्याप्तता:- क) भौतिक सत्यापन यह देखा गया है कि NeGD डिवीजन ने अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार स्थान के आधार पर अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी है। साथ ही परिसंपत्तियों को क्रम अनुसार नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, NeGD द्वारा अचल परिसंपत्तियों पर कोई अप्रचलन नहीं दिया गया है। क) अचल परिसंपत्ति रजिस्टर यह देखा गया है कि NeGD ने परिअचल संपत्ति रजिस्टर का ठीक से रखरखाव नहीं किया है। इसे NeGD द्वारा मैन्युअल भी बनाया जाता है, अचल परिसंपत्ति रजिस्टर किसी भी संरक्षक के अधीन नहीं है, जिसके कारण अचल परिसंपत्ति रजिस्टर की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। अचल परिसंपत्ति रजिस्टर में दिखाया गया परिसपंत्तियों का अंतिम बकाया पुस्तकों से मेल नहीं खाता है। इसके अलावा स्थान के आधार पर अचल परिसंपत्तियों विवरण अचल संपत्ति रजिस्टर में नहीं था। ख) बीमा कवरेज यह देखा गया है कि उच्च मूल्य की परिसंपत्तियों पर बीमा कवरेज रु 39,36,31,856.50 की राशि अभी तक NeGD द्वारा नहीं ली गई है।	
	कंपनी ने **31** मार्च **2021** तक खातों की पुस्तकों में दी गई देयताओं पर टीडीएस की कटौती नहीं की है**,** जिस पर कुल टीडी देयता की गणना नहीं की गई है। साथ ही देर से जमा करने पर लगने वाले ब्याज की गणना की है और न ही बताया गया।	अनुदान सहायता राशि पर कमाया गया ब्याज उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करते समय वापस कर दिया गया है। ब्याज की शेष राशि वापस कर दी जाएगी
	परियोजना प्रोजेक्ट मन की बात 1.0 के लिए रु. 78 करोड़ के स्वीकृत बजट में पूरा किया गया था। अतिरिक्त खर्च किए गए रु.7 करोड़ के लिए अनुमोदन की आवश्यकता है।	
	नवंबर **2019** से खाते में रु. **20,13,453** का डेबिट बैलेंस बकाया है। यह बताया गया है कि यह विभाग के पास जमा किए गए अतिरिक्त टीडी का है। वसूली करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।	

	MyGov ने कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुसार अचल परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया है। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों से कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। अचल परिसंपत्तियों के इस तरह के आंकड़े, यदि कोई हैं, समाधान और परिणामी समायोजन के अधीन हैं। X. MyGov के पास आंतरिक लेखापरीक्षण के लिएए कोई प्रणाली नहीं है। इस प्रकार आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक जांच की सटीकता और प्रभावशीलता खतरे में है।	कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण वित्तीय वर्ष 20-21 के दौरान परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका। NeGD वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इसका सत्यापन करेगा। लेखा परीक्षण टीम के सुझाव के अनुसार अचल परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव किया जा रहा है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बीमा कवरेज के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खातों की पुस्तकों में बकाया देयताओं के लिए प्रावधान किया गया है। टीडीएस की कटौती न करने का लेखापरीक्षण अवलोकन बकाया देयताओं के लिए किए गए प्रावधान पर है। अत: टीडीएस का भुगतान MyGov द्वारा वास्तविक देयताओं के आधार पर किया जा रहा है। ओबीडी और एसएमएस सेवाओं की निरंतरता के लिए रुपए 6.80 करोड़ के अतिरिक्त व्यय से संबंधित है जो ई-संपर्क 1.0 के लिए आवश्यक थे। ई-संपर्क 2.0 के बजट के भीतर व्यय पर विचार करने के लिए मामला एमईआईटीवाई को भेजा गया है। MyGov द्वारा जमा किए गए अतिरिक्त टीडीएस के निपटान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

		लेखा परीक्षण टीम के सुझाव के अनुसार अचल परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव किया जा रहा है। आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया में है।

21. स्वीकृति

निदेशक मंडल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारों और संबंधित सरकारी विभागों, कार्यान्वयन एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों और बैंकों से कंपनी को प्राप्त मूल्यवान सहयोग के लिए अपना आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल कंपनी के संचालन में उनके योगदान के लिए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उन्हीं की ओर से

(अभिषेक सिंह)
प्रबंध निदेशक और सीईओ
[DIN : 02645352]

(अजय प्रकाश साहनी)
निदेशक
[DIN : 03359323]

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20, दिसंबर 2021

अनुलग्नक -1
फॉर्म नंबर एमजीटी-9
31 मार्च, 2021 वित्तीय वर्षांत के लिए वार्षिक विवरणी का अंश
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी
(प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण:

i.	सीआईएन	:	U72900MH2001NPL133410
ii.	पंजीकरण तारीख	:	20 सितंबर, 2001
iii.	कंपनी का नाम	:	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
iv.	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	:	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत) के तहत निगमित। एक पब्लिक कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल/पूंजी नहीं है।
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	:	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन चौथी मंजिल, समृद्धि वेंचर पार्क, सेंट्रल एमआईडीसी रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093। दूरभाष: (022) 28312931 / 28327505 फैक्स: (022) 8379158
vi.	क्या लिस्टेड कंपनी है, हां / नहीं	:	नहीं
vii.	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो	:	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल टर्नओवर में 10% या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं: -

क्र. स.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का NIC कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1	आम आदमी के लाभ के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, विकास और कार्यान्वयन।	लागू नहीं	शून्य

III. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों के पर्टिक्युलर्स: शून्य

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (टोटल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप): कंपनी के पास इक्विटी शेयर पूंजी नहीं है। यह एक "गारंटी कंपनी" है।

i.	श्रेणी-वार शेयरधारिता	:	लागू नहीं
ii.	श्रेणी-वार शेयरधारिता	:	लागू नहीं
iii.	प्रमोटरों की शेयरधारिता में बदलाव	:	लागू नहीं
iv.	सर्वोच्च दस शेयरधारकों की शेयरधारिता का पैटर्न (जीडीआर और एडीआर के निदेशकों, प्रमोटरों और धारकों के अलावा)	:	लागू नहीं
v.	निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता	:	लागू नहीं

V. कर्जदारी/ऋणग्रस्तता

बकाया/उपार्जित ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता (बगैर देय भुगतान के)

विवरण	डिपॉज़िट्स को छोड़कर सिक्योर्ड लोन्स	अनसिक्योर्ड लोन्स	डिपॉज़िट्स	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया iii) अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
• वृद्धी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
• कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल परिवर्तन	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया iii) अर्जित ब्याज लेकिन बकाया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

A. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक : लागू नहीं
B. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक : लागू नहीं
C. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक : लागू नहीं

VII. दंड/सजा/अपराधों की कंपाउंडिंग :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड/सजा/कंपाउंडिंग शुल्क का विवरण	प्राधिकरण [आरडी/एनसीएलटी/ कोर्ट]	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
A. कंपनी					
दंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सजा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कंपाउंडिंग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
B. निदेशक					
दंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सजा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लगू नहीं
कंपाउंडिंग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
C. अन्य अधिकारी					

दंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सजा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कंपाउंडिंग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(अभिषेक सिंह)
प्रबंध निदेशक और सीईओ
[डीआईएन: 02645352]

(अजय प्रकाश साहनी)
निदेशक
[डीआईएन: 03359323]

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने **मैसर्स डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन** ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2021 तक की बैलेंस शीट, आय व और व्यय का विवरण, समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह का विवरण और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स शामिल हैं। इसके साथ ही इसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी भी दी गई है। इस जानकारी में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) और MyGov, नई दिल्ली के कंपनी डिवीजन के शाखा लेखा परीक्षकों मैसर्स विनय जैन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली द्वारा लेखापरीक्षण की उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए दी गई राय भी शामिल है।

हमारी राय, हमारी बेहतर जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय भाग के आधार में वर्णित मामलों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के तहत आवश्यक जानकारी देते हैं। 31 मार्च, 2021 को कंपनी के मामलों की स्थिति और आय व और व्यय और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के मामले में भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ सुनिश्चितता में सत्य व निष्पक्ष दृष्टि प्रदान करते हैं।

योग्य राय का आधार

<u>नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD)</u>

i. जैसा कि नोट संख्या 35 में बताया गया है, शेष राशि की सीधे पुष्टि पार्टियों से प्राप्त नहीं हुई है और परिणामी राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।
परिणामी समायोजन की सीमा, यदि कोई हो, जो खाते के विवरण/शेष राशि की पुष्टि की प्राप्ति पर उत्पन्न होगी, अभी सुनिश्चित नहीं है।

ii. कंपनी ने 31 मार्च 2021 तक खातों की पुस्तकों में दी गई रु. 3,73,76,366 की देयताओं पर टीडीएस नहीं काटा है, जिस पर कुल टीडीएस देयता रु. 22,26,333 है।
साथ ही, उपरोक्त टीडीएस देयता पर लगने वाले ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।

iii. उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किया गया लेकिन व्यय न की गई राशि मंत्रालय को वापस नहीं की गई :—
यह पाया गया है कि डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के NeGD डिवीजन ने नीचे दी गई परियोजनाओं के संबंध में मंत्रालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किया है, लेकिन उपयोग नहीं की गई राशि को वापस नहीं किया गया है।

क्र.सं..	परियोजना	वित्तीय वर्ष **2019-20** के दौरान प्राप्त राशि	वित्तीय वर्ष **2019-20** में उपयोग की गई राशि	उपयोग नहीं की गई शेष राशि (करोड़ रुपये में)
1.	NeGD 2.0	13.00	13.86	-0.86

2.	डब्ल्यूबी डीपीएल परियोजना (पीडीएफ)		0.10	-0.10
3.	क्षमता निर्माण (सीबी चरण II)	25.77	36.93	-11.16
4.	आरएएस		1.19	-1.19
5.	सहयोगपूर्ण ऐप.		1.43	-1.43
6.	नेशनल डिजिटल लॉकर सिस्टम	10.00	5.19	4.81
7.	NCoG	15.51	16.04	-0.53
8.	उमंग	9.30	9.70	-0.4
9.	IndEA	9.99	3.38	6.61
10.	डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (डीआईपी) के लिए एएंडसी योजना	6.00	1.17	4.83
11.	सीआई के लिए सीबी कार्यक्रम - मेघराज के तहत सीएमओ की स्थापना	1.50	-	1.50
12.	एलएमएस के माध्यम से साइबर कानून पर ऑनलाइन सीबी कार्यक्रम	2.00	-	2.00
13.	सीआईएसओ के लिए साइबर सुरक्षित भारत कार्यक्रम— डीप ड्राइव ट्रेनिंग	1.00	0.24	0.76
14.	नेशनल डेटा हाईवे (एनडीएच) का कार्यान्वयन	4.50	-	4.50
15.	प्राकृतिक भाषा अनुवाद मिशन- बहुभाषा परियोजना	2.95	-	2.95
16.	नेशनल एआई पोर्टल	1.00	-	1.00
	कुल	102.52	89.23	13.29

परियोजना अनुसार हमें दिया गया प्राप्त व उपयोग राशि का विवरण, वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त कुल राशि 102.52 करोड़ रुपये है जिसमें से 31.03.2021 तक रु.89.23 करोड़ उपयोग किया गया। कुल शेष रु.13.29 करोड़ रुपये उपयोग प्रमाण पत्र जमा करने के बाद NeGD द्वारा मंत्रालय को वापस किया जाना आवश्यक है।

मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना पर उपयोग न की गई राशि उपयोगिता प्रमाणपत्रों के साथ मंत्रालय को वापस कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अनुदान तभी जारी किया जाएगा जब उपयोग न की गई राशि मंत्रालय को वापस कर दी जाती है।

iv. डीजीएसएंडडी से अनुदान 2018 से उपयोग नहीं हो रहा है: -

यह पाया गया है कि डीजीएसएंडडी से प्राप्त अनुदान का उपयोग नहीं हो रहा है और उक्त परियोजना के बंद होने पर, उस पर देय ब्याज के साथ राशि अनुदानकर्ता को वापस कर दी जानी चाहिए।
31 मार्च 2021 तक रु. 24, 15, 994 रुपये की राशि पुस्तकों में बकाया है जो 2018 से उपयोग नहीं की गई है और मंत्रालय को कोई उपयोग प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है।

संदर्भ:-
साधारण वित्तीय नियम 2017 के नियम 238(1) के अनुसार, किसी संस्थान या संगठन को आवर्ती अनुदान के संबंध में, प्राप्त अनुदान के वास्तविक उपयोग का प्रमाण पत्र जिस उद्देश्य के लिए फॉर्म जीएफआर 12-ए में स्वीकृत किया गया था, सहायता अनुदान स्वीकृत करने पर जोर दिया जाना चाहिए। नियम 230 (10) में संदर्भित अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र में बताया जाना चाहिए कि क्या उपयोग की गई राशि में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य निर्दिष्ट, परिमाणित और गुणात्मक हैं, वास्तव में प्राप्त किए गए थे, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं। उनमें इनपुट आधारित प्रदर्शन मूल्यांकन के बजाय आउटपुट आधारित प्रदर्शन मूल्यांकन होना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित संस्थान या संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह महीनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए। संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्ति की जांच की जाएगी। निर्धारित समय के भीतर अनुदान प्राप्त करने से प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने पर, मंत्रालय या विभाग स्वतंत्र होगा कि ऐसे संस्थान या संगठन को सरकार से भविष्य में कोई भी अनुदान, सब्सिडी या अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधित कर दे।
नियम 230(10) के अनुसार, किसी भी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को जारी सहायता अनुदान या अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अलावा) पर ब्याज या अन्य कमाई खातों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद अनिवार्य रूप से भारत की संचित निधि में भेज दी जानी चाहिए। इस तरह के अग्रिमों को भविष्य में दी जाने वाले फंड में समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

v. सहायता अनुदान या अग्रिमों पर कमाया गया ब्याज वापस नहीं किया गया: -

यह पाया गया है कि रुपए 47,32,745 की राशि अन्य आय (देयता) मद में थी। लेकिन यह राशि आज तक भारत की समेकित निधि में जमा नहीं की गई है। यह नियमों का उल्लंघन है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2020-2021 को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019—20
अनुदान-सीबी II पर ब्याज	-
एनआईएसजी को अनुदान पर ब्याज	रु..27,13,142
NeGD खाता अनुदान पर ब्याज	रु..15,33,267
अन्य अनुदानों पर ब्याज	रु.4,86,336
कुल	रु..47,32,745

संदर्भ:-
सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 230 (बी) के अनुसार, किसी भी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को जारी सहायता अनुदान या अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अलावा) पर ब्याज या अन्य कमाई खातों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद अनिवार्य रूप से

भारत की संचित निधि में भेज दी जानी चाहिए। इस तरह के अग्रिमों को भविष्य में दी जाने वाले फंड में समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

vi. अचल परिसंपत्तियों पर आंतरिक नियंत्रण की अपर्याप्तता:-

क) भौतिक सत्यापन
यह देखा गया है कि NeGD डिवीजन ने अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार स्थान के आधार पर अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी है। साथ ही परिसंपत्तियों को क्रम अनुसार नहीं किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, NeGD द्वारा अचल परिसंपत्तियों पर कोई अप्रचलन नहीं दिया गया है।

ख) अचल परिसंपत्ति रजिस्टर
यह देखा गया है कि NeGD ने परिअचल संपत्ति रजिस्टर का ठीक से रखरखाव नहीं किया है। इसे NeGD द्वारा मैन्युअल भी बनाया जाता है, अचल परिसंपत्ति रजिस्टर किसी भी संरक्षक के अधीन नहीं है, जिसके कारण अचल परिसंपत्ति रजिस्टर की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। अचल परिसंपत्ति रजिस्टर में दिखाया गया परिसपंत्तियों का अंतिम बकाया पुस्तकों से मेल नहीं खाता है। इसके अलावा स्थान के आधार पर अचल परिसंपत्तियों विवरण अचल संपत्ति रजिस्टर में नहीं था।

ग) बीमा कवरेज
यह देखा गया है कि उच्च मूल्य की परिसंपत्तियों पर बीमा कवरेज रु 39,36,31,856.50 की राशि अभी तक NeGD द्वारा नहीं ली गई है।

MyGov डिवीजन

vii. कंपनी ने 31 मार्च 2021 तक खातों की पुस्तकों में दी गई देयताओं पर टीडीएस की कटौती नहीं की है, जिस पर कुल टीडी देयता की गणना नहीं की गई है। साथ ही देर से जमा करने पर लगने वाले ब्याज की गणना की है और न ही बताया गया।

viii. परियोजना प्रोजेक्ट मन की बात 1.0 रु. 78 करोड़ के स्वीकृत बजट में पूरा किया गया था। अतिरिक्त खर्च किए गए रु.7 करोड़ के लिए अनुमोदन की आवश्यकता है।

ix. नवंबर 2019 से खाते में रु. 20,13,453 का डेबिट बैलेंस बकाया है। यह बताया गया है कि यह विभाग के पास जमा किए गए अतिरिक्त टीडी का है। वसूली करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।

x. MyGov ने कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुसार अचल परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया है। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों से कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। अचल परिसंपत्तियों के इस तरह के आंकड़े, यदि कोई हैं, समाधान और परिणामी समायोजन के अधीन हैं।

xi. MyGov के पास आंतरिक लेखापरीक्षण के लिएए कोई प्रणाली नहीं है। इस प्रकार आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक जांच की सटीकता और प्रभावशीलता खतरे में है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा (एसए) मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य

नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षण के साक्ष्य हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का ज़ोर

हम वित्तीय विवरणों के नोट में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क) कंपनी ने 45 संस्थानों/विभागों से प्राप्त खातों के लेखापरीक्षण विवरण के आधार पर 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय और अर्जित ब्याज सहित व्ययों का लेखा किया है जो क्रमशः रु.14,40,28,390/- और रु.8,73,626/- है। (नोट 28 देखें)

ख) ख) कंपनी ने प्राप्त 40 संस्थानों/विभागों के प्रमुखों से प्रमाणपत्र के आधार पर 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय और अर्जित ब्याज सहित व्ययों का लेखा किया है, जो कुल मिलाकर क्रमशः रु. 26,28,34,166/- और रु.5,65,885/- है। ये खाते संबंधित संस्थानों/विभागों के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा लेखापरीक्षण के अधीन हैं। (नोट 28 देखें)

ग) 31 मार्च, 2021 तक बेहतर और बकाया माने जाने वाले संस्थानों/विभागों को दिए गए कुल अग्रिमों में से कुल रु.29,46,74,885/- की राशि में से, 64 संस्थानों/विभागों को दिए गए अग्रिमों की राशि रु.25,07,74,548/ - (रु.9,32,41,624/- NeGD और रु.15,75,32,924 - टीडीडीडी) एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बकाया हैं और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान खातों और उपयोगिता प्रमाणपत्रों का कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ था। (नोट 28 देखें)

परिणामी समायोजन की सीमा, यदि कोई हो, जो ऊपर वर्णित संस्थानों/विभागों से लेखा विवरण और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर उत्पन्न होगी, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, ये वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन में वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।
इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने, उनका पता लगाने, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित व विवेकपूर्ण निर्णय लेना और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत विवरण से मुक्त हैं, के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जब तक प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, जारी रखने की क्षमता का आकलन करने और साथ ही तब तक सभी समस्याओं से संबंधित मामलों को बताने और लेखांकन के आधार पर होने वाली समस्याओं का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि सामग्री धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत विवरण से मुक्त है और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षण से हमेशा ही महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लग जाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकता है और गलत सामग्री माना जाता है यदि व्यक्तिगत या समग्र रूप से, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा करते हैं।

एसए के अनुपालन में लेखापरीक्षण के भाग के रूप में, हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षण में प्रोफेशनल दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम :

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों की पहचान करते हैं और उनका आकलन करते हैं और उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करत हैं और लेखापरीक्षण प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के कारण गलत होने वाली सामग्री का विवरण पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के कारण होने वाले से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

- लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षण से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना ताकि उन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सिस्टम है और ऐसे नियंत्रणों की संचालन संबंधी प्रभावशीलता है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- चालू लेखांकन के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षण प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सामग्री अनिश्चितता है जो चालू कंपनी को जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें वित्तीय विवरण में संबंधित प्रकटीकरण के संबंध में अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना होगा, यदि तो अपनी राय को संशोधित करने के लिए ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं।

- हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण चालू कंपनी काम करना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रस्तुत करना जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।

हम अन्य मामलों के अलावा के संबंध में लेखा परीक्षण के नियोजित दायरे व समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्षों, आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां जिनकी पहचान लेखापरीक्षण के समय की जाती है के संबंध में शासन क साथ बातचीत करते हैं।

हम वह विवरण शासन को प्रदान करते हैं जिसमें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों पर बातचीत करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय के लिए उचित हो सकते हैं।

अन्य मामले :

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन और MyGov डिवीजन के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखापरीक्षण नहीं किया है, इनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च 2021 तक रु. 154,47,00,933 [NeGD: Rs.103,64,37,790, MyGov: Rs.50,82,63,143] तक की कुल परिसंपित्तयों और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रु. 103,64,37,790, [NeGD: रु. 86,82,07,521, MyGov: रु. 17,59,73,016] की कुल आय/व्यय को दर्शाती है। इन डिवीजनों के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा परीक्षण शाखा लेखा परीक्षकों यानी मैसर्स विनय जैन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली ईएम / एस द्वारा किया गया है जिन्होंने हमारे लिए रिपोर्ट तैयार की है और यहां तक यह इन डिवीजनों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित हमारी राय ली गई है जो पूरी तरह से शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016, ("आदेश") द्वारा आवश्यक है, हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त आदेश कंपनी पर लागू नहीं होता है।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमें हमारे द्वारा मांगी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं। जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थे;

   (ख) हमारी राय में कंपनी ने कानून द्वारा आवश्यक उचित लेखा पुस्तकों को रखा है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है;

   (ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के तहत लेखापरीक्षित कंपनी के डिवीजनों के खातों पर रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में उनका उचित तरीके से उपयोग किया गया है।

   (घ) इस रिपोर्ट में दी गई बैलेंस शीट और आय व व्यय का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण खाता पुस्तकों में दिया गया है और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न को हमारे द्वारा नहीं देखा गया है।

   (ङ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुपालन में है;

   (च) निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए 31 मार्च, 2021 को निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुति के आधार पर, किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2021 तक अधिनियम की धारा 164(2) के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

   (छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "संलग्नक ए" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

   (ज) कंपनी (लेखापरीक्षण और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुपालन में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी बेहतर जानकारी और प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी का एक मुकदमा लंबित है और कंपनी के अनुसार कोई वित्तीय प्रभाव प्रत्याशित नहीं है क्योंकि कंपनी इस मामले में तीसरी पार्टी है।
ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई लंबी अवधि का अनुबंध नहीं था; ऐसे में किसी भी संभावित नुकसान पर टिप्पणी करने का सवाल ही नहीं उठता।
iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता संबंधी कोई खाता नहीं था।

3. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत आवश्यक है, भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर निष्कर्ष संलग्नक-बी में संलग्न है।

यार्डी प्रभु एंड एसोसिएट्स एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
कंपनी पंजीकरण संख्या: 111727W/W100101

राहुल रिंगे
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 116172
UDIN: 21116172AAABDB2257

स्थान : मुंबई
दिनांक: दिसंबर 20, 2021

लेखापरीक्षक रिपोर्ट के लिए संगलनक 'ए'

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट

हमारे द्वारा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के संयोजन 31st मार्च 2021 तक मैसर्स डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखापरीक्षण किया गया।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है जिसमें वह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करता है। इन ज़िम्मेदारियों में व्यापार के व्यवस्थित और कुशल आचरण के लिए प्रभावी ढंग से संचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है। साथ ही, इन ज़िम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक रूप में, कंपनी की नीतियों का पालन करना, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारी उत्तरदायित्व लेखापरीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आतंरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने ICAI द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर गाइडेंस नोट ("गाइडेंस नोट") और आतंरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षण के लिए लागू कम्पनी अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण पर मानकों के अनुपालन में लेखापरीक्षण किया है। उन मानकों एवं गाइडेंस नोट के आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस लेखापरीक्षा को पर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है या नहीं, इस पर आश्वासन प्राप्त करें एवं यह नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में ढंग से संचालित किया गया है या नहीं, इसका भी ध्यान रखें।

हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उसके परिचालन प्रभावशीलता पर लेखा-परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। हमारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रणकी की समझ, भौतिक कमजोरी मौजूद होने के जोखिम का आंकलन, साथ ही आकलित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त की गई लेखापरीक्षण साक्ष्य कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षण राय को एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया के तहत स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने संबंधी उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो (**1**) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विवरण में, सत्य और निष्पक्षता के साथ कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को दर्शाता है;**(2)** वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के अनुसरण में देने के लिए, लेनदेन आवश्यक के रूप में दर्ज किया जाये, इस बात का उचित आश्वासन दे और साथ ही कंपनी की प्राप्तियां और

व्यय उनके प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसरण में ही बनाये जा रहे हैं; एवं (**3)** जिन कंपनी संपत्तियों का वित्तीय विवरणों पर एक भौतिक प्रभाव हो सकता है, उनके अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या अवैध आवंटन पर रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन दिया जाए।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों का ओवरराइड होने की संभावना, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण गलत विवरण दिया जा सकता है और पता न चल सके। साथ ही,भविष्य में, किसी भी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन का अनुमान लगाना, किसी भी परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त होने के जोखिम के अधीन है, या फिर नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय में, उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित भौतिक कमजोरियों से उत्पन्न होने वाले संभावित प्रभाव के अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षण पर मार्गदर्शन नोट में कथित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मानदंड के आधार पर, कंपनी ने पर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाये रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मार्च 31, 2021 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

हमने, ऊपर पहचानित और रिपोर्ट की गई कमजोरियों से हमारे कंपनी के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षण में लागू किए गए लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का, निर्धारण करते वक्त ध्यान में रखा है। ये भौतिक कमज़ोरियों हमारी कंपनी के वित्तीय विवरण पर दी गई राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

यार्डी प्रभु एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टड अकाउंटेंट
कंपनी पंजीकरण नं. : 111727W/W100101

सीए राहुल रिंगे
पार्टनर
सदस्यता नं. : 116172
UDIN: 21116172AAABDB2257

स्थान : मुंबई
दिनांक: दिसंबर 20, 2021

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए संलग्नक "बी"

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' भाग के तहत पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश।

क्र.सं.	निर्देश	लेखापरीक्षकों की टिप्पणी	प्रभाव
1.	1. क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया करने का सिस्टम है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव, यदि कोई है, के सहित खातों की अखंडता पर आईटी सिस्टम के बाहर के लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया के प्रभाव को वर्णित किया जा सकता है।	हां, कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया करने का सिस्टम है और आईटी प्रणाली के बाहर किसी लेनदेन की प्रक्रिया नहीं की जाती है।	लागू नहीं
2.	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण को दोबारा बनाया गया है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए डेब्ट्स/ऋणों/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय विवरण दिया जा सकता है।	लागू नहीं — हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार विभाग ने कोई ऋण नहीं लिया है।	लागू नहीं
3.	3. क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य राशि को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हां, उपलब्ध सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर हमारी राय है कि विचलन का कोई मामला नहीं है।	लागू नहीं

यार्डी प्रभु एंड एसोसिएट्स एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
कंपनी पंजीकरण संख्या: 111727W/W100101

राहुल रिंगे
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 116172
UDIN : 21116172AAABDB2257

स्थान : मुंबई
दिनांक: दिसंबर 20, 2021

वित्तीय विवरण

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

CIN: U72900MH2001NPL133410

बैलेंस शीट (मार्च 31, 2021 को)

	विवरण	नोट नं.	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
			राशि (रु.)	राशि (रु.)
I.	**संपत्ति और देनदारियां**			
1	अंशधारी निधि			
	(a) शेयर पूंजी		-	-
	(b) रिजर्व और अधिशेष	3	18,59,80,681	25,58,50,565
	(c) आकस्मिकताओं के लिए आरक्षित निधि	4	17,67,05,982	16,65,58,948
2	गैर-वर्तमान देनदारियां			
	(a) लॉन्ग टर्म प्रोविजन्स	5	1,80,48,703	1,63,81,143
3	वर्तमान देनदारियां			
	(a) अन्य वर्तमान देनदारियां	6	2,11,04,98,673	2,02,94,23,702
	(b) शॉर्ट टर्म प्रोविजन्स	7	21,04,013	32,43,451
	कुल		**2,49,33,38,052**	**2,47,14,57,809**
II.	**परिसंपत्तियां**			
1	गैर-वर्तमान संपत्तियां			
	(a) अचल परिसंपत्तियां	8		
	(i) मूर्त संपत्तियां		7,87,39,489	9,24,13,085
	(ii) अमूर्त संपत्तियां		10,72,41,192	16,34,37,480
	(iii) विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां		-	1,54,96,712
			18,59,80,681	27,13,47,277
	(b) गैर वर्तमान निवेश	9	2,400	2,400
	(c) दीर्घावधि ऋण और पेशगी	10	-	-
	(d) अन्य गैर वर्तमान संपत्तियां	11	48,51,473	49,40,553
2	वर्तमान संपत्तियां			
	(a) नकद और नकद समकक्ष	12	1,96,30,08,814	1,60,57,54,211
	(b) अल्पावधि ऋण और पेशगी	13	29,47,70,317	54,41,83,467
	(c) अन्य वर्तमान संपत्तियां	14	4,47,24,367	4,52,29,901
	Total		**2,49,33,38,052**	**2,47,14,57,809**
			-	-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षेप 2 उपरोक्त नोट्स आय और व्यय विवरण का एक अभिन्न अंग हैं और उन्हें इसकेसाथ ही पढ़ा जाना चाहिए।

एक ही तिथि से जुड़ी हमारी रिपोर्ट पर आधारित
यार्डी प्रभु एंड एसोसिएट्स केलिए
चार्टड अकाउंटेंट
कंपनी पंजीकरण नं. : 111727W/W100101
UDIN: 21116172AAABDB2257

सीए राहुल रिंगे
पार्टनर
सदस्यता नं. : 116172

बोर्ड की ओर से एवं बोर्ड के लिए

(अभिषेक सिंह)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
[DIN : 02645352]

अजय प्रकाश साहनी
निदेशक
[DIN : 03359323]

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: दिसंबर 20, 2021

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

CIN: U72900MH2001NPL133410

31 मार्च, 2021 वर्षांत के लिए आय और व्यय का विवरण

	विवरण	नोट नं.	मार्च 31, 2021 को राशि (रु.)	मार्च 31, 2021 को राशि (रु.)
I.	सहायता अनुदान खाते से अंतरित (नोट 2(g) एवं 24	15	1,52,71,20,146	1,73,02,93,193
II.	अन्य आय	16	5,15,036	19,03,618
III.	**कुल**		**1,52,76,35,182**	**1,73,21,96,811**
	व्यय			
	अनुसंधान एवं/या विकास व्यय (नोट 2(l) देखें)	17	1,07,89,59,455	1,12,18,79,541
	कर्मचारी लाभ व्यय	18	12,62,31,981	13,88,39,167
	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	19	32,24,43,746	47,14,78,103
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय			
	अनुसन्धान संपत्तियों पर		5,90,73,108	4,80,55,593
	अन्य सम्पत्तियों पर		3,95,11,889	4,45,27,372
			9,85,84,997	9,25,82,965
	घटाव: अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से अंतरित (नोट 3 देखें)		9,85,84,997	9,25,82,965
IV.	**कुल**		**1,52,76,35,182**	**1,73,21,96,811**
V.	एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स से पहले 'व्यय से अधिक आय' (III-IV)		-	-
VI.	एक्सेप्शनल आइटम्स		-	-
VII.	एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स से पहले 'व्यय से अधिक आय' (V - VI)		-	-
VIII.	एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स		-	-
IX.	**टैक्स से पहले 'व्यय से अधिक आय' (VII- VIII)**		-	-
X.	टैक्स पर व्यय:		-	-
XI.	**वर्ष के लिए 'व्यय से अधिक आय' (IX-X)**		-	-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षेप 2

उपरोक्त नोट्स आय और व्यय विवरण का एक अभिन्न अंग हैं और उन्हें इसके साथ ही पढ़ा जाना चाहिए।

एक ही तिथि से जुड़ी हमारी रिपोर्ट पर आधारित
यार्डी प्रभु एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
कंपनी पंजीकरण नं.: 111727W/W100101
UDIN:21116172AAABDB2257

सीए राहुल रिंगे
पार्टनर
सदस्यता नं.: 116172

बोर्ड की ओर से एवं बोर्ड के लिए

(अभिषेक सिंह)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
[DIN : 02645352]

(अजय प्रकाश साहनी)
निदेशक
[DIN : 03359323]

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: दिसंबर 20, 2021

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

CIN : U72900MH2001NPL133410

मार्च 31, 2021 वर्षांत के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

	विवरण	राशि (रु.) 2020-21	राशि (रु.) 2019-20
A	**परिचालन गतिविधियों के लिए नकदी प्रवाह**		
	सहायता अनुदान खाते से आय एवं व्यय खाते में अंतरण	(1,52,71,20,146)	(1,73,02,93,193)
	'मूल्यह्रास के लिए रिज़र्व और अधिशेष' से अंतरण	(9,85,84,997)	(9,25,82,965)
	प्रोजेक्ट ओवरहेड्स से अंतरण	-	-
	आय एवं व्यय खाते में कुल अंतरण	**(1,62,57,05,143)**	**(1,82,28,76,158)**
	परिचालन गतिविधियों द्वारा प्राप्त नेट कैश को नेट इनकम		
	मूल्यह्रास	9,85,84,997	9,25,82,965
	अडजस्टेड/डिस्कार्डेड/रिटन ऑफ अचल संपत्तियां	-	4,88,609
	भारत सरकार को वापस किया गया अनुदान	(8,90,90,638)	(5,89,37,634)
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	1,67,86,67,220	2,79,58,32,542
	फ्लेक्सी जमाराशि पर ब्याज	7,18,48,608	7,68,96,364
	प्राप्त हुए प्रोजेक्ट ओवरहेड्स	34,20,500	32,65,416
	कार्यशील पूंजी में बदलाव से पहले परिचालन नकदी का	**13,77,25,544**	**1,08,72,52,104**
	के लिए अड़जस्टमेंट्स :		
	संपत्ति में कमी/(वृद्धि)	**25,00,07,764**	**(6,80,45,159)**
	अन्य गैर-वर्तमान सम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	89,080	20,99,618
	अल्पावधि ऋणों और पेशगी में कमी/(वृद्धि)	24,94,13,150	(6,77,22,774)
	अन्य वर्तमान सम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	5,05,534	(24,22,003)
	देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	**(1,72,76,588)**	**(42,26,56,043)**
	अन्य मौजूदा देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	(1,78,04,710)	(42,60,66,331)
	दीर्घावधि प्रोविज़न्स में वृद्धि/(कमी)	16,67,560	15,89,661
	अल्पावधि प्रोविज़न्स में वृद्धि/(कमी)	(11,39,438)	18,20,627
	परिचालित गतिविधियों के लिए नेट कैश इनफ्लो (ऑउटफ्लो)	**37,04,56,720**	**59,65,50,902**
B	**निवेश गतिविधियों के लिए नकदी प्रवाह**		
	वर्क-इन-प्रोग्रेस सहित अचल संपत्तियों में वृद्धि	(1,32,18,401)	4,82,058
	अप्रचलित आइटम्स के निपटान पर लाभ	16,284	14,37,256
	निवेश गतिविधियों में उपयोगित नेट कैश	**(1,32,02,117)**	**19,19,314**
C	**वित्तीय गतिविधियों के लिए कैश फ्लो**		
	वित्तीय गतिविधियों में उपयोगित नेट कैश	**-**	**-**
	नकद और नकद समकक्षों में कुल वृद्धि/(कमी) (A + B + C)	**35,72,54,603**	**59,84,70,216**
	शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	1,60,57,54,211	1,00,72,83,995
	अंत में नकद और नकद समकक्ष	**1,96,30,08,814**	**1,60,57,54,211**

- -

एक ही ीतिथ की हमारी रिपोर्ट पर आधारित

याड भु एं ड एसोसिएट्स के लिए
चाटड एकाउंट्स

कंपनी पंजीकरण नं.: 111727W/W100101
UDIN: 21116172AAABDB2257

सीए राहुल रिंगे
पार्टनर
सदस्यता नं.: 116172

बोर्ड की ओर से एवं बोर्ड के लिए

(अभिषेक सिंह)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
[DIN : 02645352]

(अजय प्रकाश साहनी)
निदेशक
[DIN : 03359323]

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: दिसंबर 20, 2021

31 मार्च 2021 वर्ष की समाप्ति पर वित्तीय विवरणों पर नोट्स

1 पृष्ठभूमि :

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन [पूर्व में मीडिया लैब एशिया] (यहाँ के बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित 'लाभ' कमाने वाली कंपनी नहीं है। कंपनी भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभा कर रही है और ई-स्वास्थ्य / टेलीमेडिसिन, ई-कृषि, ई-भुगतान आदि के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देती है । डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कैशलेस अर्थव्यवस्था की बढ़ती सुरक्षा और सिक्योरिटी संबंधी मामलों को बढ़ावा देता है और व्यापक रूप से इसे अपनाने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करता है। यह डिजिटल पहल की मदद से नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए नई पद्धतियों को बढ़ावा देता है और मॉडल विकसित करता है। सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए सरकार सहित सभी जगह सहभागी शासन और नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है। कंपनी का उद्देश्य सबसे उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ आम आदमी तक पहुंचाना है।

कंपनी को 20 सितंबर 2001 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 [अब कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8] के तहत गारंटी द्वारा कंपनी लिमिटेड के रूप में और शेयर पूंजी न रखने वाली कंपनी के रूप में निगमित किया गया था।

कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए नाम परिवर्तन के अनुपालन में निगमन प्रमाणपत्र के अनुसार, कंपनी का नाम 8 सितंबर 2017 से "मीडिया लैब एशिया" से बदलकर "डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन" कर दिया गया है।

डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (पूर्व में मीडिया लैब एशिया) के वित्तीय विवरणों में (i) राष्ट्रीय ईअभिशासन - प्रभाग (NeGD), (ii) MyGovDivision, (iii) प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन प्रभाग के खाते शामिल हैं।

राष्ट्रीय ईअभिशासन प्रभाग- (NeGD) डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है। NeGD को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार को डिजिटल इंडिया और ई-क्रांति पहल के विभिन्न कार्यक्रम प्रबंधन पहलुओं में सहायता करने के लिए अनिवार्य किया गया है; जिसमें रणनीतिक योजना और क्षमता निर्माण, मानकों, नीतियों और दिशानिर्देशों का विकास; जागरूकता और संचार; आकलन और मूल्यांकन; और भौतिक और डिजिटल/सोशल प्लेटफ़ॉर्म की मदद से नागरिक जुड़ाव शामिल हैं। NeGD राष्ट्रीय डिजिटल लॉकर, राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान केंद्र और डिजिटल इंडिया के तहत चलने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। NeGD के पास पूर्ण वित्तीय और मानव संसाधन स्वायत्तता है। NeGD के खाते, वित्त और मानव संसाधन को प्रभाग द्वारा ही नियंत्रित, प्रबंधित और बनाए रखा जाता है और प्रभाग का नेतृत्व NeGD के अध्यक्ष और सीईओ करते हैं।

MyGov डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है। MyGovplatform इस तरह की सबसे अनोखी सहभागी शासन पहल है, जिसमें बड़े स्तर पर आम नागरिकों को शामिल किया गया है। MyGov का यह आईडिया एक इंटरफ़ेस की मदद से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करके सरकार को आम नागरिकों के करीब लाता है, ताकि भारत के सामाजिक और आर्थिक बदलाव में योगदान करने के अंतिम लक्ष्य को पूरा करने के लिए आम नागरिक और विशेषज्ञों को शामिल करते हुए विचारों और दृष्टिकोण का स्वस्थ आदान-प्रदान किया जा सके। MyGov का उद्देश्य एक ऐसा इंटरनेट आधारित प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करना है जो सभी नागरिकों को नीति निर्माण और निष्पादन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने विचार रखने, प्रतिक्रिया देने और भागीदारी करने में सक्षम बना सके। MyGov के खाते, वित्त और मानव संसाधन प्रभाग द्वारा ही नियंत्रित, प्रबंधित और बनाए रखे जाते हैं और इस प्रभाग का नेतृत्व MyGov के सीईओ द्वारा किया जाता है।

प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन प्रभाग (टीडीडीडी) - टीडीडी प्रभाग का उद्देश्य जमीनी स्तर पर समाज के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए नवीन समाधानों के लाभों को कुछ केंद्रित यानी (कृषि, शिल्प, एमएसएमई) स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आजीविका संवर्धन और विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण (दिव्यांगजन) आदि क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के लाभ उपलब्ध करवाना है। यह प्रभाग प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और उन्हें लोगों के दैनिक जीवन में लाने के अपने कार्य में सहयोगी अनुसंधान के प्रतिमान पर काम करता है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान **DIC-TDDD** द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना लागू की जा रही है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) और आईटी/आईटी सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) के क्षेत्र में पीएचडी की संख्या बढ़ाने के लिए है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सचिवालय, प्रबंधकीय सहायता और संस्थागत तंत्र के निर्माण प्रदान करेगा।

2 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

(a) वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार:

वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांत ('जीएएपी') के साथ पठित लेखांकन मानकों के सभी भौतिक पहलुओं का पालन करने के लिए तैयार किए जाते हैं। खातों को बढ़ोतरी और चल रहे मामलों के पूर्वानुमान के आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किया गया है। लेखांकन नीतियों को नए जारी किए गए लेखांकन मानकों को अपनाने के कारण बदलावों को छोड़कर लागू किया गया है या किसी ऐसे स्थान पर मौजूदा लेखा मानक में संशोधन किया गया है जिसके लिए अब तक उपयोग में लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता है।

(b) आकलन का उपयोग:

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को आकलन और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान वित्तीय विवरणों की तारीख पर परिसंपत्तियों और देनदारियों और राजस्व व व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम लगाए गए आकलन से भिन्न हो सकते हैं। जैसा कि प्रबंधन आकलन के आसपास की परिस्थितियों में बदलाव के बारे में जागरूक हो जाता है, उसी अनुसार आकलन में उपयुक्त बदलाव किए जाते हैं। आकलन में बदलाव वित्तीय विवरणों की उन अवधियों में परिलक्षित होते हैं जिनमें बदालव किए गए हैं और अगर भौतिक है, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है।

(c) नकद और नकद समतुल्य:

नकद में कैश ऑन हैंड और बैंकों के डिमांड डिपॉजिट शामिल हैं। नकद समतुल्य, अल्पकालिक शेष राशि (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश हैं जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में बदल जाएगी और जो मूल्य में बदलाव के मामूली से जोखिम के अधीन हैं।

(d) मूर्त और अमूर्त अचल संपत्ति:

मूर्त संपत्तियां ऐतिहासिक लागत कम संचित मूल्यह्रास / परिशोधन और हानि, यदि कोई हो, के आधार पर निर्दिष्ट हैं। लागत में उधार लेने की लागत, आगत भाड़ा, शुल्क, कर और संपत्ति के अधिग्रहण और स्थापना से संबंधित आकस्मिक खर्च शामिल हैं, जो परिसंपत्तियों को उनके इच्छित उपयोग के लिए उनकी कार्यशील स्थिति में लाने के लिए किए गए हैं।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य संगठनों द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों को आवधिक अंतराल पर संबंधित संस्थाओं से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर स्वतंत्र और संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा प्रमाणित लेखाकारों द्वारा पूंजीकृत किया जाता है।

अमूर्त संपत्तियां इस तरह की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए प्रतिफल पर दर्ज की जाती हैं और लागत कम संचित परिशोधन और हानि के आधार पर निर्दिष्ट की गई हैं।

(e) मूल्यह्रास / परिशोधन:

लीज़होल्ड परिसर के अलावा अन्य मूर्त अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास, संपत्ति के प्रभावी उपयोग की तारीख से संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर लिखित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन का आकलन किया है और अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन को अपनाया है। व्यक्तिगत रूप से ₹ 5,000 या उससे कम लागत वाली संपत्तियों का अधिग्रहण वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास होता है। लीज़होल्ड परिसर को लीज़ की प्राथमिक अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। अधिग्रहण वर्ष में प्राप्त किए गए रसायनों और घटकों में पूरी तरह से मूल्यह्रास होता है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से युक्त अमूर्त संपत्ति को पांच साल की अवधि या अनुमानित उपयोगी जीवन जो भी कम हो, में एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है।
सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्ति को पूंजीकृत किया जाता है और एक समान राशि को रिजर्व फॉर फिक्स्ड एसेट्स में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तदनुसार, ऐसी अचल संपत्तियों का विलोपन भी अचल संपत्तियों के लिए रिजर्व से समायोजित किया जाता है।

(f) निवेश

दीर्घकालिक निवेश, वर्तमान में न होने वाले निवेशों में शामिल हैं, ऐसे निवेशों के मूल्य में, अस्थायी के अलावा, ह्रास को लागत कम प्रावधान पर व्यक्तिगत रूप से वहन किया जाता है। वर्तमान निवेश कम लागत और उचित मूल्य पर किए जाते हैं और परिणामी गिरावट, यदि कोई हो, को राजस्व के लिए प्रभारित किया जाता है। निवेश की लागत में अधिग्रहण शुल्क जैसे ब्रोकरेज, शुल्क और शुल्क शामिल हैं।

(g) सहायक अनुदान

वर्ष के दौरान किए गए व्यय के लिए उपयोग की गई सहायता अनुदान को किए गए व्यय की सीमा तक आय और व्यय खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अचल संपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग की जाने वाली सहायता अनुदान का हिस्सा, अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित में स्थानांतरित कर दिया जाता है। सहायता अनुदान से खरीदी गई अचल संपत्तियों पर वर्ष के दौरान लगाए गए मूल्यह्रास के बराबर राशि, अचल संपत्तियों के लिए रिजर्व से आय और व्यय के विवरण में स्थानांतरित कर दी जाती है और मूल्यह्रास शुल्क से घटा दिया जाता है। अनुमोदित सहायता अनुदान के अप्रयुक्त हिस्से को एक दायित्व के रूप में मान्यता दी गई है।

(h) कर्मचारी लाभ:

(i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ
सेवाओं को प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से देय सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्वों को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस तरह के लाभों का अनुमान लगाया जाता है और उस अवधि के लिए प्रदान किया जाता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(ii) परिभाषित योगदान योजना
कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी एक परिभाषित योगदान योजना के माध्यम से भविष्य निधि के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों कर्मचारी के मूल वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर मासिक योगदान करते हैं। ये योगदान सरकार द्वारा अनुमोदित भविष्य निधि में किए जाते हैं। उक्त सरकार द्वारा विनियमित भविष्य निधि योजना में योगदान एक परिभाषित योगदान योजना है।
योजनाओं के तहत भुगतान/देय योगदान को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

(iii) परिभाषित लाभ योजना
ग्रेच्युटी (वित्त पोषित) प्रदान करने की लागत प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। कंपनी ने अपनी ग्रेच्युटी योजना को संचालित करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक समझौता किया है। प्रत्येक कर्मचारी के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि, ग्रेच्युटी अधिनियम के भुगतान के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन है।

(iv) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ
क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति जैसे दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के दायित्व को अवधि के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।
संविदात्मक कर्मचारियों के संबंध में, अवकाश नकदीकरण का प्रावधान, जिसमें लाभ भी शामिल है, अर्जित किया जाता है और संबंधित कर्मचारियों के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार पूर्ण दायित्व के आधार पर बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार कर्मचारियों की अप्रयुक्त संचित छुट्टी के आधार पर प्रदान किया जाता है। .

(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय स्मार्ट सरकार संस्थान और अन्य संगठनों में किए गए खर्च:

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट और अन्य संगठनों को अग्रिम आय और व्यय के विवरण में खर्च किए जाते हैं या खातों के विवरण के आधार पर अचल संपत्तियों के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किया जाता है या संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा प्रमाणित किया जाता है। यह समय-समय पर संबंधित संस्थाओं से प्राप्त होता है।

(j) विदेशी मुद्रा लेनदेन:

विदेशी मुद्रा लेनदेन किए जाने वाले लेन-देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। वर्ष के दौरान तय किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उसी अवधि के आय और व्यय विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्ष के अंत की दरों पर अनुवाद किया जाता है और परिणामी विनिमय अंतरों को आय और व्यय के विवरण में ले जाया जाता है। गैर-मौद्रिक आइटम, जो विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित ऐतिहासिक लागत पर ले जाए जाते हैं, लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट किए जाते हैं।

(k) पट्टे पर दी गई संपत्ति:

पट्टों पर अर्जित संपत्तियां जहां स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पट्टेदार द्वारा बरकरार रखा जाता है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टे पर दी गई संपत्ति के किराये और अन्य सभी खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।

(l) अनुसंधान और/या विकास खर्च:

अनुसंधान और/या विकास व्यय में कंपनी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय स्मार्ट सरकार संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा अनुसंधान, विकास, परिनियोजन और कार्यान्वयन गतिविधियों के संचालन के लिए किए गए सभी खर्च शामिल हैं।

(m) संपत्ति का नुकासन:

प्रबंधन प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि का मूल्यांकन करता है कि क्या किसी परिसंपत्ति का नुकासन हो सकता है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है, तो प्रबंधन परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है (अर्थात परिसंपत्ति के शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य से अधिक)। अगर परिसंपत्ति की ऐसी वसूली योग्य राशि या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि, जिससे परिसंपत्ति संबंधित है, वहन राशि से कम है, तो वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है। कमी को नुकासन के रूप में माना जाता है और आय और व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है। अगर बैलेंस शीट की तिथि पर कोई संकेत मिलता है कि पहले से निर्धारित नुकासन अब मौजूद नहीं है, तो वसूली योग्य राशि का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और राशि ऐसी वसूली योग्य राशि पर प्रतिबिंबित होती है जो अधिकतम मूल्यह्रास योग्य ऐतिहासिक लागत के अधीन होती है। नुकसान का ऐसा बदलाव केवल उस स्थिति में किया जाता है, जब, नुकसान की पहचान होने के बाद उसका होने वाली किसी घटना से वस्तुपरक संबंध हो सकता है।

(n) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां:

कंपनी एक ऐसे प्रावधान को मान्यता देती है, जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की आवश्यकता होती है और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। एक आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण किया जाता है जहां एक संभावित दायित्व या एक वर्तमान दायित्व होता है, लेकिन शायद संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता नहीं होगी या जहां कोई विश्वसनीय अनुमान संभव नहीं है। जहां एक संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूर है, कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियां की न तो पहचान की जाती हैं और न ही प्रकट की जाती हैं। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर प्रावधान, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा नहीं की जाती है।

नोट 3 - रिज़र्व एवं अधिशेष

(नोट 2(g) एवं 6 देखें)

विवरण	मार्च 31, 2021		मार्च 31, 2021	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अचल सम्पत्तियों के लिए रिज़र्व				
पिछले बैलेंस शीट के अनुसार	25,58,50,565		27,38,62,504	
जोड़:				
सहायता अनुदान खाते से अंतरित राशि से वर्ष के दौरान खरीदी गयी सम्पत्ति	2,87,15,113		7,50,59,635	
घटाव:				
वर्ष के लिए डिलिशंस की रिटन डाउन वैल्यू	-		4,88,609	
		28,45,65,678		34,84,33,530
घटाव:				
आय और व्यय खाते में अंतरित:				
- सालाना मूल्यह्रास (नोट 8 देखें)		9,85,84,997		9,25,82,965
कुल		**18,59,80,681**		**25,58,50,565**

नोट 4 - आकस्मिकता के लिए रिज़र्व निधि

(नोट 27 देखें)

विवरण	मार्च 31, 2021		मार्च 31, 2021	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
आकस्मिकता के लिए रिज़र्व निधि				-
a) शुरूआती बैलेंस	16,65,58,948		15,26,35,781	
b) वर्ष के दौरान एडिशन्स				
- वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	39,66,087		65,92,751	
- GCCS 2017 के प्रायोजन के लिए सहायता अनुदान से अंतरण	-		-	
- इंस्टीटूशनल ओवरहेड्स (प्रायोजित प्रोजेक्ट्स) के लिए सहायता अनुदान से अंतरण	27,60,447		40,65,000	
- मेघालय सरकार द्वारा अंतरण (1917 iTeams प्रोजेक्ट ओवरहेड्स)	34,20,500		32,65,416	
कुल (a+b)		17,67,05,982		16,65,58,948
घटाव:				
c) निधियों का उपयोग/ व्यय				
i) राजस्व व्यय	-		-	
ii) पूंजीगत व्यय	-		-	
कुल (c)		-		-
वर्ष के अंत में बैलेंस (a+b-c)		17,67,05,982		16,65,58,948
कुल		**17,67,05,982**		**16,65,58,948**

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
CIN : U72900MH2001NPL133410

नोट 5 - दीर्घावधि प्रोविज़न्स

विवरण	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2021
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
कर्मचारी लाभों के लिए प्रोविज़न्स		
छुट्टिओं का नकदीकरण (नोट 2(h) and 35 देखें)	1,80,48,703	1,63,81,143
कुल	**1,80,48,703**	**1,63,81,143**

नोट 6 - अन्य वर्तमान देनदारियां

विवरण	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2021
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
(a) सहायता अनुदान खाता (नोट 2(g) देखें)		
पिछले बैलेंस शीट के अनुसार	1,57,28,41,010	57,31,34,452
जोड़:		
अचल संपत्तियों के डिलीशन पर रिजर्व से अंतरित	-	4,88,609
वर्ष में प्राप्त हुआ सहायता अनुदान (नोट 24 देखें)	1,67,86,67,220	2,79,58,32,542
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज (नोट 25 देखें)	6,78,82,521	7,03,03,613
अप्रचलित आइटम्स के निपटान से हुआ लाभ	16,284	14,37,256
घटाव:		
भारत सरकार को वापस की गई राशि (नोट 25 देखें)	8,90,90,638	5,89,37,634
अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित (नोट 3 देखें)	2,87,15,113	7,50,59,635
आकस्मिकताओं / प्रोजेक्ट ओवरहेड्स के लिए आरक्षित निधि में अंतरित - (नोट 27 देखें)	27,60,447	40,65,000
आय एवं व्यय खाते में अंतरित (नोट 15 देखें)	1,52,71,20,146	1,73,02,93,193
	1,67,17,20,691	1,57,28,41,010
(b) जमाराशि		
- बयाना/अग्रिम राशि		
- सिक्योरिटी	68,87,357	63,10,357
(c) अन्य वर्तमान देनदारी (अचल सम्पत्तियों के लिए)	-	5,24,61,568
(d) अन्य वर्तमान देनदारी (व्यय के लिए)	42,20,82,311	39,24,02,313
(e) अन्य देनदारियां		
- सोर्स पर काटा गया टैक्स	59,39,633	40,31,801
- GST / प्रोफेशन टैक्स	69,800	13,222
- वेतन और अदायगी	6,27,026	1,01,732
- भविष्य निधि एवं अन्य कटौतियां	7,25,265	
- पहले से प्राप्त हुई आय	-	9,67,500
- अन्य	24,46,590	2,94,199
कुल	**2,11,04,98,673**	**2,02,94,23,702**

नोट 7 - अल्पावधि प्रोविज़न्स

विवरण	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2021
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
कार्मचारिक लाभ के लिए प्रोविज़न		
छुट्टिओं का नकदीकरण (नोट 2(h) एवं 35 देखें)	6,84,084	11,43,134
आनुतोषिक	14,19,929	21,00,317
कुल	**21,04,013**	**32,43,451**

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

CIN : U72900MH2001NPL133410

नोट 8 - अचल सम्पत्तियां

(नोट 2(d), (e) एवं (g) देखें)

राशि (रु.)

सम्पत्तियों का विवरण	ग्रॉस ब्लॉक - लागत पर				मूल्यहास				नेट ब्लॉक	
	अप्रैल 1, 12-Jul-05 को	वार्षिक परिवर्धन	वार्षिक कटौतियां	मार्च 31, 2021 को	अप्रैल 1, 2020 को	वर्ष के	वार्षिक कटौतियों पर	मार्च 31, 2021 को	मार्च 31, 2021 को	मार्च 31, 2021 को
(i) मूर्त सम्पत्तियां										
कंप्यूटर उपकरण	32,88,63,543	1,01,58,973	-	33,90,22,516	30,92,65,102	1,29,47,341	-	32,22,12,443	1,68,10,073	1,95,98,441
सर्वर और नेटवर्क्स	11,52,95,068	-	-	11,52,95,068	10,72,53,270	43,20,857	-	11,15,74,127	37,20,941	80,41,798
अनुसन्धान उपकरण	8,56,07,266	9,50,120	-	8,65,57,386	8,44,71,455	3,06,178	-	8,47,77,633	17,79,753	11,35,811
कार्यालय के लिए उपकरण	3,23,93,363	19,47,577	-	3,43,40,940	2,81,68,894	29,48,550	-	3,11,17,444	32,23,496	42,24,469
फर्नीचर एवं फिक्स्चर	2,74,73,095	61,621	-	2,75,34,716	1,90,13,693	55,66,185	-	2,45,79,878	29,54,838	84,59,402
लीज होल्ड परिसर@	5,59,46,000	-	-	5,59,46,000	53,80,817	5,88,905	-	59,69,722	4,99,76,278	5,05,65,183
वाहन	33,85,954	-	-	33,85,954	29,97,973	1,13,871	-	31,11,844	2,74,110	3,87,981
कुल	**64,89,64,289**	**1,31,18,291**	**-**	**66,20,82,580**	**55,65,51,204**	**2,67,91,887**	**-**	**58,33,43,091**	**7,87,39,489**	**9,24,13,085**
पिछले वर्ष	64,74,72,505	3,38,92,869	3,24,01,085	64,89,64,289	55,37,25,100	3,47,38,580	3,19,12,476	55,65,51,204	9,24,13,085	9,37,47,405
(ii) अमूर्त सम्पत्तियां										
सॉफ्टवेयर	32,82,92,869	1,55,96,822	-	34,38,89,691	18,97,55,389	6,68,13,110	-	25,65,68,499	8,73,21,192	13,85,37,480
कॉपीराइट्स, पेटेंट्स और अन्य बौद्धिक म्पदा अधिकार, सर्विस एवं संचाल न अधिकार	2,49,00,000		-	2,49,00,000	-	49,80,000	-	49,80,000	1,99,20,000	2,49,00,000
कुल	**35,31,92,869**	**1,55,96,822**	**-**	**36,87,89,691**	**18,97,55,389**	**7,17,93,110**	**-**	**26,15,48,499**	**10,72,41,192**	**16,34,37,480**
पिछले वर्ष	31,20,26,103	4,11,66,766	-	35,31,92,869	13,19,11,004	5,78,44,385	-	18,97,55,389	16,34,37,480	18,01,15,099
कुल योग	**1,00,21,57,158**	**2,87,15,113**	**-**	**1,03,08,72,271**	**74,63,06,593**	**9,85,84,997**	**-**	**84,48,91,590**	**18,59,80,681**	**25,58,50,565**
पिछले वर्ष	95,94,98,608	7,50,59,635	3,24,01,085	1,00,21,57,158	68,56,36,104	9,25,82,965	3,19,12,476	74,63,06,593	25,58,50,565	27,38,62,504
(iii) विकासाधीन अमूर्त सम्पत्तियां									**-**	**1,54,96,712**
									18,59,80,681	**27,13,47,277**

1) 1) लीज होल्ड परिसर@ को 10.02.2011 से 95 सालों के लिए परिशोधित किया गया है

2) 2) पिछले आंकड़ों को मौजूदा वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप करने के लिए पुनः वर्गित / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

नोट 9 – गैर-वर्तमान निवेश

विवरण	नॉमिनल वैल्यु	शेयरों की संख्या	**मार्च 31, 2021**	**मार्च 31, 2021**
	रु.		राशि (रु.)	राशि (रु.)
व्यापार निवेश (लागत पर) (नोट 33 देखें) एग्रोकॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. के शेयरों में निवेश	1	2,400	2,400	2,400
कुल			**2,400**	**2,400**
नोट : a) निवेश की कुल वैल्यू अनकोटेड - लागत पर			2,400	2,400
b) निवेश की वैल्यू में कोई घटाव नहीं है			-	-

नोट 10 - दीर्घावधि ऋण और पेशगी

विवरण	**मार्च 31, 2021**	**मार्च 31, 2021**
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनसेक्यूर्ड मानी गयी वस्तुएं 1) पूंजीगत पेशगी / कैपिटल एडवांस	-	-
कुल	**-**	**-**

नोट 11 - अन्य गैर-वर्तमान सम्पत्तियां

विवरण	**मार्च 31, 2021**	**मार्च 31, 2021**
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
सिक्योरिटी डिपॉजिट	48,51,473	49,40,553
कुल	**48,51,473**	**49,40,553**

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
CIN : U72900MH2001NPL133410

नोट 12 - नकद एवं नकद समकक्ष

विवरण	मार्च 31, 2021 राशि (रु.)	मार्च 31, 2021 राशि (रु.)
नकद एवं नकद समकक्ष (नोट 2(c) देखें		
हस्तगत रोकड़/कैश इन हैंड	19,493	2,27,655
बैंकों में बैलेंस - बचत और चालू खाता	7,29,05,530	8,20,66,618
बैंकों में बैलेंस - फ्लेक्सी मैच्युरिटी डिपॉज़िट्स	1,89,00,83,791	1,52,34,59,938
कुल	**1,96,30,08,814**	**1,60,57,54,211**

नोट 13 - अल्पावधि ऋण एवं पेशगी

विवरण	मार्च 31, 2021 राशि (रु.)	मार्च 31, 2021 राशि (रु.)
नकद या अन्य रूप में पुनर्प्राप्त योग्य पेशगी		
अनसेक्यूर्ड मानी गयी वस्तुएं		
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्मार्ट गवर्नमेंट, और अन्य संस्थाएं (नोट 2(i) देखें)	29,46,74,885	54,39,20,318
(A)	29,46,74,885	54,39,20,318
अन्य ऋण एवं पेशगी		
कर्मचारिओं को पेशगी	95,432	2,63,149
(B)	95,432	2,63,149
कुल (A + B)	**29,47,70,317**	**54,41,83,467**

नोट 14 - अन्य वर्तमान सम्पत्तियां

विवरण	मार्च 31, 2021 राशि (रु.)	मार्च 31, 2021 राशि (रु.)
एडवांस आयकर (tds)	1,26,03,564	1,05,77,694
प्रीपेड खर्च	73,77,744	33,11,474
बैंक फिक्स्ड डिपॉज़िट्स पर अर्जित ब्याज	89,97,073	2,03,52,585
संस्थांनों से प्राप्य राशि	1,37,32,533	1,09,65,008
GST इन्पुट क्रेडिट	-	23,140
पुनर्प्राप्ति योग्य TDS	20,13,453	-
कुल	**4,47,24,367**	**4,52,29,901**

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
CIN : U72900MH2001NPL133410

नोट 15 - सहायता अनुदान

विवरण	मार्च 31, 2021 राशि (रु.)	मार्च 31, 2021 राशि (रु.)
सहायता अनुदान खाते से अंतरित (नोट 2(g), 6 एवं 24 देखें)	1,52,71,20,146	1,73,02,93,193
कुल	**1,52,71,20,146**	**1,73,02,93,193**

नोट 16 - अन्य आय

विवरण	March 31, 2021 Amount (in Rs.)	March 31, 2021 Amount (in Rs.)
(a) ब्याज के रूप में आय		
- सिक्योरिटी डिपॉज़िट्स पर	-	-
(b) रिटन बैक सनड्राई क्रेडिट बैलेंस (कुल)	-	2,92,277
(c) अन्य आय	5,15,036	16,11,341
कुल	**5,15,036**	**19,03,618**

नोट 17 - अनुसन्धान और/एवं विकास व्यय

विवरण	March 31, 2021 Amount (in Rs.)	March 31, 2021 Amount (in Rs.)
व्यय - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्मार्ट गवर्नमेंट और अन्य संस्थाएं (नोट 2(i) देखें)	40,86,38,498	42,31,57,064
वेतन, अलाउंस और अन्य लाभ	61,45,74,741	60,50,10,782
पिछली अवधि के खर्च	1,21,04,223	62,49,424
भविष्य निधि एवं अन्य फंडों के लिए अंशदान	53,60,282	47,70,629
यात्रा और परिवहन	3,93,665	69,11,640
अनुसन्धान कार्यशालाएं और सम्मलेन	2,88,68,745	4,53,31,196
व्यावसायिक शुल्क	14,66,684	52,27,295
संचार	27,78,946	29,90,354
किराया	-	1,22,56,228
मेंटेनन्स	47,73,671	98,83,329
ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन	-	91,600
कुल	**1,07,89,59,455**	**1,12,18,79,541**

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

CIN : U72900MH2001NPL133410

नोट 18 - कर्मचारी लाभ खर्च

विवरण	मार्च 31, 2021 राशि (रु.)	मार्च 31, 2021 राशि (रु.)
वेतन , अलाउंस और अन्य लाभ	12,53,11,547	13,49,33,533
भविष्य निधि एवं अन्य फंडों के लिए अंशदान	6,85,436	25,79,627
स्टाफ वेलफेयर	2,34,998	13,26,007
कुल	**12,62,31,981**	**13,88,39,167**

नोट 19 - प्रशासनिक और अन्य व्यय

विवरण	मार्च 31, 2021 राशि (रु.)	मार्च 31, 2021 राशि (रु.)
बिजली	6,69,012	11,70,808
दरें और टैक्स	5,68,078	-
मरम्मत और रखरखाव		
- बिल्डिंग		-
- अन्य	64,94,229	97,33,357
बीमा	95,715	1,31,782
कार्यालय व्यय	- 2,87,84,668	12,39,43,671
यात्रा और परिवहन	55,35,950	2,69,95,003
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	19,34,95,750	22,82,69,912
लेखापरीक्षक भुगतान *	4,60,198	5,36,898
विज्ञापन और सम्मलेन	12,82,36,972	7,39,15,764
वेबसाइट रखरखाव खर्च	29,116	55,067
रिक्रूटमेंट	37,500	2,16,751
संचार	48,82,747	56,12,211
मीटिंग सम्बंधित खर्च	1,248	10,122
अन्य खर्च	1,93,849	5,24,363
पिछली अवधि के खर्च	1,05,28,050	-
अचल सम्पत्तियों पर घाटा	-	3,62,394
कुल	**32,24,43,746**	**47,14,78,103**

***Auditors' Remuneration**	मार्च 31, 2021 राशि (रु.)	मार्च 31, 2021 राशि (रु.)
लेखा परीक्षकों को भुगतान (जीएसटी सहित)		
ए) लेखा परीक्षक	4,60,198	4,36,598
बी) अन्य सेवाओं के लिए	-	1,00,300
ग) व्यय की प्रतिपूर्ति		
कुल	**4,60,198**	**5,36,898**

डिजिटल इंडिया निगम
सीआईएन: U72900MH2001NPL133410

नोट 20(A) - (i) NeGD (ii) myGov (iii) TTD विभाग का तुलन पत्र का सारांश

	विवरण	राष्ट्रीय ई-शासन विभाग	MyGov	DIC-TDDD	पुंजी
		मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2021	31-Mar-21
		राशी (रुपय में)	राशी (रुपय में)	राशी (रुपय में)	राशी (रुपय में)
I.	**इक्विटी और देयता**				
1	हिस्सेदारों की निधि				
	(a) हिस्सा पुंजी	-	-		-
	(b) आरक्षित और अधिशेष	10,83,81,177	1,77,57,918.00	5,98,41,584	18,59,80,681
	(c)आकस्मिकताओं के लिए आरक्षित निधि	4,46,30,000	-	13,20,75,982	17,67,05,982
2	गैर मौजूदा देनदारियां				
	(a) दीर्घकालिक प्रावधान	-	-	1,80,48,703	1,80,48,703
3	वर्तमान देनदारियां				
	(a) अन्य मौजूदा प्रावधान	88,34,26,613	49,05,05,225.00	73,65,66,837	2,11,04,98,673
	(b) अल्पकालिक प्रावधान	-	-	21,04,013	21,04,013
	कुल	**1,03,64,37,790**	**50,82,63,143**	**94,86,37,119**	**2,49,33,38,052**
II.	**संपत्तीयां**				
1	गैर मौजदा संपत्तियां				
	(a) निश्चित संपत्तियां				
	(i)मूर्त संपत्ति	1,16,03,547	80,64,326	5,90,71,616	7,87,39,489
	(ii) अमूर्त संपत्ति	9,67,77,631	96,93,593	7,69,968	10,72,41,192
	(iii) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-
		10,83,81,178	1,77,57,919	5,98,41,584	18,59,80,681
	(b) गैर चालू निवेश	-	-	2,400	2,400
	(c) लंबि अवधी के ऋण और अग्रीम	-	-	-	-
	(d) अन्य गैर वर्तमान संपत्ति	5,00,265	31,24,644	12,26,564	48,51,473
2	वर्तमान संपत्ति				
	(a)नकद और नकदी के समतुल्य	81,09,62,462	47,30,55,134	67,89,91,218	1,96,30,08,814
	(b) अल्पवधि ऋण और अग्रीम	11,36,33,448	-	18,11,36,869	29,47,70,317
	(c) अन्य चालू संपत्तीयां	29,60,437	1,43,25,446	2,74,38,484	4,47,24,367
	कुल	**1,03,64,37,790**	**50,82,63,143**	**94,86,37,119**	**2,49,33,38,052**

डिजिटल इंडिया निगम

सीआईएन : U72900MH2001NPL133410

नोट 20(B) - (i) NeGD (ii) MyGov (iii) TDD विभाग की आय और लागत का सारांश

	विवरण	राष्ट्रीय ई-शासन विभाग	MyGov	DIC-TDDD	कुल
		मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2021
		राशी (रुपय मे)	राशी (रुपय मे)	राशी (रुपय मे)	राशी (रुपय मे)
I.	सहायता खाते में अनुदान से हस्तांतरित	86,80,76,761	17,59,73,016	48,30,70,367	1,52,71,20,146
II.	अन्य आय	1,30,760	-	3,84,276	5,15,036
III.	**कुल**	**86,82,07,521**	**17,59,73,016**	**48,34,54,643**	**1,52,76,35,182**
	लागत:				
	अनुसंधान और / या विकास लागत	61,33,44,338	-	46,56,15,117	1,07,89,59,455
	कर्मचारी लाभ लागत	-	11,57,68,430	1,04,63,551	12,62,31,981
	प्रशासन और अन्य लागत	25,48,63,183	6,02,04,586	73,75,975	32,24,43,746
	मूल्य ह्रास और परिशोधन लागत				
	- अनुसंधान संपत्तीयों पर	5,22,29,037	-	68,44,073	5,90,73,110
	- अन्य संपत्तीयों पर	6,59,060	3,34,21,931	54,30,898	3,95,11,889
		5,28,88,097	3,34,21,931	1,22,74,971	9,85,84,999
	कम: निश्चित संपत्ति के लिए आरक्षित से स्थानांतरित	5,28,88,097	3,34,21,931	1,22,74,971	9,85,84,999
IV.	**कुल**	**86,82,07,521**	**17,59,73,016**	**48,34,54,643**	**1,52,76,35,182**
V.	ललागत से अधिक आय (III-IV)	-	-	-	-

31 मार्च, 2021 वर्षांत के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

21. वर्ष के अंत में पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएं, रु. 0; (पिछले वर्ष, रु. 0)।

22. आयकर विभाग के टीडीएस पोर्टल के अनुसार बकाया टीडीएस डिमांड के रूप में वर्ष के अंत में संभावित देयताएं रु.9,440 है (पिछले वर्ष, 32,240 रुपये)।

23. कंपनी को आयकर अधिनियम,1961 की धारा 10(23)(C)(iv), आदेश संख्या CCIT/MUM/10(23)(C)(iv)/66/2007-08 97, दिनांक 31.10.2007, के तहत धर्मार्थ उद्देश्य के लिए एक संस्था के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो कि वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई द्वारा निर्धारण वर्ष 2005- 2006 से वापस लेने तक जारी किया गया है और इसलिए कंपनी कर में छूट का दावा करने की हकदार है, जो कि निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन है।

कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A, पत्र संख्या DIT(E)/12A/36786/2002-2003 दिनांक 7 अक्टूबर 2002 के तहत पंजीकरण भी प्राप्त किया है और इसलिए वह आयकर अधिनियम की धारा 11 के तहत कर में छूट का दावा करने की हकदार है।

24. कंपनी को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 167,86,67,220 रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है (पिछले वर्ष रु.279,58,32,542)। सहायता अनुदान का कोई भी भाग जो अंततः अनुमोदित उद्देश्यों के लिए आवश्यक नहीं है उसे सरकार को यथानियम सौंपा जाएगा।

अनुदान का विवरण	**वित्तीय वर्ष 2020-21 रुपए**	**वित्तीय वर्ष 2019-20 का रुपए**
राष्ट्रीय ई-अभिशासन प्रभाग:		
एनईजीपी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्षमता निर्माण योजना (चरण ii)	51,30,00,000	25,77,00,000
डीआईपी के लिए जागरूकता और संचार योजना	-	6,00,00,000
एनईजीडी 2.0 की कार्यप्रणाली	12,04,00,000	13,00,00,000
सहयोग अनुप्रयोग विकास	1,00,00,000	-
तीव्र मूल्यांकन प्रणाली/ रैपिड असेसमेंट सिस्टम	1,25,00,000	-
राष्ट्रीय डिजिटल लॉकर	10,00,00,000	10,00,00,000
राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान केन्द्र	-	15,51,00,000
प्रोजेक्ट इवेंट सेल्फ 4 सोसाइटी	-	-
यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन (उमंग)	10,00,00,000	9,30,00,000
अनुसूचित जाति / जनजाति आधिकारिक प्रशिक्षण परियोजना		-
विश्व बैंक डीपीएल परियोजना	3,70,00,000	-
शिल्प आधारित उद्यम के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म	20,57,520	-
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के विकास के लिए इनोवेशन चैलेंज	2,65,00,000	-
आत्म निर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज	3,80,00,000	-
RAISE 2020	2,75,00,000	-
डिजिटल भुगतान के लिए P&A	2,32,54,400	-

31 मार्च, 2021 वर्षांत के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

अभियान		
IndEA परियोजना	-	9,99,00,000
सीआईएसओ (CISO) प्रशिक्षण कार्यक्रम परियोजना	-	-
Meghraj के तहत CI CMO के लिए CB कार्यक्रम	-	1,50,00,000
LMS के माध्यम से साइबर कानून पर ऑनलाइन CB कार्यक्रम	-	2,00,00,000
साइबर सुरक्षित भारत- - CISO डीप ड्राइव प्रशिक्षण	-	1,00,00,000
नेशनल डाटा हाईवे (एनडीएच)	-	4,50,00,000
नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन (एनएलटीएम) – बहु भाषक परियोजना	-	2,95,29,000
राष्ट्रीय AI पोर्टल	-	1,00,00,000
कुल (A)	**1,01,02,11,920**	**1,02,52,29,000**
मेरी सरकार (MyGov):		
MyGov - शासन में नागरिकों की भागीदारी के लिए एक मंच	28,12,00,000	69,27,00,000
E-Greetings और Sampark पोर्टल	-	11,55,39,680
E-Greetings और Sampark 2.0 पोर्टल	8,00,00,000	-
संस्कृति मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	-	75,75,000
गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	-	17,17,467
DAVP से प्राप्त अनुदान	-	2,99,82,797
MOSPORTS से प्राप्त अनुदान	-	12,98,000
कुल (B)	**36,12,00,000**	**84,88,12,944**
प्रौद्योगिकी विकास और नियोजन प्रभाग **(TDDD)**		
TDDD	6,00,00,000	6,00,00,000
DST, भारत सरकार, द्वारा वाराणसी के बसनी में ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना	7,00,000	12,00,000
इंटरएक्टिव मोबाइल इनेबल्ड सेंट्रलाइज्ड रिमोट आई केयर डिलीवरी सिस्टम का डिजाइन, विकास और नियोजन	-	41,14,000

31 मार्च, 2021 वर्षांत के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

पूर्वोत्तर भारत के नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए डिजिटल समाधानों का अनुकूलन, संवर्धन और परिनियोजन	-	3,00,00,000
महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ICT आधारित क्षमता निर्माण	-	35,40,000
मिजोरम और त्रिपुरा में मोबाइल आधारित कृषि सलाह प्रणाली (m4agri)	1,76,28,000	2,01,88,000
श्रवण बाधितों के लिए विजुअल स्पीच ट्रेनिंग सिस्टम - चरण 2 (VSTS2)	43,04,000	22,50,000
बनारसी साड़ियों की बुनाई के लिए ओपन सोर्स सीएडी (कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग) टूल	-	4,98,598
आईसीटी द्वारा मिर्जापुर (एक पिछड़ा जिला), उत्तर प्रदेश के मझवा ब्लॉक में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से विकास और आजीविका संवर्धन	36,96,300	-
डिजीबुनाई (बुनाई के लिए ओपन सोर्स सीएडी टूल) का संवर्धन, फील्ड परीक्षण, और प्रशिक्षण और रखरखाव	19,53,000	-
उत्तर पूर्व क्षेत्र (मिजोरम) के बुनकरों/डिजाइनरों और कारीगरों के लिए डिजिटल समाधानों का संवर्धन और फील्ड परीक्षण	12,54,000	-
हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के ऑनलाइन विपणन में बुनकरों और कारीगरों की मदद के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत ई-कॉमर्स पोर्टल का विकास	1,77,20,000	-
कुल (c)	**10,72,55,300**	**12,17,90,598**

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना (D)	20,00,00,000	80,00,00,000
कुल योग (A) + (B) + (C) + (D)	**167,86,67,220**	**279,58,32,542**

25. वर्ष के दौरान सहायता अनुदान पर प्राप्त ब्याज के रूप में 6,78,82,521 रुपये (पिछले वर्ष रु. 7,03,03,613) की राशि सहायता अनुदान खाते में जमा की गई है। अर्जित/उपार्जित ब्याज को कंपनी द्वारा सहायता अनुदान खाते में उसी वर्ष में जमा किया गया है जिस वर्ष इसे उपचय-आधार पर अर्जित/उपार्जित किया गया। कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान रु.3,07,07,116/- (पिछले वर्ष रु.4,00,31,561) के ब्याज सहित रु. 8,90,90,638 (पिछले वर्ष रु. 5,89,37,634) का सहायता अनुदान वापस (रिफंड) किया है।

26. सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के अनुसार, सहायता अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्तियों का निपटान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है। इन परिसंपत्तियों का उपयोग सिर्फ उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है जिनके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, अगर कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो ऐसी परिसंपत्तियां इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को वापस कर दी जाएंगी, जो कि इन परिसंपत्तियों को बेचने या अन्यथा निपटान के लिए स्वतंत्र होंगी।

27. प्रायोजित परियोजनाओं से ओवरहेड्स के रूप में प्राप्त धन सहित अन्य आय का उपयोग कर कंपनी द्वारा एक आरक्षित/बचत निधि बनाई गई है जो कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रत्याशित लागत, भविष्य के रखरखाव की लागत, या फिर कंपनी के हित में किसी अन्य उद्देश्य के लिए होगी। परियोजनाओं से ओवरहेड्स के रूप में प्राप्त धन का उपयोग कर चालू वर्ष के दौरान कुल 61,80,947 रुपये की राशि आरक्षित/बचत निधि में अंतरित की गई है। चूंकि सावधि जमा राशि को विशेष रूप से निर्धारित नहीं किया गया है, तो चल सावधि जमा राशि पर अर्जित 39,66,087 रुपये का आनुपातिक ब्याज आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

28. 7 संस्थानों से प्राप्त खातों के लेखा परीक्षित विवरण के आधार पर TDDD ने Rs.1,16,02,242 कुल व्यय, 86,942 रुपये का अर्जित ब्याज ,और 6,04,136 रुपये की अचल संपत्ति लेखाबद्ध की है। कुल 11,57,952 रुपये का व्यय के बारे में 1 संस्थान से प्राप्त व्यय का विवरण और 9,012 रुपये का अर्जित ब्याज संस्थान के अधिकृत कर्मियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और ये खाते/विवरण संबंधित संस्थान के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा ऑडिट के अधीन हैं। 'ऋण और पेशगी' के तहत दिखाई गयी और एक वर्ष से अधिक समय से बकाया कुल रु. 8,61,558 की शेष राशि के पुष्टि/उपयोग संबंधित प्रमाण पत्र 3 संस्थानों से प्राप्त नहीं हुए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना ने i) कुल खर्च 13,18,22,012 रुपये और ब्याज अर्जित 7,86,684 रुपये (अड़तीस संस्थानों से प्राप्त खातों के लेखा परीक्षित/ऑडिट विवरण के आधार पर) ii) कुल खर्च 26,16,76,214 रुपये और अर्जित ब्याज रु.5,56,873 (उनतीस संस्थानों से प्राप्त खातों के प्रमाणित विवरण के आधार पर) लेखाबद्ध किये हैं और ये खाते/विवरण संबंधित संस्थानों के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा ऑडिट के अधीन हैं। 'ऋण और पेशगी' के तहत दिखाई गयी और एक वर्ष से अधिक समय से बकाया कुल 15,66,71,366 रुपये की शेष राशि के पुष्टि/उपयोग संबंधित प्रमाण पत्र 55 संस्थानों से प्राप्त नहीं हुए हैं।

31 मार्च, 2021 वर्षांत के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) को कुल रु. 9,32,41,624/- की शेष राशि की पुष्टि/उपयोग संबंधित प्रमाणपत्र एक वर्ष से अधिक समय से निम्नलिखित संस्थानों की ओर से प्राप्त नहीं हुए हैं।

क्र. सं.	एजेंसी का नाम	राशि (रुपये में)
1	राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद	2,50,00,000.00
2	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	15,00,000.00
3	भारतीय खेल प्राधिकरण (डब्ल्यूबी)	15,46,239.00
4	निदेशक/सदस्य सचिव, SCITeG	10,00,000.00
5	प्रबंध निदेशक, तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजी सोसाइटी	13,50,000.00
6	मेघालय इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी सोसाइटी (एमआईटीएस)	10,00,000.00
7	परिचालन और इंफ्रा घटकों के लिए क्षमता निर्माण चरण II के तहत राज्य	5,05,20,695.00
8	प्रशिक्षण के लिए एनआईएसजी को पेशगी	14,28,013.00
9	कार्यशाला आयोजित करने के लिए A&C के तहत विश्वविद्यालय	7,72,446.00
10	कार्यशाला के लिए राज्यों को पेशगी	28,02,830.00
11	सेतु महाराष्ट्र	61,00,000.00
12	भारतीय खेल प्राधिकरण	2,21,401.00
कुल योग		**9,32,41,624.00**

वित्तीय विवरण इन खर्चों और अचल संपत्तियों के विवरण के आधार पर तैयार किए गए हैं।

29. लागत (विदेशी मुद्रा में)

	वर्ष समाप्ति मार्च 31, 2021	**वर्ष समाप्ति मार्च 31, 2020**
	रुपए	**रुपए**
i) यात्रा खर्च	-	4,23,477
ii) उपकरण	-	-
iii) प्रचार-प्रसार खर्च	-	2,02,134
कुल	**शून्य**	**6,25,611**

लागत (विदेशी मुद्रा में) में शैक्षणिक संस्थानों द्वारा उपकरणों पर किया गया व्यय भी शामिल है।

30. कर्मचारी लागत में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रबंध निदेशक को भुगतान किया गया रु. 0 पारिश्रमिक (पिछले वर्ष, रु. 0) शामिल हैं।

31. डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के सहयोग से आईआईटी, बॉम्बे द्वारा विकसित एक़्वा सॉफ्टवेयर लाइसेंस का उपयोग करने के लिए कंपनी ने दिनांक 17 सितंबर, 2008 को एग्रोकॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया था। उक्त एमओयू के अनुसार, कंपनी को एग्रोकॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के 2400 शेयर (प्रति शेयर 1 रुपये की फेस वैल्यू के साथ) प्राप्त हुए थे जो कि नॉन-करंट इंवेस्टमेंट्स के तहत दर्ज हैं।

32. कर्मचारी लाभ

कंपनी (लेखा मानक), नियम 2006 के अनुसार, निम्नलिखित विवरण दिए गए हैं।

परिभाषित लाभ योजनाएं

A. ग्रेच्युटी फंड में अंशदान:-

कर्मचारियों के लिए कंपनी के ग्रेच्युटी फंड का विवरण नीचे दिया गया है जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 31 मार्च, 2021 को प्रमाणित किया गया है और जिस पर लेखा परीक्षकों का कार्य आधारित है।

		वित्त वर्ष 2020-21	**वित्त वर्ष 2019-20**
1.	मूल्यांकन विधि	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड
2.	बीमांकिक अनुमान		
	मृत्यु दर	**LIC (2006-08) अल्टीमेट**	**LIC (2006-08) अल्टीमेट**
	निकासी दर	1%	1%
	छूट दर	7.00%	7.25%
	वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
3.	मूल्यांकन के परिणाम	**रुपये**	**रुपये**
	पिछले सेवा लाभ का PV	1,04,26,940	96,22,049
	वर्तमान सेवा लागत	4,25,225	4,57,034
	कुल सर्विस ग्रेच्युटी	3,17,56,796	3,17,14,752
	उपार्जित ग्रेच्युटी	1,47,79,936	1,38,26,908

B. छुट्टी नकदीकरण:- कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान में (संचित अवकाश नकदीकरण के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार किए गए प्रावधान के लिए) 18,78,191 रुपये (पिछले वर्ष 26,66,791 रुपये) और (अक्यूरल बेसिस पर आय और व्यय के विवरण में से डेबिट किए गए संविदात्मक कर्मचारियों की देयता के लिए)1,79,193 रुपये (पिछले वर्ष 95,861 रुपये) शामिल हैं। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार और कंपनी के खातों में दर्शाए अनुसार कुल देयता रु.1,76,31,152 (पिछले वर्ष रु.1,66,01,835) है। कंपनी ने देयता पूरी नहीं की है।

31 मार्च, 2021 वर्षांत के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

परिभाषित अंशदान योजनाएं:- कंपनी ने भविष्य निधि/पेंशन निधि के लिए रु.28,90,018 (पिछले वर्ष रु.26,85,138) मान्य किये हैं।

33. सूक्ष्म और लघु उद्यम देय राशि

कंपनी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत आपूर्तिकर्ताओं से उनकी स्थिति के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है और इसलिए :
ए) लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ताओं को देय और बकाया राशि
बी) वर्ष के दौरान भुगतान किया गया ब्याज
सी) लेखा वर्ष के अंत में देय ब्याज और
डी) लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अभुक्त ब्याज नहीं दिया गया है।

कंपनी अधिनियम के तहत आपूर्तिकर्ताओं से उनकी स्थिति के संबंध में पुष्टीकरण करने का प्रयास कर रही है।

34. कंपनी एक छोटी और मध्यम आकार की कंपनी (एसएमसी) है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 (यानी, कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006) के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों के संबंध में सामान्य निर्देशों में परिभाषित है और जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन तक एक लेनदेन प्रावधान के रूप में माना जाएगा। तदनुसार, कंपनी ने छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया है।

35. प्राप्य और देय राशि (यदि कोई हो) पुष्टिकरण, रेकन्सीलिएशन, और उसके अड़जस्टमेंट्स के अधीन है।

36. पिछले वर्ष के आंकड़ों को (जहां कहीं आवश्यक हो) चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप करने के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

नोट नंबर 1 से 36 तक हस्ताक्षर

यार्डी प्रभु एं ड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या: 111727W/W100101
UDIN: 21116172AAABDB2257

सीए राहुल रिंगे
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 116172

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

(अभिषेक सिंह)
प्रबंध निदेशक और सीईओ
[DIN: 02645352]

(अजय प्रकाश साहनी)
निदेशक
[DIN: 03359323]

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : दिसंबर 20, 2021

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन एनेक्सी, 6 CGO काम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली –110003
+91 (11) 24360199, 24301756, 24303500,
24303555, 24303599